खण्ड-137, अंक-4
गुरूवार, 23 वैशाख, शक संवत् 1876
(13 मई, 1954 ई0)

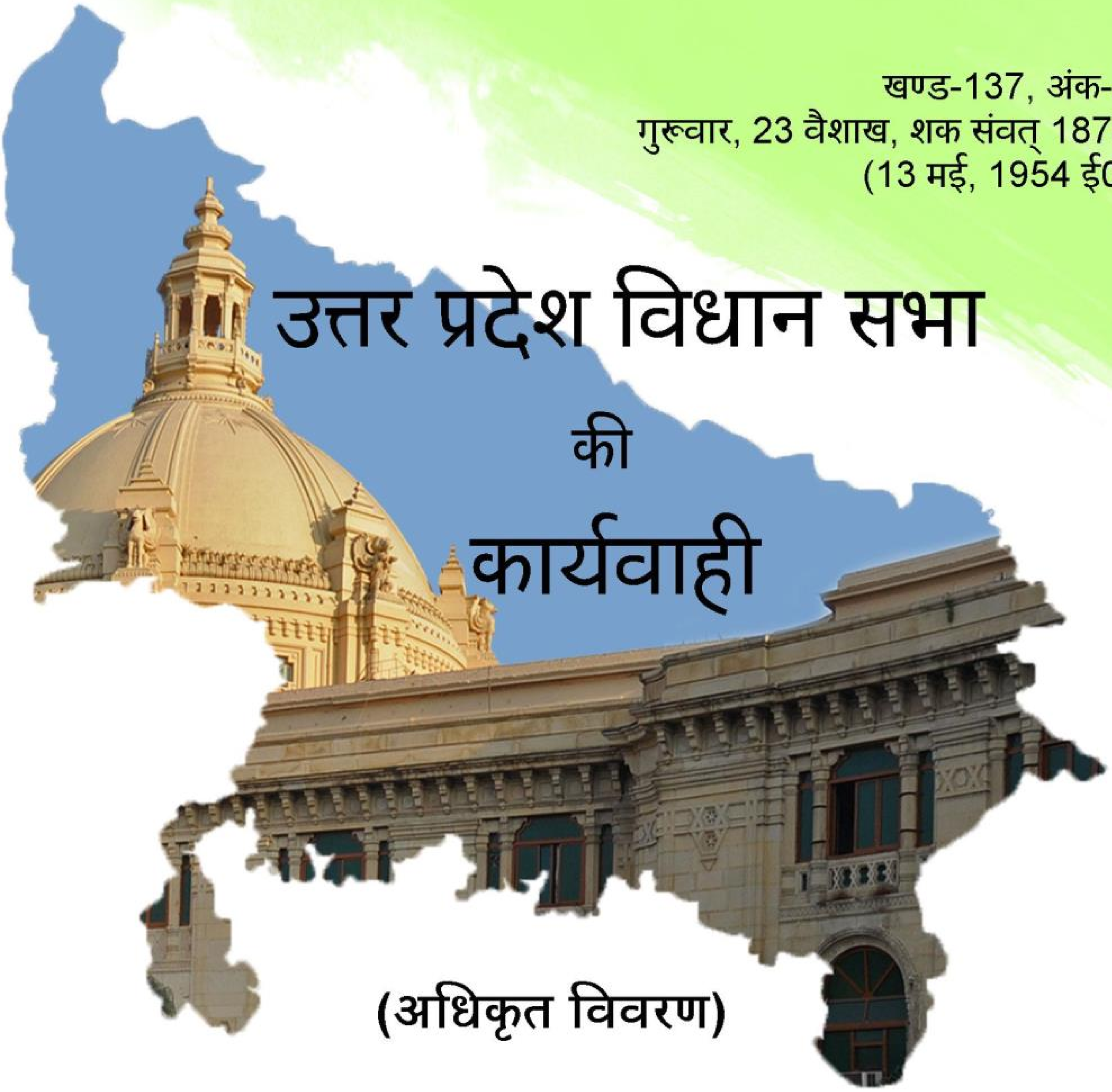

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 137 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री

लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसीनक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी, मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां, हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

कृषि स्कूल बुलन्दशहर में प्रशिक्षण केन्द्र

*१--श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में कृषि कालेज में कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है ? यदि हां, तो उसका क्या क्या कार्य है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--कृषि स्कूल बुलन्दशहर में प्रशिक्षण केन्द्र दिनांक १५ जनवरी, १९५३ से प्रारंभ हुआ है। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रसार शिक्षा योजना के अन्तर्गत बहुधन्धी शिक्षा देना है जैसे, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, सहकारिता, तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा। शिक्षा पाने के बाद ये कार्यकर्त्ता सामूहिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्रामोत्थान का काम करते हैं।

*२--श्री धर्मसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो उपर्युक्त कालेज में ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है आज तक उस पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री फूलसिंह--इस केन्द्र में २८ फरवरी, १९५४ तक ३१,८४६ रु० १० आ० ६ पाई व्यय हुआ है।

*३--श्री धर्मसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सेंटर से जनता का कितना और क्या-क्या लाभ हुआ है ?

श्री फूल सिंह--शिक्षार्थी कृषि स्कूल के इर्द-गिर्द गांवों में प्रसार का कार्य करते हैं किन्तु मुख्य लाभ इस केन्द्र का यह है कि इसके जरिये हम राष्ट्रीय प्रसार योजना तथा सामूहिक योजना में शिक्षित आदमी (ग्राम सेवक) भेजते हैं, जिनके द्वारा हम पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना चाहते हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस स्कूल में अब तक कितने विद्यार्थी शिक्षा पा चुके हैं ?

श्री फूलसिंह--लगभग १०० विद्यार्थी शिक्षा पा चुके हैं और ५० के करीब शिक्षा पा रहे हैं।

श्री धर्मसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सेंटर के अन्तर्गत कितने गांव हैं, जिनमें यह कार्य हो रहा है ?

श्री फूल सिंह--गांवों की संख्या तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन आरजी-तौर पर कुछ गांव लिये गये थे जिनमें काम आरम्भ किया गया था, लेकिन पैसे के अभाव से जिन सेंटर्स के आस-पास गांव लिये गये थे उनमें हम सफलता से काम नहीं कर पाये। इसलिये सरकार नई योजना के अन्तर्गत नये केन्द्र एम० ई० एस० ब्लाक ऐसे सेंटर्स के चारों तरफ खोलने का इरादा रखती है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस ट्रेनिंग कालेज में किस योग्यता के शिक्षार्थी लिये जातेहैं

श्री फूलसिंह--अभी तक तो यह कायदा रहा है कि जो ग्रूप लेविल वर्कर्स हैं वे तो सरकारी कर्मचारियों में से भर्ती किये जायं और जो विलेज लेविल वर्कर्स

हैं उनमें पंचायतों के सेक्रेटरी, सुपरवाइजर भर्ती किये जायं और कुछ थोड़े बहुत बी० एस० सी० एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर डिप्लोमा होल्डर्स को लिया जाय।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में इस स्कूल के अलावा एक लखावटी कालेज भी है जहां पर बी० एस० सी० एग्रीकल्चर की शिक्षा दी जाती है। यदि वहां शिक्षा पर कम रुपया लगे तो क्या सरकार वहां पर ट्रेनिंग देने पर विचार करेगी?

श्री फूलसिंह--ऐसे सब कालेजों में जहां पर एग्रीकल्चर या एनीमल हस्बेंडरी की शिक्षा दी जाती है वहां पर ऐसे केन्द्र खोलने का इरादा है लेकिन अभी जितने केन्द्र खुले हुये हैं उनके इन्तजाम को दृढ़ कर लें तब आगे केन्द्र खोले जायंगे।

श्री दीनदयालु शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कालेजों में ट्रेनिंग का काम कब से चलाने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री फूल सिंह--अभी तो समय निश्चित नहीं है, लेकिन बरसात के खत्म होने के बाद शायद हम इन केन्द्रों का इन्तजाम ठीक कर लें, तब उसके बाद इनके शुरू करने पर विचार किया जायगा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कालेज में जो यह १०० विद्यार्थी हैं उनमें बुलन्दशहर के ही हैं या अन्य जिलों के भी हैं?

श्री फूलसिंह--वह सब विद्यार्थी बुलन्दशहर के नहीं हैं। प्रान्त भर में कितने ही सेंटर हमारे खुले हुये हैं उनमें से अच्छे लड़के लेकर उसमें भर्ती करने की कोशिश करते हैं।

लखनऊ जिले में कुकरायल रक्षित वन के लिए भूमि और उसका मुआविजा

*४--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--लखनऊ जिला के कुकरायल रक्षित बन के लिये कितनी और किन-किन गांवों की भूमि सरकार ने किसानों से ली?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

*५--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--यह भूमि कब ली गई और इसका क्या मुआविजा किसानों को दिया गया और कितने वर्गमील का यह बन है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--१९४६-४७ में। कुल मुआविजा ८,४२६ रु० ३ आ १० पा० किसानों को दिया गया। ७.९९ वर्ग मील का यह बन है।

*६--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या यह सही है कि अभी तक बन विभाग इस जमीन पर बन लगाने में सफल नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार उन २६ गांवों के किसानों की संख्या बतलायेगी जिनकी ५,११२ एकड़ जमीन इस वन विभाग ने ली है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उन गांवों के किसानों की तादाद तो जुड़ी हुयी नहीं है। उसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस ३-४ मील के एरिया में बन लगाये जाने के कारण हजारों किसान भूमिरहित हो गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं, यह बात नहीं है, क्योंकि अगर यह जंगल नहीं लगाया जाता तो उसका कटाव जारी रहने के कारण अगर उसको रोका नहीं जाता तो जितनी जमीन अभी उनके पास है वह भी बह जाती।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार को ज्ञात है कि एक रुपया एक आना प्रति एकड़ के हिसाब से मुआविजा देकर सरकार ने थोड़े से समय के लिये इस भूमि को लिया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह भूमि जो ली गयी थी उसका कुल मुआविजा ९३ हजार के करीब है। इन किसानों को केवल ८ हजार रुपया गया, बाकी और लोगों को गया, जो कि वहां के जमींदार थे अथवा मालिक थे, उनको गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस सब ५ हजार एकड़ जमीन के ऊपर किसान खेती करते थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं, सब पर किसान खेती नहीं करते थे। कुछ कट चुकी थी और अब भी वह बहुत कुछ कटी हुयी हालत में है। पहले वह बंजर की हालत में थी और इस वन विभाग के लेने के पहले शायद मिलिट्री वालों ने उसको लिया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने सन् १९४६-४७ में इसको लिया।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह मुआविजा किस दर से दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार को ज्ञात है कि यद्यपि इस जमीन को लिये हुये ७ वर्ष व्यतीत हो गये हैं तो भी १००, ५० दरख्तों से ज्यादा उस जमीन पर नहीं लगे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नहीं, वहां पर बबूल के बहुत से पेड़ हैं। मैं खुद देख कर आया हूं और मुमकिन है कि ज्यादा हों, मगर काश्तकार पेड़ों को काट डालते हैं और बड़ा बवंडर सा वहां हो रहा है। मगर फिर भी कितने ही बबूल के पेड़, और आम व काजू के पेड़ और नरसरीज भी वहां हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार इस बन को जब यह पूरा तैयार हो जायगा तो उन्हीं गांव वालों को वापस दे देगी जिनसे यह जमीन ली गई थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो भविष्य की बात है और तब ही इस पर विचार हो सकता है या नहीं का प्रश्न उठ सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार इस जमीन को पुनः किसानों को वापस करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं पहले ही कह चुका हूं कि पहले कुछ जमीन के कटाव को रोकना है और जब वह रुक जायगा तो इस पर विचार किया जायगा कि उसे सरकार रखे या कम्यूनिटी जंगल या बाग़ बना कर उनको दे दी जाय। इस समय तो उत्तर 'नहीं' में ही दिया जा सकता है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगर ये जमींने जोत में नहीं थीं और बंजर पड़ी हुई थीं तो ये गांव समाज में क्यों नहीं चलीं गईं ?

श्री अध्यक्ष---७, ८ साल पहले की बात है, यह प्रश्न उहीं उठाया जा सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---क्या सरकार यह जानती है कि कटाव जो नदी के किनारे पर थोड़े अंश में होता है उससे कहीं अधिक जमीन खाली पड़ी हुई है और उस पर कोई कटाव नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं आपको बताऊं कि कुकरायल नदी पर बांध बांधा है और वहां पर भी पेड़ लगाये गये हैं। उनकी सुरक्षा के लिये जितने भी सम्भव तरीक़े हो सकते हैं, उनको किया जा रहा है जिससे बेकार जमीन काम की हो जाय और वे बेचारे भूमिहीन न हो जावें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या कुकरायल के ४००, ५०० किसान लखनऊ आकर माननीय कृषि मंत्री की सेवा में एक मेमोरेंडम दिये थे और उसका क्या हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---हां, आये थे, और चराई के सम्बन्ध में अगर वे लोग यह कहें कि चराई बहुत ज्यादा है, हमारे साथ रियायत की जाय या सहूलियत से बर्ताव किया जाय तो गवर्नमेंट सदैव इस पर विचार करने के लिये तैयार है कि शुल्क की दर मुनासिब हो, लेकिन अगर वे चाहें कि क़तई उस जमीन को जैसे वे चाहें इस्तेमाल करें या बिना आज्ञा के चराने लगें तो उसके लिये तो सरकार उन्हीं के हित में तैयार नहीं हो सकती है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि जो मुआविजा दिया गया है उसमें से १० परसेंट मुआविजा बांटने वालों ने काट लिया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में बड़ा तीव्र आन्दोलन चल रहा है और लगभग २५, ३० गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मुझे जहां तक मालूम है, वहां पहले कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने २, ३ वर्ष हुये एक आन्दोलन किया था और उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई है। यह बात जरूर है कि अब भी उन लोगों को कुछ लोग बरग़लाते जरूर हैं।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों की जमीन जंगल लगाने के लिये ली गई है उनके पास खेती करने के लिये और जमीन है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जहां तक मेरी सूचना है थोड़ी बहुत जरूर है।

विलीन बनारस राज्य के जंगलों में बनारस और मिर्जापुर जिले के पशुओं पर चराई की भिन्न-भिन्न दरें

*७---श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व बनारस स्टेट के जंगलों में जो जिला बनारस के अन्तर्गत है

मिर्जापुर जिले के जो पशु चरने जाते हैं उनसे गाय, बैल और बछवा पर १ रुपया खरचरी व दो आ० मुहर्रिर की तहरीर और भैंस पर २ रुपया खरचरी और ४ आना तहरीर तथा मियाद बीतने पर दूनी खरचरी तथा दूनी तहरीर वसूल की जाती है, जब कि बनारस जिले के पशुओं पर गाय व बैल पर कोई खरचरी नहीं ली जाती तथा भैंसों पर केवल ४ आना और बछड़े पर १ आना खरचरी ली जाती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं। विलीन बनारस राज्य के जंगलों में गाय बैल, तथा भैंस की चराई का दर इस प्रकार है :--

किस्म मवेशी	चराई की दर प्रति मवेशी स्थानीय	प्रति वर्ष बाहरी
गाय ..	.. निःशुल्क	।।)
बैल ..	.. निःशुल्क	।।)
भैंस ..	.. ।)	१)

उपर्युक्त रेट के उपरान्त कोई और कर नहीं लिया जाता।

*८--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के जंगलों में बनारस जिले के जो पशु सोन डिवीजन में चरने जाते हैं उनसे उतनी ही खरचरी वसूल की जाती है जितनी कि मिर्जापुर जिले के पशुओं पर वसूल की जाती है और जो बनारस जिले के स्थानीय खरचरी के बराबर है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं। वर्तमान खरचरी के रेट इस प्रकार हैं :--

किस्म मवेशी	चराई की दर प्रति मवेशी स्थानीय	प्रति वर्ष बाहरी
गाय ..	.. निःशुल्क	निःशुल्क
बैल (कृषि कार्य के लिये)	.. ,,	,,
अन्य बैल	.. =)	।)
भैंस ..	.. ।)	.. ।।)

*९--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार इस भेद को मिटा कर दोनों जिलों के पशुओं पर एक समान खरचरी रेट कायम करने का विचार रखती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आठ आने और एक रुपये के जो रेट बताये गये हैं यह कब से हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह पिछले साल से हैं। करीब ५-४ महीने हुये हैं यह रेट रिवाइज हुए थे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस जिले के जो जंगल हैं उनमें मिर्जापुर के जंगल से दूने रेट क्यों हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह रेट्स तो प्रदेश में करीब-करीब हर जिले और डिवीजन में अलग-अलग हैं, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि सब जगह क्लेट रेट्स हो सकते हैं या नहीं और उसमें क्या कठिनाइयां हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--यह रेट्स कितने समय के हैं, एक दिन के, एक महीने के या एक साल के ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--एक साल के।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक यह निर्णय हो जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--हम कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके जल्द हो जाय।

कानूनगो क्षेत्र मेंहदावल, तहसील खलीलाबाद (बस्ती) में वन विभाग की भूमि

*१०--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानूनगो क्षेत्र मेंहदावल, तहसील खलीलाबाद (बस्ती) के अन्तर्गत कितना बन है, जो जंगल विभाग को दिया गया है ? क्या उसकी निशान देहीं कर दी गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कानूनगो क्षेत्र मेंहदावल, तहसील खलीलाबाद (बस्ती) के अन्तर्गत ५४१ एकड़ वन जंगल विभाग को दिया गया है और उसकी निशान-देही कर दी गई है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो ५४१ एकड़ जमीन बन विभाग को दी गई है उसमें पूरे क्षेत्र में पेड़ लगे हैं या जमीन खाली पड़ी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कहीं पेड़ हैं और कहीं खाली भी है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ५४१ एकड़ जमीन में से कुछ जमीन किसानों द्वारा तोड़ी जा चुकी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नियम यह था कि एक जुलाई सन् ५२ तक जबकि जमींदारी अबालीशन हुआ उस वक्त तक जिन्होंने तोड़ ली, हमने उसमें रुकावट नहीं डाली और सब को उस पर खेती करने दी।

श्री अब्दुल मुईज खां--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन किसानों ने ५४१ एकड़ जमीन तोड़ ली है उनको इसके बदले में कोई मुआवजा दिया जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अगर बाद को तोड़ी है तो गैरकानूनी काम किया है, और मुआवजे का सवाल पैदा नहीं होता बल्कि उनको हटाने का सवाल पैदा होता है।

श्री राजाराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फारेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ जमीन गांव समाज में निहित हो गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसमें दो प्रकार की जमीन है, एक तो वह जो गांव समाज में निहित हो गयी है और दूसरी वह जो फारेस्ट डिपार्टमेंट में निहित है। यह वह है जो कि फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में निहित है। गांव समाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री धनुषधारी पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जंगल की देखरेख में प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ठीक तो नहीं मालूम लेकिन मोटे तौर पर ४५ रु० माहवार का एक फारेस्ट गार्ड रहता है। एक दो आदमी और रहते हैं इस प्रकार ४-५-७ सौ रुपया के करीब खर्च होता होगा।

सहारनपुर जिले में वन विभाग के अधीन भूमि तथा वन विभाग के दफ्तर

*११—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर जिले में आजकल कितने हजार एकड़ भूमि में जंगल है और नये जंगल कितने एकड़ भूमि में लग रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सहारनपुर जिले में बन विभाग के अधिकार में इस समय १,८९,८८५ एकड़ भूमि में जंगल है और नये जंगल ८५८ एकड़ भूमि में प्रति वर्ष लगाये जा रहे हैं।

[नोट—उपर्युक्त उत्तर में वन विभाग के अधिकार में जो जंगल है उसी का क्षेत्रफल दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ भूतपूर्व निजी जंगल जिनका क्षेत्रफल ठीक तरह से मालूम नहीं है गांव समाजों में भी निहित हो गये हैं।]

*१२—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि सहारनपुर के जंगल विभाग के दफ्तर उस जिले से बाहर स्थित हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सहारनपुर का डिविजनल दफ्तर जिले से बाहर स्थित है परन्तु सब रेंजों के दफ्तर उसी जिले में हैं।

*१३—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार इन दफ्तरों को हरद्वार में या जिले के किसी अन्य स्थान में लाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है परिवर्तन करना सरकार को युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सहारनपुर के जंगल विभाग का डिवीजनल दफ्तर जिले के बाहर रखने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ये दफ्तर देहरादून में है क्योंकि सहारनपुर से ये जंगल करीब ३० मील के पड़ते हैं और देहरादून से वह ९ मील की दूरी पर पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी उनको सहायता मिलती है। इन्हीं कारणों से फारेस्ट का दफ्तर वहां पर रक्खा गया है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि जंगल के दफ्तर के दूसरे जिले में होने के कारण सहारनपुर के जंगलों में अनियमित कटान साल भर तक जारी रहता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जैसे और जंगलों में अनियमित कटान होता है वैसे ही वहां भी होता है, वहां के लिये कोई विशेष बात नहीं कही जा सकती।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह बात सही है कि सहारनपुर के जंगलात का दफ्तर देहरादून में किराये के मकान में है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं, ४७–४८ में अपनी ही बिल्डिंग बनवा ली गयी है।

गोरखपुर जिले की रेंज फरेंदा और पकड़ी में निहित निजी वन

*१४—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में जमींदारी विनाश के पश्चात् कौन-कौन से निजी बन रेंज फरेंदा और पकड़ी में निहित हुये हैं और उनका क्षेत्रफल क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२४ पर)

*१५---श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि वन विभाग कुछ ऐसी भूमि को भी अपने वन क्षेत्र में मिलाना चाहता है जिस पर किसानों की व्यक्तिगत बागें, काश्तकारी के खेत, और आबादी भी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं।

*१६---श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फरेंदा और पकड़ी रेंज में ऐसी कितनी बंजर भूमि को बन विभाग ने अपने अधीन कर रखा है जो जमींदारी विनाश के प्रथम गांवों की चरागाह और महुआरी रही ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---१३११ एकड़।

गढ़वाल जिले में सिलोगी (ढांगू) नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक के उद्घाटन में व्यय

*१७---श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २६ जनवरी, १९५४ को गढ़वाल जिले के सिलोगी (ढांगू) नेशनल ऐक्सटेन्शन सर्विस ब्लाक के उद्घाटन में कुल कितना खर्च सरकार का हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---दिनांक २६ जनवरी, १९५४ को गढ़वाल जिले में सिलोगी ढांगू नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक के उद्घाटन में कुल रु० ६५-१५-६ का खर्चा हुआ था।

विलीन रियासत टेहरी-गढ़वाल के वन-विभाग द्वारा पट्टी कालीपार (गढ़वाल) के ग्रामों पर वन उपज के शुल्क का बकाया

*१८---श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पट्टी कालीपार, जिला गढ़वाल के किन-किन ग्रामों से कितने रुपयों की सामूहिक जुर्म की डिग्री विलीन रियासत टेहरी-गढ़वाल के वन विभाग द्वारा कराई गई थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---ऐसी कोई डिग्री नहीं करायी गई बल्कि पट्टी कालीपार जिला गढ़वाल के उन ग्रामों से जिनकी सूची मेज पर रक्खी है २०४५३।।।) की वसूली की कार्यवाही की जा रही है, जो उन पर ली गई वन उपज के शुल्क के रूप में बाकी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२५ पर)

*१९---श्री गंगाधर मैठाणी---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह रुपये क्यों, कब से और किस आधार पर अब वसूल किये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जनवरी, १९५१ से जनवरी, १९५३ तक जो वन उपज बन से ली गई उसका जो शुल्क दिया जाना चाहिये था, उसकी यह रकम है। इन गांव वालों की रियासत विलीन होने से पहले भी शुल्क देने पर ही मिलती थी और उसी आधार पर अब शुल्क लिया जा रहा है।

श्री गंगाधर मैठाणी---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह शुल्क किस रेट और नियम के अनुसार लिया जाता है ?

श्री जगमोह सिंह नेगी---हरी पत्ती पर दो आना प्रति दिन एक बोझ पर और मासिक परमिट के लिये २ रु० माहवार पड़ता है और ईंधन पर दो रुपया माहवार है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह हर व्यक्ति से लिया जाता है या गांव से सामूहिक रूप में लिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि प्रति बोझ पर एक आदमी से इनडिविजुअली लिया जाता है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त के पूर्व ये लोग जंगल में ही काश्त करते थे ? क्या सरकार को इसकी सूचना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यहां के बन्दोबस्त से इसका कोई संबंध नहीं है। ये पहले टेहरी स्टेट के जंगल थे और विलीन होने के पहले से ही यह शुल्क चालू था। बीच में हमने रोक दिया था, लेकिन टेहरी वालों ने इस पर बहस की कि ये जंगल बिना शुल्क के क्यों रहते हैं और टेहरी वालों ने इस पर बवंडर खड़ा कर दिया, इसलिये फिर उसे लगाना पड़ा।

श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या यह सही है कि यहां पर यह झगड़ा भविष्य में न हो, सरकार ने इन दोनों जिलों के डी० एम० को बाउंडरी तय करने के लिये तैनात किया था ? उन्होंने इस पर क्या रिपोर्ट की ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, कन्जरवेटर टिहरी सर्किल और कमिश्नर कुमायूं के मध्य लिखा-पढ़ी होने के पश्चात् तय हुआ कि महसूल लिया जाय। हमने तो इसको पहले रोक दिया था लेकिन उन्होंने इस विषय पर बातचीत करके तय किया कि फिर से यह शुल्क लागू दिया जाय और बकाया की वसूली के लिए जिलाधीश गढ़वाल को लिखा जाय और उनके द्वारा एरियर आफ लैंड रेवन्यू के तौर पर इसे वसूल कराया जाय।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार को यह मालूम है कि इन १८ गांवों की जो सूची है वहां के किसानों को काश्त करने के लिये कोई दूसरी जगह नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यहां तो काश्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो पत्ती और लकड़ी लेने का सवाल है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार को मालूम है कि उन लोगों ने इस शुल्क से मुक्ति के लिये सरकार के पास कोई प्रार्थनापत्र भेजा है, सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--हमारे पास सीधा तो कोई प्रार्थना-पत्र आया नहीं है, लेकिन यदि आयेगा तो जो कुछ भी उचित होगा उसी तरह से विचार किया जायगा।

रत्ना शुगर मिल्स शाहगंज, जिला जौनपर के पास विद्युत शक्ति

*२०--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रत्ना शुगर मिल शाहगंज, जिला जौनपुर में कितना पावर उसके इस्तेमाल से बच जाता है ?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी) रत्ना शुगर मिल्स, शाहगंज, जिला जौनपुर, के पास उनकी आवश्यकता के अतिरिक्त विद्युत शक्ति नहीं बचती है ?

*२१--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त पावर द्वारा दक्षिणी और पूर्वी भागों में कुटीर उद्योग और नल कूपों को प्रोत्साहन देने का विचार सरकार रखती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रत्ना शुगर मिल शाहगंज की तरफ से विद्युत बढ़ाने के लिये सरकार से कोई लिखा-पढ़ी की गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मुमकिन है कि हुई हो, लेकिन इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जनता की तरफ से उपर्युक्त पावर के संबंध में दक्षिणी पूर्वी भागों में कुटीर उद्योग और नल कूपों की योजना के संबंध में सरकार के सामने कोई मांग या सुझाव आया है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं उठता, चूंकि कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतला दिया गया कि यह प्रश्न नहीं उठता।

हमीरपुर में विलीन चरखारी रियासत के भाग में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य-क्रम तथा प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों पर व्यय

*२२—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चरखारी रियासत के उस भाग में जो जिला हमीरपुर में विलीन हो गया है, पंचवर्षीय योजना के आधार पर क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

श्री फूलसिंह—चरखारी रियासत के उस भाग में जो जिला हमीरपुर में विलीन हो गया है, पंच वर्षीय योजना के आधार पर जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसका विस्तृत विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई प्रतिलिपि में दर्ज है।

(देखिये नत्थ 'घ' आगे पृष्ठ ३२६–३२७ पर)

*२३—श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्लानिंग विभाग जिला हमीरपुर में सन् १९५१–५२ तथा सन् ५२–५३ ई० में पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ता तथा दफ्तर के किराये आदि में और योजना के काम में कितना व्यय हुआ ?

श्री फूलसिंह—पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ता तथा दफ्तर के किराये आदि में सन् १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में १,७१,५७० रु० ११ आ० ९ पा० तथा १,७०,४२४ रु० ६ आ० क्रमशः व्यय हुआ, इसमें केवल नियोजन विभाग के ही कर्मचारी नहीं वरन् सब विकास विभागों के कर्मचारी सम्मिलित हैं। योजना के कार्य में उपरोक्त सालों में रु० १०,७०० तथा ८२,७१४ रु० क्रमशः व्यय हुये।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग ने अपनी योजना के अनुसार काम प्रारम्भ किया है या नहीं ? यदि किया है तो कब और कहां-कहां ?

श्री फूलसिंह—जी हां, चालू किया है। कहां-कहां के लिये, नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इन वर्षों में जब नियोजन पर केवल एक लाख से कम काम हुआ है तो उनपर साढ़े तीन लाख से अधिक का खर्चा क्यों हुआ है ?

श्री फूल सिंह—नियोजन का काम सभी विभाग करते हैं। जिनकी तनख्वाह की चर्चा है वे कर्मचारी नियोजन का काम करने के अलावा अपने विभागों का भी काम करते हैं, इसलिये सब विभागों के खर्च को इसमें शामिल करना पड़ा।

*२४–२५—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—[५ मई, १९५४ को प्रश्न संख्या ५७–५८ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

जौनपुर जिले में रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को औद्योगिक सहायता

*२६—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितनी रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं और किन-किन सोसाइटियों को सरकार की तरफ से किस उद्योग-धंधे के लिये सहायता दी गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जौनपुर जिले में सहकारी समितियों की कुल संख्या ९२३ है। इनमें से ३० औद्योगिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें से ३ समितियों को निम्न प्रकार की सहायता की गई है—

(१) १९५३-५४ में चर्म शोधक सहकारी समिति लिमिटेड जौनपुर को २००० रु० का ऋण और १००० रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

(२) एक सेल डिपो की स्थापना के लिये १७२५ रु० का अनुदान जिला करघा कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, जौनपुर को दिया गया।

(३) डाई हाउस की स्थापना के लिये जिला करघा कोआपरेटिव यूनियन जौनपुर को २००० रु० का अनुदान दिया गया।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन तीन औद्योगिक समितियों को सहायता दी गई है उनकी मांगें क्या थीं और किस आधार पर उनको सहायता दी गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तीस सहकारी समितियों में से केवल तीन को ही सहायता क्यों दी गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो जितना पैसा था और उसमें जिस हिसाब से दिया जा सकता था उतनों को दिया गया।

१९५३-५४ में जिला हमीरपुर की नियोजन समिति की कार्यकारिणी का निर्वाचन

*२७—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५३-५४ ई० में जिला हमीरपुर की नियोजन समिति की कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का निर्वाचन नियमानुसार हुआ है ? यदि हां, तो कब और उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री फूलसिंह—जिला हमीरपुर में सन् १९५३-५४ के लिये जिला नियोजन समिति की कार्यकारिणी समिति का चुनाव समिति की १८-४-१९५३ की बैठक में हुआ था। यह चुनाव नियमानुसार किये गये थे। दो सदस्यों का चुनाव एम० पी० और एम० एल० ए० के ग्रुप से किया जाना था, किन्तु इसमें विवाद होने के कारण जिला नियोजन समिति ने यह निश्चय किया कि इसे सरकार के पास निर्णय के लिये भेज दिया जाय। म्युनिसिपल बोर्ड के नुमाइन्दों का चुनाव ३-१-१९५४ की बैठक में किया गया। सहकारी समिति के नुमाइन्दों का चुनाव सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सका है। कार्यकारिणी में इस समय निम्नलिखित सदस्य हैं—

१—जिलाधीश	अध्यक्ष
२—जिला नियोजन अधिकारी	सचिव
३—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कैनाल	सदस्य

४—स्कूलों के जिला निरीक्षक	सदस्य
५—जिला इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी	,,
६—जिला स्वास्थ्य अधिकारी	,,
७—जिला सप्लाई अधिकारी	,,
८—जिला पशुपालन अधिकारी	,,
९—अध्यक्ष, जिला बोर्ड	उपाध्यक्ष
१०—सरकारी नुमाइन्दे	श्री वी० जी० वजेह
११—म्युनिसिपल बोर्ड के नुमाइन्दे	श्री मूल चन्द्र शर्मा रथ
१२—एम० एल० ए० में से	श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी
१३—महिला सेवक	श्रीमती गया प्रसाद अग्रवाल
१४—गांव सभा के नुमाइन्दे	श्री मन्ती लाल

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विवाद सरकार के पास भेजा गया था वह क्या था ?

श्री फूलसिंह—दोनों सदस्यों को प्लानिंग कमेटी में बराबर वोट मिले थे, इसलिये प्लानिंग कमेटी ने निश्चय किया कि इसको तय करने के लिये कि दोनों में से कौन मेम्बर रहे, इसे सरकार के पास भेज दिया जाय ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो विवाद सरकार के पास भेजा गया उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री अध्यक्ष—निर्णय तो इसमें आगया है, पहिले जवाब में ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि निर्माण समिति के विधान के अनुसार इस वर्किंग कमेटी में कितने रिप्रेजेंटेटिव एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० होने चाहिये थे ?

श्री फूलसिंह—एम० एल० ए० और एम० एल० सी० दो होने चाहिये थे ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरे सदस्य निर्वाचित करने के लिये जिला नियोजन समिति ने दूसरी मीटिंग बुलाना क्यों आवश्यक नहीं समझा ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक सदस्य इस वर्किंग कमेटी में लिये गये हैं उन्हें सरकार ने नामजद किया या वह एम० एल० ए०, एम० एल० सी० तथा एम० पी० द्वारा निर्वाचित हुये ?

श्री फूलसिंह—वह प्लानिंग कमेटी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार से नामजद हुये ।

*२८-२९—श्री जोरवार वर्मा—[स्थगित किये गये ।]

*३०-३१—श्री ब्रजभूषण मिश्र—[स्थगित किये गये ।]

जिला जौनपुर की तहसील शाहगंज में श्रमदान पखवारे में निर्माण कार्य

*३२—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज में श्रमदान सप्ताह में कौन-कौन सड़कें किस गांव में बनीं और कितने गांधी चबूतरे तथा पंचायतघर बने ?

श्री फूलसिंह—श्रमदान पखवारे में जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज में जो सड़कें गांधी चबूतरे और पंचायतघर बने, उनकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२८–३३० पर)

*३३—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई की सुविधा के हेतु उपर्युक्त क्षेत्र में श्रमदान सप्ताह में कितनी बन्धियां बनीं और उसमें सरकार की तरफ से कितना रुपया दिया गया?

श्री फूलसिंह—जिला जौनपुर, तहसील शाहगंज में श्रमदान पखवारे में बन्धियां नहीं बनाई गईं। अतः रुपया देने का सवाल ही नहीं उठता।

*३४–३६—श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)—[स्थगित किये गये।]

*३७–३८—श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)—[स्थानान्तरित किये गये।]

*३९–४०—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—[स्थगित किये गये।]

*४१—श्री अब्दुल मईज खां—[स्थानान्तरित किया गया।]

*४२–४३—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—[स्थगित किये गये।]

*४४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[स्थानान्तरित किया गया।]

मोहम्मदी पश्चिम (खीरी) में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य

*४५—श्री रामभजन (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोहम्मदी पश्चिम (खीरी) में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना काम हो चुका है और कितना करना बाकी है?

श्री फूलसिंह—मोहम्मदी पश्चिम (खीरी) में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो काम हो चुका है, उसका विवरण संलग्न सूची में माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

इस योजना के अन्तर्गत अब जो काम करना बाकी है वह पूरे जिले के आधार पर किया जा रहा है। पूरे जिले के लक्ष्यों का बटवारा एसेम्बली क्षेत्रों के आधार पर नहीं किया गया है। अतः किस क्षेत्र में कितना काम बाकी है यह कहना सम्भव नहीं है।

सरकार ने जिला योजनाओं की पुस्तकें तैयार कराई हैं। खीरी जिले की योजना भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३३१–३३२ पर)

श्री रामभजन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो पुस्तिका तैयार की जायेगी वे कब तक की जायेंगी और कब तक प्रकाश में आयेंगी?

श्री फूलसिंह—गालिबन १० जिलों की पुस्तकें तो असेम्बली का सेशन समाप्त होने के बाद बट जायेंगी और बाकी छपती जायेंगी।

श्री राम भजन—क्या उस पुस्तिका के तैयार करते समय विधान मंडल के सदस्यों की राय ली जायगी?

श्री फूलसिंह—वह पुस्तिका जब बट जायगी तभी राय लेने का प्रश्न होगा।

*४६—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[स्थगित किया गया।]

पिछड़ी जातियों की सूची

*४७—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछड़ी जातियों में कौन-कौन जाति हैं?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—जो आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

*४८—श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार ऐसी जातियों को जिनका रहन-सहन ऊंचा हो गया है, पिछड़ी जाति की सूची से निकालने की बात सोच रही है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पिछड़ी जातियों के प्रश्न पर बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन विचार कर रहा है और वही आवश्यक निर्णय भी करेगा।

अतारांकित प्रश्न

१-३—श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—[स्थगित किये गये।]

४-६—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—[स्थगित किये गये।]

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं सदन में कुछ परामर्शदात्री समितियों के सम्बन्ध में सूचना देना चाहता हूं। मंत्रियों को परामर्श देने वाली शरणार्थी, सामान्य प्रशासन, आबकारी, जेल, रसद, पुलिस तथा यातायात स्थायी समितियों के लिये नामों को वापस लेने का अन्तिम समय ११ मई को ३ बजे तक था। प्रत्येक समिति में १४ सदस्य निर्वाचित होने थे। शरणार्थी, रसद तथा यातायात समिति में कुल उतने ही अभ्यर्थियों के नाम थे जितने कि प्रत्येक समिति में स्थान हैं। किसी ने नाम वापस नहीं लिये। अतः सब नामांकित सदस्य जिनके नामों की घोषणा सदन में ६ मई को की गई थी विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति—१४ स्थानों के लिये १६ नाम नामांकित किये गये। श्री जयपाल सिंह तथा श्री जोरावर वर्मा ने अपने नाम वापस ले लिये। अतः शेष १४ विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

जेल स्थायी समिति—१४ स्थानों के लिये १५ नाम नामांकित किये गये। श्री राधामोहन सिंह ने इस समिति से अपना नाम वापस ले लिया। अतः शेष १४ सदस्य विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

आबकारी स्थायी समिति—१४ स्थानों के लिये १४ नाम नामांकित किये गये थे। श्री रामसनेही भारती ने इस समिति से अपना नाम वापस ले लिया। अतः शेष १३ सदस्य विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

पुलिस स्थायी समिति—१४ स्थानों के लिये १५ नाम नामांकित किये गये। श्री जयपाल सिंह तथा श्री व्रजभूषण मिश्र ने इस समिति से अपने नाम वापस ले लिये हैं। अतः शेष १३ विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

इस प्रकार से आबकारी तथा पुलिस स्थायी समितियों में अभी एक-एक स्थान की पूर्ति करना शेष है। अतः इन स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का मैं निम्न-लिखित कार्यक्रम निर्धारित करता हूं। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि १३ मई, ३ बजे तक, नाम निर्देशनपत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १३ मई, १९५४ को साढ़े ३ बजे तक।

नामों के वापस लेने की तिथि, १४ मई को १ बजे दिन तक । निर्वाचन की तिथि और समय यदि आवश्यक हुआ तो बाद में घोषित कर दिया जायगा।

सहकारी स्थायी समिति में जो एक स्थान रिक्त रह गया था उसके लिये श्री शुकदेव प्रसाद के लिये नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे सचिव ने ठीक पाया। नामों की वापसी का समय समाप्त हो गया है और श्री शुकदेव प्रसाद विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाते हैं।

विकास और नियोजन स्थायी समिति में १४ स्थानों के लिये १६ नाम प्राप्त हुये थे जिनकी मैं सदन में सूचना दे चुका हूं। नामों की वापसी के लिये नियत समय के अन्दर केवल एक नाम श्री वीरसेन जी का वापस हुआ है। इस प्रकार अब १५ नाम रह गये हैं और यह संख्या निर्धारित संख्या से एक अधिक है। अतः १५ मई सन् १९५४ ई० को ११ बजे से ३ बजे तक विधान वाचनालय में यह निर्वाचित करने की सूचना दी जा चुकी है। अब श्री तेज बहादुर सिंह ने भी अपना नाम वापस लेने की सूचना नियत वापसी के समय के बाद में भेजी है। तो नियम के अनुसार इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन यदि सदन की सर्वसम्मति से अनुमति मिल जाय तो इस वापसी को भी स्वीकार करने से चुनाव बच सकता है। इसलिये मैं सदन की राय जानना चाहता हूं।

(सदन की सर्वसम्मति से श्री तेज बहादुर सिंह का नाम वापस लिया गया।)

इसलिये अब यह नाम वापस हुआ और शेष १४ सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये।

विरोधी दल के नेता की सुविधाओं के विधेयक, १९५४ को सदन में प्रस्तुत करने के विषय में श्री राज्यपाल का पत्र

श्री अध्यक्ष--एक विधेयक असरकारी दिन के लिये जो उपस्थित किया गया था, नेता विरोधी दल की सुविधाओं के लिये, उसके ऊपर मैंने यह कहा था कि इसमें राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता है। अनुमति के लिये यह विधेयक भेजा गया। सचिव के पास, इस प्रकार से उत्तर आया है--

"कृपया आप अपने १० मई, १९५४ के अर्द्ध सरकारी-पत्र संख्या एन० ए० १४५८ को देखने का कष्ट करें। मुझे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि विभिन्न राज्यों को यह जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा गया है कि विरोधी दल के नेता को क्या-क्या अधिदेय यानी एलाउन्सेज, तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं। इस सूचना के एकत्रित होते ही श्री राज्यपाल तद्विषयक निर्णय से आपको सूचित कर देंगे"।

एक ही प्रश्न के दोबारा पूछे जाने के विषय में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--कल मैंने सदन में देखा कि एक प्रश्न का यह जवाब दिया गया कि पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, उसके उत्तर की तरफ देखें। इसलिये मैंने इसकी तहकीकात करने का यत्न किया कि यह प्रश्न कैसे सदन के सामने, दुबारा आया जब कि नियम के अनुसार दोबारा एक ही प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। मालूम पड़ता है कि बहुत से प्रश्न आते हैं और कुछ थोड़े से शब्दों के भेद से एक ही विषय के होते हैं। ऐसी अवस्था में दफ्तर की नजर से पहिले प्रश्न छूट गये तो दफ्तर वालों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये जब कि हजारों प्रश्न आते हैं, कभी-कभी यदि

[श्री अध्यक्ष]

गल्ती हो तो क्षम्य है। मैं माननीय सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि अगर उनको उनके प्रश्नों का जवाब मिल जाय तो वह मुझे सूचना दे दें कि मेरे प्रश्नों का जवाब मिल चुका है और इसलिये दूसरा भेजा हुआ वही प्रश्न वापस कर दिया जाय। शायद वे भी भूल जाते हैं परन्तु उनके प्रश्न थोड़े से रहते हैं और एकदम इकट्ठे प्रश्न वे नहीं भेजते हैं। इसलिये वे सहज में मेरे सुझाव को मान सकते हैं। दूसरी ओर इस सम्बन्ध में मैं सरकारी विभागों से भी कहना चाहता हूं, और शायद वे साधारणतया ऐसा करते भी हैं, कि सदन में दुबारा दिये हुए प्रश्नों का जवाब देने के बजाय अगर हमारे विभाग का ध्यान आकर्षित कर दिया करें कि फलां प्रश्न दुबारा पूछा गया है तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

सदस्यों द्वारा उपस्थिति दिखाने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजने के संबंध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--एक बात और भी मैं सदन में माननीय सदस्यों के सामने कह देना चाहता हूं कि मेरे पास अभी बहुत से सदस्यों की तरफ से यह प्रार्थना की जाती है कि हम फलां रोज हाजिर थे, लेकिन दस्तखत करना भूल गये। एक-एक दो-दो करके मैंने ऐसी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। लेकिन कई दिनों के बाद अगर प्रार्थना आये तो मैं माननीय सदस्यों का तो अविश्वास नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह उचित नहीं होगा कि सदन की बैठक तो समाप्त हो जाय और सदस्य अपने घर चले जायं और महीने भर बाद फिर लिखें कि फलां तारीख को हम हाजिर थे। एक तो इतना मेरी स्मरण शक्ति के ऊपर जोर नहीं दिया जा सकता और दूसरे इस किस्म के गैर हाजिरी के मामले अदालत में भी चलते हैं, इसमें मुझे बड़ी कठिनाई हो जाती है कि क्या करूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य रोजाना दस्तखत कर दिया करें और ऐसी गलती कम हों तो बहुत अच्छा है।

विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में संशोधनार्थ समिति नियुक्त करने की आवश्यकता की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय केशव गुप्त जी ने मुझे पत्र लिखा है कि प्रक्रिया नियमावली को बने हुये तीन वर्ष हो चुके हैं। इस पर कार्य करने से यह अनुभव हुआ है कि इसमें बहुत तब्दीली की आवश्यकता है और बिजनेस कमेटी और कमेटी आफ एश्योरेंस, जैसी कि केन्द्रीय पार्लियामेंट में है, बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, यानी जैसी कि लोक सभा में बनाई गई है। उनकी राय में इसके निर्माण से कार्य में बहुत सुभीता होगा; उनके बनाने का हमारी प्रक्रिया नियमावली में कोई प्रबन्ध नहीं है। अतः मुझसे उनका निवेदन है कि मैं नियमावली संशोधित करने के लिये शीघ्र से शीघ्र एक कमेटी सदन की बैठाऊं और विधान सभा की जो दूसरी बैठक हो उसमें वह कमेटी रिपोर्ट पेश करे। मैंने सूचनार्थ इसको सदन के सामने रखा है। जो संशोधन के लिये हमारे यहां बने हुये हैं उनके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सरकार की तरफ से विरोधी दल से परामर्श होकर अगर एक समिति बना दी जाने का प्रस्ताव हो तो मैं समझता हूं कि सदन उसको स्वीकार कर लेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां इस समय बैठे हैं, उनकी राय ले ली जाय, कि नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं?

*मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं कि नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, मगर बग़ैर देखे मैं नहीं कह सकता कि जिन विषयों के सम्बन्ध में श्री केशव गुप्त जी ने लिखा है उनके बारे में आवश्यकता है या नहीं, या होनी चाहिये या नहीं। इसके बारे में यह न समझा जाय कि मैंने कोई बात स्वीकार की, क्योंकि मैंने वह देखी नहीं है। लेकिन उन पर विचार करने की और नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है और ऐसी कोई समिति बनाई जाना वांछनीय है।

श्री अध्यक्ष—माननीय केशव गुप्त जी ने यह तो उदाहरण रूप में दिया है। उनके दिमाग में केवल यह है कि नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है एक समिति बैठा कर!

शनिवार, १५ मई, १९५४ को विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू०पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं हुआ करती तथापि उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को यथासमय पारित करने और आपकी इजाजत हो तो यह भी जोड़ना चाहता हूं कि तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४ एवं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को प्रवर समितियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक ११ बजे सुबह से १५ मई, १९५४ ई० को भी जो शनिवार है, होगी।

इसके बारे में अधिक कहना नहीं है। वह आपस में इस तरीके की बातचीत हो चुकी है और यह जो आखिर में ४ बिल लिखे गये हैं कि यह सेलेक्ट कमेटी में जायेंगे, उनका मैंने जिक्र कर दिया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार शनिवार को विधान सभा की बैठक नहीं हुआ करती। तथापि उत्तर प्रदेश विधान सभा मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को यथा समय पारित करने तथा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, लखनऊ यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४, एवं उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५४ को प्रवर समितियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक ११ बजे सुबह से १५ मई, १९५४ ई० को भी जो शनिवार है, होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४*
खंड २८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 के उपखंड (1) के भाग (k) की पंक्ति २ में शब्द "buildings" के पश्चात "other than thatched houses or structures" रख दिया जाय।

अगर हम जो अट्ठाईसवीं प्रस्तुत धारा है और जिसमें बहुत से टैक्स लगाये गये हैं, यदि उसकी धारा को देखते हैं और जो उसमें प्रस्ताव रखा गया है उसकी तरफ विचार करते हैं तो वह धारा इस प्रकार हो जायगी, कि:

"a tax, not exceeding such rate as may be prescribed, on buildings other than thatched houses or strucutres owned by persons who do not pay any of the aforesaid taxes and whose annual income exceeds three hundred rupees."

अध्यक्ष महोदय, इसके रखने का अभिप्राय यह है कि जब हम इस टैक्स की तरफ जाते हैं तो जिन लोगों की ३०० रु० या उस से अधिक आमदनी है उन पर टैक्स लग ही जायगा। गांव में कोई भी आदमी चाहे वह मजदूर हो, चाहे गरीब हो या कोई भी हो, उसकी आमदनी ३०० रुपये या उससे अधिक अवश्य होगी। ३०० रुपये का अभिप्राय है २५ रुपया महीना यानी १४ आने रोज, जो कि एक मजदूर भी पाता है। तो यदि हम इस क्लाज को लिख देते हैं या इन शब्दों को जोड़ देते हैं, तो इसका यह अर्थ हो जाता है कि इस प्रकार के व्यक्ति जिनके पास में मकान है तो सही, लेकिन इतनी बुरी हालत में हैं जिसमें वह किसी तरह अपनी गुजर करते हैं या जिनके मकानों के ऊपर फूस पड़ा हुआ है, छतें नहीं हैं इस तरह के मकान जो टूटे-फूटे हैं और उनकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि वह उनको बनवा सकें तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को इस टैक्स से बरी कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यदि हम इस क्लाज को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मान लीजिये एक आदमी है, गांव में रहता नहीं है और गांव में उसका मकान है, वह कहीं और स्थान पर रहता है, तो चूंकि इसमें वह आदमी मकान रखता है उस पर भी इस प्रकार का टैक्स लग जायगा। इसके अन्दर जो और टैक्स दिये हुये हैं उनकी बहुत सी कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में से किसी एक के अनुसार एक आदमी पर टैक्स लगा हुआ है और उसका बहुत अच्छा मकान है तो वह आदमी अच्छा मकान रखते हुये भी इससे बरी हो जायगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम गरीबों की दशा की तरफ जाते हैं तो वास्तव में वे बहुत बुरी अवस्था में हैं और गरीब होने के नाते उनके मकान इतने अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से कि वे टैक्स दे सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस संशोधन को जोड़ देंगे तो उन घरों पर जिन पर छप्पर पड़ा हुआ है या जो टूटे-फूटे पड़े हुए हैं उन पर टैक्स नहीं लग सकेगा और वे इससे वंचित हो सकेंगे।

††**स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज ख्याल हो रहा है कि बड़े टैक्स लग रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी को जितनी जल्दी हम दूर कर सकें उतना ही अच्छा है। जितनी भी ये लम्बी-चौड़ी बातें गिनायी गईं, वह टैक्स नहीं है, वह सर्विसेज जो कि रेंडर की जायंगी उनकी एवज में मजदूरी है। तो कई चीजें तो ऐसी हैं जो अब तक सर्कमस्टांसेज और प्रापर्टीज टैक्स की एक शक्ल थी जिसमें २५० रु० तक का ख्याल

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
†११ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
††वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकता था, गांव वालों पर से वह निकाल दिया गया और वही अकेली एक ऐसी चीज है जिसका कि बोझ इतना ज्यादा हलका हो गया है कि बाकी और जो चीजें हैं वे उसके सामने कुछ भी नहीं हैं और वह बहुत छोटी-छोटी हैं। अब जो इस वक्त प्रश्न है वह यह है कि और लोगों पर कुछ न कुछ गांव का टैक्स लगा या कोई उनको देना पड़ा क्योंकि ज्यादातर तो इसमें फीस है, टैक्स बहुत कम है। तो अगर फीस देनी पड़ी तो कुछ लोगों ने दे दी, कुछ बाकी रह गये। अब जो बाकी रह गये, उनसे भी हम लेना चाहते हैं या नहीं, यह सवाल है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी कैटेगरी में न आते हों। मैं नहीं जानता कि एक मनी लैंडर जो कि किसी कैटेगरी में न आवे और कुछ रुपया कमाता हो उससे भी गांव सभा कुछ ले या न ले। इसलिये इसमें यह रखा गया कि एक वह टैक्स उन लोगों पर लगाया जाय जिनकी कम से कम ३०० रुपये या उससे ज्यादा आमदनी हो और जिन्होंने और कोई टैक्स न दिया हो। इसलिये मेरा यह ख्याल है कि अगर कोई और टैक्स गांव सभा को कोई न देता हो और २५ रुपये मासिक उसकी आमदनी हो तो उसको भी गांव सभा के फंड में कुछ देना चाहिये। इसी ख्याल से यह रखा गया है। अगर इसमें दूसरे लोगों को देना पड़े और कुछ लोगों को न देना पड़े तो यह मुश्किल हो जायगा। इसलिये यह संशोधन कि थैच्ड हाउसेज और स्ट्रिक्टर्स के अलावा हो, तो यह तो करीब-करीब सभी हैं। पक्के मकान गांवों में बहुत कम होते हैं। इसमें बड़ी मुश्किल हो जायगी कि थैच्ड हाउस की परिभाषा कैसे की जाय। एक दीवार है और बाकी पूरा फूस का मकान बना हुआ है या सिर्फ छप्पर ऊपर है। यह सारी दिक्कतें होंगी। इस तरह का कानून नहीं होना चाहिये जिससे गांव वालों को इंटरप्रिटेशन में झंझट हो। आमदनी जो भी निश्चत कर दें वह पारिभाषित होगी। लेकिन मकान की कैसी शक्ल हो वह गांव में बड़ा मुश्किल होगा और उसमें अन्याय होने का डर है। इसलिये यह रहने दिया जाय कि तीन सौ की आमदनी तक तो टैक्स न लिया जाय लेकिन अगर तीन सौ से ज्यादा आमदनी हो और कोई टैक्स न देता हो तो उससे टैक्स ले लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय विरोधी दल और सरकारी दल में यह समझौता हुआ था कि यह विधेयक ज्यादा से ज्यादा १५ तारीख तक पास हो जाय तो उसमें यह बात भी निश्चित हुई थी कि सरकारी दल के कोई भी सदस्य संशोधन मूव नहीं करेंगे और उस आश्वासन का उल्लंघन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने तो यह समझौता नहीं आया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—लेकिन माननीय मंत्री जी इसको इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अवैधानिकता थी इस वजह से सदन के सामने नहीं रखा। लेकिन माननीय मंत्री जी अपने को नियंत्रित करने पर काबू नहीं पा रहे हैं और हमारी सज्जनता का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिये आपके सामने रख रहा हूं और आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि अपने दल के लोगों को कंट्रोल करें। मैं दो दिन से देख रहा हूं कि सरकारी दल की ओर से तमाम संशोधन पेश हो रहे हैं। अगर यही हालत रही तो समझौता भंग होने की आशंका है।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसीलिये पहले सदन को सुझाव दे दिया था। एक तो यह दलों के नेता मेरे पास लिख कर भेज दें कि वह किन-किन संशोधनों पर विवाद चाहते हैं। इससे जल्दी आगे बढ़ने में आसानी हो सकती है। फिर यह भी हो सकता है कि एक दो सज्जन बोलें और क्लोजर मूव हो जाय। इस तरह से मैं जो कुछ बातचीत हुई है उसको कार्यान्वित करने के लिये सहूलियत दे सकता हूं। कई तरीके उसके हो सकते हैं। मैंने इसी नजर से कि यह सवाल पैदा होगा, यह सुझाव दिया था कि कृपा करके आप मुझे यह बता दें कि कौन कौन से

[श्री अध्यक्ष]

संशोधन विरोधी दल चाहता है, कि जिन पर थोड़ा सा अधिक विचार हो जाय। जहां तक आपने सुझाव दिया माननीय स्वशासन मंत्री इस पर विचार अवश्य करेंगे, यह मैं समझता हूं।

*श्री मोहनलाल गौतम --माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं जब यह बात हो रही थी तो चूंकि सदन में मेरी आवश्यकता थी, मैं चला आया था। अगर कोई ऐसी बात समझौते की है तो वह पूरी होनी चाहिये। लेकिन मुझे कम से कम यह बताया नहीं गया। सज्जनता से नाजायज फायदा उठाने की मेरी कोई नीयत है नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के मेम्बर तो अपने संशोधन नहीं पेश कर रहे हैं, यह अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा। फिर भी मैं आपके द्वारा निवेदन कर दूं कि जहां तक हो कम से कम संशोधन यहां पेश किये जायं। और इतना मैं और कह सकता हूं कि अगर कोई संशोधन पेश भी हो जाय तो उसको आप मेरा उत्तर लेने के बाद उस पर वोट ले लें जबतक सदन की ज्यादा इच्छा न हो और कोई साहब बोलने के लिए खड़े न हों तो बहुत आसानी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--यह सुझाव अच्छा है। मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्य स्वयं अपना नियंत्रण कर लें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री धर्म सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जितना मुख्तसर में हो सके कहें और उपदेश का भाग छोड़ दें।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) के भाग (k) की पंक्ति ४ व ५ में शब्द "three hundred rupees" के स्थान पर शब्द "six hundred rupees" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन को रखने से यह आशय है कि हमारे देहात में रहने वाले भाइयों की आय बहुत कम है और बहुत मुश्किल से वे गुजारा कर पाते हैं। एक घर में कई-कई लोग रहते हैं और रोजगार ठीक न होने के कारण उनके सामने खाने, कपड़े और मकान की समस्या हमेशा बनी रहती है और बड़ी कठिनाई उनके सामने रहती है। वह अपने परिवार का जो आय उनकी होती है उसमें ठीक तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। इतनी अधिक गरीबी वहां है कि आमदनी का कोई पैमाना हम नहीं लगा सकते कि किस आदमी की क्या आमदनी होगी, और इससे टैक्स में बड़ी भारी गलतियाँ होने का अन्देशा है। जब तक हर एक की आमदनी की जांच न कर लें तब तक ३०० रुपये पर टैक्स लगाना उचित नहीं प्रतीत होता। मैं तो माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो ३०० रुपये रक्खे हैं उसके स्थान पर ६०० रुपये की आमदनी पर टैक्स लगायें क्योंकि देश में गरीबी बहुत है और अखराजात को ध्यान में रखते हुये हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो शख्स अपने परिवार के ५, ६ मेम्बरों के खाने, पहनने और रहने का प्रबन्ध ठीक से नहीं कर सकता वह ३०० रुपये पर टैक्स कैसे दे सकता है। लिहाजा उसके ऊपर ६०० रुपये की आमदनी तक कोई टैक्स न लगे। यही मेरा मुख्तसर से शब्दों में संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे अफसोस है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामदास आर्य--अगर माननीय मंत्री जी बिना कारण बताये नहीं मानते हैं तो मैं खेद के साथ वापस लिये लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) के भाग (k) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"Provided that taxes under sub-section (1) under the heads *a*, *b*, *c*, *d*, and *e* will be levied only where the annual income of the persons concerned exceeds rupees three hundred per assessee."

अध्यक्ष महोदय, जिस ए, बी, सी, डी का जिक्र किया गया है, वह इस प्रकार है:--

"(*a*) in areas where the rights, (titles and interest) title and interest of intermediaries have been acquired under section 4 of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, a tax on land not exceeding one anna in a rupee on the amount of land revenue payable therefor."

श्री अध्यक्ष--इन उपखंडों को माननीय सदस्य खुद पढ़ लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--बी में इसी प्रकार लैन्ड रेवेन्यू का जिक्र है। सी में ६ रुपये से मेक्जिमम रखा गया है और डी में भी इसी किस्म की बात है। मैंने यह व्यवस्था रक्खी है कि जिन लोगों की आमदनी साल में कम से कम ३०० रुपये न हो उनके ऊपर किसी प्रकार के ए, बी, सी, डी और ई में टैक्स न लगाये जायं।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो उपधारा विचाराधीन थी उसमें जहां तक आमदनी का सवाल है उसमें यह था कि अगर कोई आदमी किसी किस्म का टैक्स न देता हो, अगर उसके पास मकान बच गया हो तो इस विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि अगर उसकी आमदनी ३०० रुपये हो तो उसकी आमदनी पर टैक्स लिया जायगा। अभी इस सदन में दो दिन पहले एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स विधेयक उपस्थित हुआ उसमें यह लिखा गया है कि जिस किसान की आमदनी ४,२०० रुपये वार्षिक की न हो जाय उससे इन्कम टैक्स नहीं लिया जाय और साधारण व्यक्तियों पर यह है कि जिसकी आमदनी ४,२०० रुपये की हो तो उस आमदनी तक छूट दी गयी है। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल इन्टरप्राइज के लिये जिन पूंजीपतियों की आमदनी ३ लाख तक की हो तो उस आमदनी तक छूट का प्राविजन है और इस प्रकार से इनको भी टैक्स देने से मुक्त किया गया है। ऐसी हालत में पूंजीपति जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं उनको भी ३ लाख तक छूट है, किसानों के लिये ४,२०० रुपये तक की छूट है और साधारण व्यक्ति के लिये भी ४,२०० रुपये तक की छूट है। तो इस विधेयक में भी जो किसी किस्म का टैक्स दें उन व्यक्तियों के लिये ३०० रुपये तक की छूट का प्राविजन होना चाहिये कि जिनकी आमदनी ३०० रुपये तक की है उनसे टैक्स नहीं लिया जायगा और इतनी थोड़ी आमदनी वाले से टैक्स लेना एक गैरमुनासिब मालूम होता है। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि हमारे गांव के लोग बड़ी दयनीय दशा में रहते हैं। अगर इस प्रकार से सीमा उनकी बांध दी गयी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, अभी कल मुझसे जेगोस्लाविया के फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि पहले ही दिन जब हम गवर्नमेंट में आये थे तो यह कानून बना दिया था कि सारे उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण होगा। इतना हिस्सा तुमको राष्ट्रीय फंड के लिये देना होगा जिससे देश उन्नति कर सके। यहां पर तो कांग्रेस सरकार सारे ही प्रांतों में है तो अगर इस प्रकार से

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इन्तजाम किया जाय तो देश जल्दी उत्थान कर सकता है। आपने देखा होगा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने और मैंने कई संशोधन इस प्रकार के पेश किये कि २५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू का सरकार ग्राम पंचायतों के लिये दे और ग्राम निर्माण के लिये दे लेकिन उसको सरकार ने अस्वीकृत कर दिया। तो ऐसी हालत में अगर हम टैक्स लगाने की बात मान लें तो यह स्वाभाविक है कि जिसकी आमदनी ३०० रुपये से कम हो उससे टैक्स न लिया जाय। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दलील माननीय स्वशासन मंत्री जी को नहीं दी जा सकती है, वह कम से कम यह प्राविजन इसमें और जोड़ दें कि ३०० से कम आमदनी वाले पर यह टैक्स नहीं लिया जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, जो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की मिसाल दी गयी वह यहां पर ठीक नहीं बैठती। रामनारायण जी ने यह नहीं बताया कि लगान और मालगुजारी क्या उन लोगों से नहीं ली जाती जिनकी आमदनी ३०० रुपये नहीं है या उनसे अबवाब नहीं लिया जाता है ? उनसे मालगुजारी भी ली जाती है और अबवाब भी लिया जाता है। अगर मिसाल दी जा सकती है तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की दी जा सकती है। मेरे ख्याल में इसका कहीं पर भी एक्जम्पशन नहीं है। फी दो चीज के लिये ली जाती है। एक तो यह कि जिसको उस चीज पर कंट्रोल करने का अधिकार होता है ताकि वह बिलकुल स्वतंत्र रूप से वह चीज न चले और दूसरे जो सर्विस दी जाती है उसका खर्चा भी कोई अन्दाज उसमें होता है यह यहां पर फीस है टैक्स नहीं है। इसलिये यहां पर यह मिसाल कुछ ठीक नहीं बैठती है इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गवर्नमेंट को लगान दिया जाय या नहीं और लगान वसूल किया जाय या नहीं, इसके विषय में हमारी तरफ से काफी घोषणा हो चुकी है और हमारी तरफ से कांग्रेस अग्रेरिरियन रिपोर्ट के उद्धरण देकर यह बताया गया कि इस बात की सिफारिश उसमें की गयी है कि जिनके पास अलाभकर जोत है उनसे लगान न लिया जाय। लेकिन अब सरकार अपने पहले वादों से जो उसने पहले किये उनसे मुकरती जा रही है लेकिन हम उनको नहीं भूलते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि अलाभकर जोत वालों से टैक्स न वसूला जाय तो हमें खुशी होगी। हम लोगों ने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में रहते हुये उस पर विचार किया था। यह कोई दलील नहीं है कि चूंकि उन पर लगान लिया जाता है तो ये टैक्स भी लगाये जावें। ३०० रुपये से कम आमदनी वालों पर टैक्स लगाना एक बड़ी समस्या पैदा कर देगा। ३०० रुपये से ज्यादा वालों पर ही टैक्स लगाना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) के भाग (K) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"Provided that taxes under sub-section (1) under the heads *a*, *b*, *c*, *d* and *e* will be levied only where the annual income of the persons concerned exceeds rupees three hundred per assessee."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खंड २८ में प्रस्तावित नई धारा 37 की उपधारा (1) के भाग (K) को निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जाहिर किया था कि ये टैक्स नहीं हैं, ये कुछ फीस हैं, रेट्स हैं उन सर्विसेज़ के लिये जो कि ग्राम सभायें सप्लाई करती हैं और जो टैक्सेज़ हैं, ए, बी, सी , डी इत्यादि, उनके अन्दर तो मैं कुछ तर्क समझता हूं कि कुछ ऐसे हैं जैसे फीस और रेट्स जिसकी वजह से ग्राम सभा टैक्स देने वालों को कुछ सेवायें देती हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे लैंड रेवेन्यू टैक्स जो, जिनकी ग्राम सभा के अन्दर जमीन है उनसे लिये जाते हैं। कुछ ऐसे टैक्सेज़ हैं जो उन लोगों पर हैं जो ग्राम सभा के अन्दर आमदनी पाते हैं जैसे ट्रेड्स और कालिंग पर। लेकिन जहां तक इस उपधारा का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझ सकता हूं कि किस आधार पर माननीय मंत्री जी ने यह टैक्स लगाया। अगर मैं यह समझूं कि किसी बिल्डिंग की रैंटल वैल्यू लेकर यह टैक्स लगाया जायगा तो भी कुछ तर्क हो सकता है। लेकिन बिल्डिंग तो इसमें नाममात्र के लिये रखा हुआ है। असल में यह आयकर होगा। जहां तक अरबन एरियाज़ के लिये सरकार की नीति है, सरकार हरिजनों के लिये टाउन एरियाज़ और म्यूनिसिपैलिटीज़ को पैसा दे रही है। और कोशिश करते हैं कि अच्छे मकान बनाये जायं, लोग अच्छे घरों में रहें लेकिन गांवों में सरकार चाहती है कि कोई मकान न बने इसलिये जो मकान बनाये जाते हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है। मैं यह मानता हूं कि मंत्री जी ने कह रक्खा है कि बशर्ते कि अन्य टैक्स न देता हो। क्या मंत्री जी ऐसे व्यक्तियों की कल्पना कर सकते हैं कि किसी का मकान एक ग्राम सभा में है और वह दूसरी ग्राम सभा में मजदूरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, तिजारत करता है तो क्या उस पर डबल टैक्सेशन न होगा? क्या जिन लोगों के मकान पर उनके स्त्री-बच्चे रहते हैं और वे बाहर नौकरी करते हैं, उन पर डबल टैक्सेशन नहीं होगा। काश्तकारों में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ३०० रु० सालाना या २५ रुपये से अधिक माहवार कमाते हैं। ३० रुपया माहवार आमदनी ही ३०० रुपये से ज्यादा हो जाती है, वे दूसरी गांव सभा में रहते हैं और वहां पर व्यवसाय करते हैं, उनसे टैक्स ले लिया जायगा। घर पर जो उनका मकान है उस पर टैक्स ले लिया जायगा। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति कम से कम हरिजनों में बहुत हैं चाहे उनके मकान कच्चे हों या झोंपड़े हों। वे लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा साधन उनके पास नहीं है। उस हालत में उन लोगों के मकानों पर भी टैक्स लग जायगा और उनके साथ यह अन्याय होगा। उनको ऐसे मकान को छोड़ देना पड़ेगा जिससे कोई आमदनी उसे नहीं होती। मैं समझता हूं कि इससे सरकार की आमदनी तो ज्यादा न होगी बल्कि गरीब लोगों पर बोझा अधिक हो जायगा। खास कर हरिजनों पर बहुत अधिक भार पड़ जायगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको हटा देंगे ताकि उन लोगों के प्रति जो अन्याय होगा वह दूर हो जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, बिष्ट जी ने जो कुछ कहा वह मैंने गौर से सुना। दो बातें हैं एक तो यह कि कोई भी फीस न दे, लेकिन जिनके पास मकान हैं जिनसे काफी कमाई होती है तो फिर कौन सी तुक है कि वह कुछ न दें और बाकी लोग गांव के फंड में कुछ दें। जो आदमी किसी भी रूप में कोई कर नहीं देता है और जिसकी आमदनी ३०० रुपये से ज्यादा है उसको ही कुछ देना पड़ेगा। हाउस की रैंटल वेल्यू से इसका कोई मतलब नहीं है। अगर कोई एक जगह रहता है और दूसरी जगह काम करता है तो हम इस बात को देखेंगे कि उस पर डबल टेक्सशन न हो जाय।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा मतलब डबल टेक्सेशन न होने से ही था। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री वीरसेन (जिल मेरठ)— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(3) Notwithstanding anything contained in the provisions of sub-section (2) the following procedure shall be adopted in assessing and imposing taxes or fees :

(*a*) The Gaon Panchayat shall form a taxation committee consisting of not less than five persons including a member of scheduled castes to prepare proposals for levying taxes or fees under this act.

(*b*) The Committee on being constituted, shall prepare proposals and submit the same to the Pradhan, who on receiving the proposals, hang them at some conspicuous place for inspection and objections, within the time prescribed and shall fix a date for hearing the objections.

(*c*) The Pradhan after hearing the objections place the proposals as modified by him if necessary before the Gaon Panchayat and the latter shall by a special resolution recommend the same with such modifications as it deems necessary for the approval of the Gaon Sabha.

(*d*) The Pradhan shall call a special meeting of the Goan Sabha and place before it the proposals as recommended by Gaon Panchayat for its approval. The Gaon Sabha may approve, disapprove or modify as it deems fit.

(*e*) The proposals as approved or modified by the Gaon Sabha shall be forwarded to the prescribed authority for its approval. The prescribed authority may either of his own accord or on a complaint from any member of the Gaon Sabha that the taxes have not been justly imposed, invite further objections and after taking the same into consideration approve, disapprove or make such changes in the proposals as it thinks fit.

(*f*) After the approval of the proposals by the prescribed authority, the proposals shall be made public by beat of drums and hanging them at some conspicuous place and after such publication the proposals shall be considered as taxes or fees levied by the Gaon Sabha."

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल अधिनियम की धारा ३७ है उसकी उपधारा (३) में इस तरह का प्राविजन है जैसा कि उपधारा (२) में रखा गया है । और उसके मातहत ऐसे नियम बने हैं कि किस तरह से टैक्स लगाये जायंगे । लेकिन उन रूल्स के होते हुए भी ऐसी परेशानियां रही हैं और ऐसी गलतियां होती रही हैं कि लोगों के ऊपर टैक्स लग गया और टैक्स लगने के बाद में उनको यह पता तक नहीं चला कि टैक्स किस तरह से लगा। आखिर जब टैक्स लगने पर उनको नोटिस नहीं मिलती किसी तरह की, तो ऐसे मौके पर जो टैक्स रिअलाइज करने के लिये वारंट ईश्यू होता है तब जाकर उनको पता चलता है कि मेरे ऊपर टैक्स लगा है

और उसे पे करना चाहिये। तो सारी चीजों के होते हुए भी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाय उस आदमी को इनफारमेशन होना चाहिये और उनको पब्लिश करना चाहिये। इसीलिये रूल्स पर अमल नहीं हो सका और उनका अमल न होने की वजह से उस आदमी पर टैक्स भी लगा और उस पर फीस भी देनी पड़ी। तो जितने भी रूल्स हैं वे प्रैक्टिकल नहीं हैं। या तो सेक्रेटरी महोदय बैठकर लिस्ट तैयार कर, अपनी मर्जी से, या एक आदमी गांव का जो प्रभावशाली है उसने बैठकर, दबाव देकर, उस आदमी पर टैक्स लगा दिया जिसने किसी दिन उसकी बात नहीं मानी। तो बहुत से लोग पुराने जलन और बैर की वजह से भी बदला निकालने का एक अच्छा मौका सोच कर उन लोगों पर टैक्स लगा देते हैं। ऐसे प्रभावशाली आदमी इस मौके पर गरीब आदमियों पर टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसी हालत में वे कामयाब होते हैं चूंकि वे प्रभावशाली होते हैं। तो यह चीज खासतौर से देखने की है कि गांव के आदमी बे पढ़े लिखे होते हैं। उनको कानून और नियम का कुछ पता नहीं होता है। कब आब्जेक्शन व एतराज करना चाहिये इसकी खबर उनको बिल्कुल ही नहीं होती। उनको इसका भी पता नहीं होता कि कब टैक्स लगा और कब टैक्स के लिये प्रपोजल रखा गया था। तो इस तरीके से उन सारी चीजों के आब्जेक्शन आदि के लिये नियम बने हुए हैं लेकिन उनसे जनता फायदा नहीं उठा पाती। तो इसलिये कोई ऐसा जरिया अख्तियार करना चाहिये जिससे हर गांव के आदमी को पता हो कि उसके ऊपर कितना टैक्स लगा है। इन सारी कमियों को दूर करने के लिये ही मैंने इस संशोधन में यह प्रोसीजर पेश किया है और मैंने इसमें ऐसी चीज रखी है कि जिससे यह तमाम कमियां दूर हो जायंगी। इसमें खास बातें यह हैं कि पहले एक टैक्सेशन कमेटी बनाई जाय और वह ५ आदमियों के हाथ में हो। इसके बनने से यह होगा कि ५ आदमी मिल कर फैसला करेंगे और गांव के किसी एक आदमी का ही प्रभाव न हो सकेगा और चूंकि ५ आदमी मिल कर काम करेंगे इसलिये वे कोई अन्यायपूर्ण टैक्स न लगावेंगे और कोई काम किसी प्रिजुडिस के कारण न हो सकेगा। दूसरे यह कि फिर वह प्रोपोजल्स प्रधान के पास जायंगे और वह उनको पब्लिश करेगा और आब्जेक्शन्स उन पर इनवाइट करेगा और अगर उसको कोई चीज माडिफाई करनी होगी तो उसको करके वह गांव पंचायत के सामने रखेगा, गांव पंचायत उसको ठीक करके किसी स्पेशल मीटिंग में गांव सभा की मंजूरी के लिये रक्खेगी और इस तरह से उसकी तमाम कमियां दूर होती चली जायंगी और इसमें खास बात यह होगी कि वह चीज वहां के हर आदमी की नालेज में आ जायेगी। इस तरह से यह टैक्स कोई छोटी-मोटी कमेटी द्वारा न लगकर लोगों की जानकारी ही में लगेंगे और किसी को बाद में शिकायत का मौका न होगा क्योंकि हर एक को पहले से ही पता होगा कि यह टैक्स लगाये जा रहे हैं और इस तरह से वसूलयाबी में भी कोई दिक्कत न होगी क्योंकि वह इस तरह से अनएवेयर न रहेंगे।

मैं समझता हूं कि अगर यह तरीका सरकार रखेगी तो हमारा जो गांव की रिपब्लिक बनाने का सिद्धान्त है वह भी लागू हो जायगा क्योंकि वह लोग स्वयं ही टैक्स लगावेंगे और कोई छोटी-मोटी कमेटी न लगावेगी। जहां ज्यादा तादाद हो वहां चाहे मुमकिन न हो लेकिन गांवों में तो सब आसानी से इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने आखिर में प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के बारे में भी प्रस्ताव किया है कि अन्त में वह संशोधन होने के बाद उसके पास जायं और अगर फिर भी कोई ग़लत टैक्स हो तो वह उसको माडिफाई, एप्रूव या डिसएप्रूव करे। इस तरह से आखिर तक सारी की सारी कमियां दूर हो जायंगी और हम अपने गांवों में एक आइडियल विलेज रिपब्लिक बना सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम---अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में दूसरा संशोधन श्री जोरावर सिंह का है वह भी पेश हो जाय तो अच्छा है साथ ही बहस हो।

श्री अध्यक्ष---मैं भी यही कह ही रहा था।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी श्री वीरसेन जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अव्वल तो बात यह है कि टैक्स देना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसके अलावा उनकी वसूली में जो अब तक गांवों में दिक्कत हुई उसका कारण यह है कि उन टैक्सेज़ की जानकारी वहां की जनता को पहले से नहीं हो पाई है। इसलिये जैसा कि कहा गया गांव के ५ आदमियों की एक कमेटी बनाई जाय और वह प्रधान के सामने प्रोपोज़ल लाए और प्रधान उसको नोटिफाई करे या संशोधन करना चाहे तो करे और गांव पंचायत के सामने रखे और गांव पंचायत भी अगर संशोधन करना चाहती है तो वह अपनी स्पेशल मीटिंग गांव सभा की बुलाए और उसको गांव सभा के सामने लाए और अगर उसको गांव सभा पास कर दे तो उसको फिर प्रेस क्राइब्ड अथारिटी की स्वीकृति के लिए भेजा जाय और अगर वह आब्जेक्शन फिर चाहे तो मांग सकती है और उसके बाद जो अन्तिम रूप में वह स्वीकृत करे वे टैक्स लगाये जायं और इस तरह से अगर जनता को पहले से उन टैक्सेज़ के बारे में मालूम हो जायगा तो वसूली सहूलियत से होगी। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बातें इस संशोधन के समर्थन में कही गई हैं उनकी भावना से मैं सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि कोई टैक्स इस तरह से न लें जैसे सेक्रेटरी लगाता है और लोगों को पता न हो या लोगों की रजामन्दी से वह न लगे। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो दिये गये हैं कि इस तरह से टैक्स लगाये जायं :

"If the Panchayat resolves to impose any tax under section 37, it shall proclaim the purport of the resolution for the information of the persons concerned and invite their objections either by beat of drum or by written notices affixed to some conspicuous places in its area or by both within a fortnight from the date of such proclamation. The resolution shall be considered along with the objections received at a meeting to be held for the purpose. If it is decided to impose the tax, the proposal, together with the objections, if any, shall be forwarded by the Panchayat to the prescribed authority for approval."

तो यह सब चीजें हैं इसलिये मैं इसकी भावना से सहमत हूं लेकिन इनके लिये यह स्थान नहीं है रूल्स का है। रूल्स बनते वक्त इसमें कई ऐसी चीजें आ गई हैं और अगर कोई बाकी होंगी तो उन पर भी विचार कर लिया जायगा लेकिन इसको इस तरीके से ऐक्ट में लाने की जरूरत नहीं है।

श्री वीरसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही चाहता था कि कोई ऐसा प्राविजन हो कि जिससे जो गांव वाले हैं उनको टैक्स लगने से जो परेशानियां होती हैं, अनजाने टैक्स लग जाता है उनको पता नहीं चलता, दूर हों। अगर माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रूल्स में जो प्रोसीजर मैंने टैक्सेशन के लिये पेश किया है उसको ऐक्सेप्ट करेंगे तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री व्रजवासी लाल (जिला फैज़ाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित नई धारा 37 (2) की पंक्ति १ में शब्द "taxes" के बाद स्वल्प-विराम " , " और शब्द "rates" बढ़ा दिये जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि यहां केवल शब्द टैक्सेज ही है लेकिन रेट्स का भी वर्णन है इसलिये मैं समझता हूं कि रेट्स का आ जाना जरूरी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित नई धारा 37 (2) की पंक्ति १ में शब्द "taxes" के बाद स्वल्प-विराम " , " और शब्द "rates" बढ़ा दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (2) की पंक्ति २ में से शब्द "in and such manner" निकाल दिये जायं तथा रेखांकित शब्द "and" के स्थान पर 'कामा' रख कर रेखांकित कर दिया जाय।

पूरी धारा यों है :--

"The taxes and fees under sub-section (1) shall be imposed and assessed in and such manner and realised in such manner and at such times as may be prescribed."

मैं समझता हूं कि इसमें शब्द "in and such manner" अनावश्यक आ गये हैं। अगर इन शब्दों को निकाल दिया जाय तो भी पूरा काम चल जायगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (2) की पंक्ति २ में से शब्द "in and such manner" निकाल दिये जायं तथा रेखांकित शब्द "and" के स्थान पर 'कामा' रख कर रेखांकित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९

२९--मूल अधिनियम की धारा ३७ में निम्नलिखित धारायें 37—A 37—D और 37—C के रूप में रख दी जायं--

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धारायें ३७-ए से ३७-डी तक का रखा जाना।

37-B. (1) An appeal against the levy of a tax or feeby the Gaon Sabha shall lie to the prescribed authority.

(2) Where it is brought to the notice of the prescribed authority that a tax or fee has not been imposed on any person on whom it should have been imposed it may

direct the Gaon Sabha to impose it on that person or persons and the Gaon Sabha shall thereupon act accordingly.

Taxes and dues recoverable as arrears of land revenue.

37-C. All dues on account of the taxes imposed and other sums payable to a Gaon Sabha under this Act shall be recovered as arrears of land revenue if the Gaon Panchayat concerned passes a resolution to that effect within three months from the date of assessment :

Provided that where a Gaon Panchayat fails to pass such a resolution within the said period of three months the prescribed authority shall authorize the recovery of the arrears of taxes as arrears of land revenue.

Remission of tax or fee.

37-D. (1) The State Government may remit the whole or part of any tax or fee levied by a Gaon Sabha in respect of a period whether before or after the commencement of the U. P. Panchayat Raj (Amendment) Act, 1954.

(2) The power exercisable by the State Government under sub-section (1) shall also be exercisable either generally or in any specified area by the prescribed authority under such circumstances as the State Government may prescribe.

(3) A Gaon Sabha may by resolution and under such circumstances as may be prescribed remit the whole or part of any tax or fee imposed or levied by it, provided that no such resolution shall take effect unless it is approved by the prescribed authority.

(4) Where any tax or fee has been remitted under sub-section (1) to (3), any sum realized from the assessee on account of the tax or fee so remitted shall be refunded to him by the Gaon Sabha.

श्री ब्रजवासी लाल—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ में प्रस्तावित धारा 37-B की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द "tax" के बाद शब्द "rate" बढ़ा दिया जाय।

शब्द टैक्स के बाद यहां पर 'रेट' का होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित धारा 37-B की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द 'tax' के बाद शब्द 'rate' बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजवासी लाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ में प्रस्तावित नई धारा 37-B की उपधारा (2) की पंक्ति २ में शब्द 'tax' के बाद शब्द 'rate' बढ़ा दिया जाय।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे भी स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित नई धारा 37-B की उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द 'tax' के बाद शब्द 'rate' बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री जोरावर वर्मा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ में प्रस्तावित धारा 37-C के proviso की पंक्ति ३ में शब्द 'shall' और शब्द 'authorize' के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:-

"Suspend the Gaon Panchayat and after getting no reasonable explanation within a month after the date of suspension for the inability to pass such a resolution dissolve the Gaon Panchayat and"

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का यह मतलब है कि गांव सभा जो टैक्स या फ: लगाये वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे । क्योंकि अगर ऐसा कोई बन्धन गांव सभा या गांव पंचायत पर नहीं है तो यह हो सकता है कि टैक्स तो लग जाय लेकिन उसकी वसूलयाबी न हो । तो ऐसी हालत में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को यह अधिकार दिया गया है कि वह इसको as a land revenue डिक्लेयर कर दे कि उसकी वसूली की जाय । मेरे संशोधन का मतलब यह है गांव पंचायत में जो लोग हैं अगर उन्होंने टैक्स लगाया लेकिन अगर गांव सभा टैक्स लगाती है तो उसको एक टाइम दिया गया है कि उसके अन्दर रियलाइज कर लेना चाहिये । लेकिन यदि रियलाइज न कर सके इतने पर भी दूसरा मौका दिया गया है कि तीन महीने के अन्दर ऐसा रिजोल्यूशन पास करके प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को भेज दिया जाय कि यह as arrear वसूल किया जाय । अगर ऐसा न कर सके तो गांव पंचायत को ससपेंड कर देना चाहिये । और एक महीने के अन्दर अगर रीजनेबिल जवाब नहीं देती है तो उसको रिजौल्व भी कर देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं । जैसा कि अभी पिछले वर्ष हमारी पंचायतों की योजना चल रही थी । कितने लोगों पर टैक्स लगाये गये लेकिन बाद में क्या परसेंटेज वसूल हुआ । इसका मुख्य कारण यही गांव पंचायतों की उदासीनता है । गांव सभा ने टैक्स तो लगा दिया लेकिन लोगों ने बुरा बनने के डर से कोई प्रयत्न नहीं किया टैक्स वसूल करने का । तो इस ऐक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें गांव पंचायतों पर जिम्मेदारी कायम की जाय । या तो टैक्स लगाना नहीं चाहिये और अगर लगाती है तो वसूल करना चाहिये । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय गांव पंचायतों की पूर्ण जिम्मेदारी महसूस कराने के लिये मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह संशोधन ठीक बैठता नहीं है । प्रश्न यह है कि टैक्स वसूल किया गया अगर वसूल नहीं किया गया तो 'as arrears of land revenue' वसूल किया जाय । संशोधन कहता है कि अगर टैक्स वसूल न हो तो गांव पंचायत को भंग कर दिया जाय । तो यह इसके साथ जुड़ता नहीं है । लेकिन अगर जोड़ा भी जाता है तो मैं इसे इम्प्रैक्टीकेबिल समझता हूं, क्योंकि टैक्स लगाना एक चीज है और वसूल करना दूसरी । क्योंकि अगर वसूल न हो तो उसको सजा दी जाय किसी और के कसूर के लिये । यह बहुत सख्त हो जायगा, काम नहीं चल पायगा, इसलिये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, 37-C जो है उसमें लिखा हुआ है 'within three months' अगर इस समय के अन्दर रिजोल्यूशन नहीं कर सकती तो इससे अधिक अकर्मण्यता की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जोरावर वर्मा]

हद भी नहीं हो सकती । इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन आवश्यक है और मंत्री महोदय को अवश्य स्वीकार करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित धारा 37—C के proviso की पंक्ति ३ में शब्द "shall" और शब्द "authorize" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :—

"Suspend the Gaon Panchayat and after getting no reasonable explanation within a month after the date of suspension for the inability to pass such a resolution dissolve the Gaon Panchayat and"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि अपने दोनों संशोधन एक साथ पेश कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—पेश कर दीजिये ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ में प्रस्तावित नई धारा 37—C के proviso में वाक्य "authorize the recovery of the arrears of taxes as arrears of land revenue" के स्थान में वाक्य "suspend the Gaon Panchayat" रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—सस्पेंशन का अंश तो खत्म हो गया है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, इसमें और उसमें अन्तर है । उसमें उन्होंने एक महीने का टाइम दिया है लेकिन इसमें वैसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं सस्पेंशन के भाग के लिये तो इजाजत नहीं दे सकता ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—तो मेरा दूसरा वाला संशोधन ले लिया जाय, ६४-ख ।

श्री अध्यक्ष—हां, वह पेश कीजिये ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ में प्रस्तावित नई धारा 37-C की पंक्ति ६ में शब्द "assessment" के बाद "कोलन" का चिन्ह हटा । कर उसके स्थान पर 'पूर्णविराम' रख दिया जाय और तत्पश्चात् आया हुआ सम्पूर्ण proviso हटा दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स के लगाने और उसकी वसूली के संबंध में धारा है । जैसा कि हमको मालूम है टैक्सेज का लगाना गांव सभा के ऊपर निर्भर है । १/५ मेम्बर्स गांव सभा के उपस्थित होने चाहिये और १/५ में अगर मेजारिटी हो जाय तो वह टैक्स लगा सकते हैं । एजन्डे मीटिंग्स के लिये तो कोरम की भी आवश्यकता न पड़ेगी । अब सवाल उठता है कि वसूली कैसे हो । इस धारा के अनुसार यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वसूली ऐज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की जा सकती है । किन्तु प्रोवाइजो बताता है कि ऐज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू के संबंध में गांव पंचायत इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन पास करे । तो इसमें जो मैं आपत्ति उठाता हूं, वह यह है कि जबकि गांव सभा ने उस टैक्स को मंजूर किया और लगाया, उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाद उसकी वसूली के लिये गांव सभा के जो गांव भर के योग्य व्यक्ति हैं उनका यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वे उसके लिये एक रेजोल्यूशन पास करें। अब यहां लिखते हैं कि यदि वह रेजोल्यूशन पास न कर पायें तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी फिर उसको एज एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू वसूल करवायेगी। तो मैं कहता हूं कि यह एक गलत सा कदम दिखता है। आखिर हमको इस बात पर ध्यान देना है कि अगर किसी कारण गलत टैक्स लग गया हो और चाहे सही टैक्स ही क्यों न लगाया गया हो, यदि गांव पंचायत उसकी वसूली के संबंध में एक रेजोल्यूशन पास नहीं करा सकती तो फिर इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को क्या अधिकार है कि वह वहां जाकर इस प्रकार का दखल दे। अगर यह लिखा हुआ होता कि सस्पेंड करके इन्क्वायरी करे और फिर किसी निर्णय पर आये तब तो मैं समझ सकता था। यहां तो इतना ही है कि अगर टैक्स लगाया गया और उसकी वसूली नहीं हुई तो फौरन यह कदम उठाया जायगा कि गांव पंचायत से कहा जायगा कि एक रेजोल्यूशन पास करे और अगर रेजोल्यूशन पास न हो तो वह एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल किया जायगा। इस संबंध में मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि फर्ज कीजिये कि हमारे यहां मंत्रिमंडल टैक्स के संबंध में किसी कारण इस सदन का बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसका मतलब यह हुआ कि इस मंत्रिमंडल के ऊपर इस सदन का विश्वास नहीं है। इसी प्रकार यदि पहले किसी कारण कोई टैक्स लगाना मंजूर हुआ लेकिन उसकी रिकवरी के संबंध में गांव सभा रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाती तो इसका यही मतलब हुआ कि उस गांव सभा के ऊपर अब वहां के लोगों का विश्वास नहीं है चाहे उसमें दो महीने या एक महीने का ही अन्तर क्यों न रहा हो टैक्स लगाने के समय। तो उस अविश्वास के रहते हुए सरकार का यह कहना कि वह गांव सभा ठीक है और उसको मान कर चलना ही पड़ेगा और उस टैक्स को जबरदस्ती वसूल करवाती है यह मैं समझता हूं बहुत उचित बात नहीं होगी। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि या तो इसको हटा दिया जाय और जैसा कि मैं चाहता था और वैधानिक कारण से मैं पेश नहीं कर पाया। सबसे उत्तम यह होता कि इसको ससपेंड कर दिया जाता लेकिन वर्तमान रूप में जो है, उसमें यह है कि पूरा निकाल दिया जाय। विधेयक के द्वारा गांव पंचायतों की अटोनामी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जहां पैसे का सम्बन्ध है जहां टैक्स का संबंध है वहां कुछ हद तक आटोनामी की तरफ जरूर कुछ न कुछ ध्यान देना पड़ेगा। यदि जनता समझती है कि गांव पंचायत उनके विश्वास के योग्य नहीं है तो फिर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से मजबूरन वसूल करना उचित नहीं होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रिजोल्यूशन जो है, सच (such) रिजोल्यूशन का संबंध है कि जो टैक्स वसूल नहीं हो सकता है उनके लिये एज एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू (as arrears of land revenue) के तौर पर वसूल करने का प्रस्ताव पास करें लेकिन अगर कोई गांव पंचायत पास नहीं करती है तो वह सस्पेंड हो जायं यह संशोधन में दिया हुआ है इसका अर्थ यह है कि ग्राम पंचायतें.....

श्री अध्यक्ष--मैंने 'सस्पेंड' शब्दों वाले संशोधन की इजाजत नहीं दी है। यह दूसरा संशोधन है।

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, अगर प्रोविजो निकाल दिया जायगा तो ऊपर जो चीज है, वह पूरी नहीं होती है। 'ऐसे एरियर्स आफ लैन्ड रेवेन्यू' वसूल करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत को पास करना होगा। अगर वह नहीं करेंगी तो नहीं होगा। इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--जो आपत्ति माननीय मंत्री महोदय ने उठाई है मैं उसको मानता हूं इसलिये मैं इसको वापस ले लूंगा। लेकिन मैंने जो और बातें कही हैं उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान रखें क्योंकि मैं चूक गया.....

श्री अध्यक्ष--आप चूके नहीं बल्कि बात यह है कि आप दोनों एक साथ ले रहे थे।

महराजकुमार बालेन्दुशाह---मैं यह कहने वाला था कि मैं पहला पहले ले लूं।

श्री अध्यक्ष---पहला अगर आप ले लेते तो समझ में बात आती लेकिन आपने कहा कि पहला भी लेंगे और दूसरा भी लेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मंत्री जी ने जो प्रैक्टीकल डिफीकल्टीज बतलाई हैं, उनको देखते हुये मैं इसको वापस ले लूंगा ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री व्रजवासी लाल---अध्यक्ष महोदय, यह तो जो मेरा संशोधन है वह शाब्दिक है और वैसे ही आपके अधिकार से हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---(स्वशासन मंत्री जी से) आप इसे स्वीकार करते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय मुझे यह चीज निवेदन करना है कि जो ३७ (डी) है उसमें यह चीज कई जगह आई है। इसलिये जहां-जहां यह आया है वहां सभी जगह इसे ले लिया जाय, तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसमें यह कहीं नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---अध्यक्ष महोदय 37 (3) में भी है और 37 (4) में भी है।

श्री अध्यक्ष---आप इस तरह से पेश कर दें कि खंड २९ में प्रस्तावित नई धारा 37 में जहां शब्द "टैक्स" आया है, उसके आगे शब्द "रेट" और बढ़ा दिया जाय ।

श्री व्रजवासी लाल---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ में प्रस्तावित नई धारा 37 में जहां कहीं शब्द "tax" आया है, उसके बाद शब्द "रेट" और बढ़ा दिया जाय।

यह 37-D में भी आया है और और भी जगह आया है। "C" में भी आया है

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित नयी धारा 37-C और और "D" में जहां कहीं शब्द "tax" आया है, उसके बाद शब्द "rate" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री व्रजवासी लाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा 37-D की उपधारा(1)जैसी कि वह प्रवर समिति संशोधित हुई है, के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें :

"Either generally or for a special area or for a particular person or persons as may be perscribed."

मेरे इस संशोधन से अध्यक्ष महोदय, मतलब यह है कि जिन लोगों पर गांव-सभा ने टैक्स या रेट लगा दिये हैं, उस पर अगर कोई क्लेमिटी आ जाय, जैसे आग लग जाय, बाढ़ आ जाय, उससे नुकसान हो जाय या किसी और प्रकार से क्षति हो जाय तो एक पर्टिकुलर परसन के लिए प्राविजन हो जाय कि वह अपने टैक्स या रेट को माफ करा सके या वह रेमिट किया जा सके। इसलिये मैंने यह पेश किया है।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इसी में कवर हो जाता है क्योंकि जब यह पावर है कि कहीं भी रेमिट किया जाय तो अगर कोई ऐसी खास बात होगी तो आ जायगी और मैं समझता हूं कि रूल्स के वक्त में इसको देख लिया जायगा।

श्री ब्रजवासी लाल--मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपा शंकर)--मैं दोनों संशोधन, अध्यक्ष महोदय, एक साथ पेश किये देता हूं।

खंड २९ के अधीन प्रस्तावित नई धारा 37—D की उपधारा (3) की पंक्ति १ में शब्द "Gaon Sabha" और शब्द "may" के बीच में शब्द "also" रख दिया जाय और पंक्ति ३ में शब्द "any" और शब्द "tax" के बीच में शब्द "such" रख दिया जाय।

इसका अर्थ यह है कि "जहां" पर गवर्नमेंट ने "यह" अख्तियार लिया है कि वह किसी भी टैक्स को, चाहे पहले का हो या बाद का हो, उसको माफ कर सकती है। अब यह पावर गांव सभा को भी दी जा रही है। लेकिन जहां गांव सभा को यह अख्तियार दिया गया वहां यह साफ नहीं था इसलिये इसे यहां रख दिया गया। गांव सभा आलसी रख देने से यह चीज कनेक्ट हो जाती है और मतलब और साफ हो जाता है। गांव सभा भी ऐसा कर सकती है यह अर्थ हो जाता है। इसी तरह से "सच" रख देने से भी समझने में आसानी हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २९ के अधीन प्रस्तावित नई धारा 37—D की उपधारा (३) की पंक्ति १ में शब्द "Gaon Sabha" और "may" के बीच में शब्द "also" रख दिया जाय और पंक्ति ३ में शब्द "any" और "tax" के बीच में शब्द "such" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २९ में प्रस्तावित नई धारा 37—D की उपधारा (३) की पंक्ति ३ के आखीर का "कामा" हटा कर "पूर्णविराम" रख दिया जाय तथा उसके बाद के कुल शब्द निकाल दिये जायं।

माननीय मंत्री जी ने टैक्स, को गांव सभा द्वारा हटाये जाने की व्यवस्था की है। बड़ा अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेज पैदा हो जाती हैं कि जिससे टैक्स को वसूल न करना ही अच्छा होता है। गेरुआ पाला या ओला पड़ जाने से या और किसी तरह से क्षति यदि खेतों में हो जाती है तो टैक्स को रेमिट कराने का अधिकार गांव सभा को होना ही चाहिए, लेकिन जो मैंने संशोधन पेश किया है वह इसलिये है कि उसमें जो प्राविजन रखा गया है कि यह तभी रेमिट होगा जब कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का अप्रूवल प्राप्त हो जाय इसमें कुछ दिक्कत होगी। मैं समझता हूं कि यह प्रयोग में बहुत दिक्कत तलब होगा क्योंकि जब भी कोई क्षति पहुंचती है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

तो उसका रेमिटेंस होना ही चाहिए, लेकिन उसको अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास अप्रूवल के लिए भेजा जायगा तो फिर मुश्किल हो जायगी। हमारे लैंड रेवेन्यू में भी बहुत सी ऐसी दिक्कतें हमेशा सब लोग महसूस करते हैं और उनकी वजह से टैक्सेज के रेमिट होने में बड़ी दिक्कत हो जाती है यह एक मुश्किल बात है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास पहुंचा जाय और उसे बतलाया जाय कि यहां पर क्षति पहुंची है? तो ऐसी भावना से मैंने यह संशोधन रखा था कि गांव वालों को इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े और जहां कहीं भी किसी तरह से क्षति पहुंचे तो वह अपने यहां उस टैक्स को रेमिट कर सकें। यही मैं कहना चाहता था और इसी भावना से मैंने यह संशोधन दिया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस स्कीम का ताल्लुक है इसमें कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि गांव सभा अगर रेमिट करना चाहे तो उसमें कोई रुकावट डाली जाय। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गांव सभा न रेमिट करना चाहे लेकिन जबर्दस्ती रेमिट करा लिया जाय या किसी आवेश के कारण कोई ग़लत काम न हो सके इसके लिये यह प्राविजन किया गया है। और कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि गांव सभा अगर चाहती है कि टैक्स रेमिट होना चाहिये तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत पैदा की जाय। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको रहने दिया जाय।

श्री तेजप्रताप सिंह--मेरी समझ में नहीं आया कि गांव सभा से जोर डाल कर प्रस्ताव करा लिया जायगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब कोई क्षति होती है तब टैक्स को हटाना चाहिए। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सही चीज कैसे जान सकती है। कैसे इन्क्वायरी कर सकती है और तब वह एप्रूवल दे। यह बात दिक्कत तलब हो जाती है। उनकी समझ में यह नहीं आ सकती कि जब हमने बजट रखा, उसे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मंजूर करेगी, तो उसमें दिक्कत होगी जब कि उन्होंने उसको रेमिट कर दिया। लेकिन अगर कोई क्षति पहुंच गयी है तो रेमिट करना ही पड़ेगा और करना उचित ही है तो वह दिक्कत भी सामने नहीं आती है जब कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बजट एस्टीमेट्स को मंजूर कर चुकी है। इसलिये इस संशोधन को मंजूर कर लेना चाहिए।

श्री कृपा शंकर--इसमें लिखा है, " गांव सभा में बाई रेजोल्युशन ऐंड अंडर सच सर्कम्सटेंसेज ऐज मे बी प्रेस्क्राइब्ड " । चूंकि इसमें आया है कि अण्डर सच सर्कम्सटेंसेज ऐज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, इसलिये यह जरूरी है कि वहां देख लें कि ऐसा किया गया है या नहीं। अगर यह शब्द नहीं होते तब यह जरूरी नहीं था। लेकिन चूंकि ये शब्द आ गये हैं इसलिये यह देखना जरूरी है कि वह सर्कम्सटेंसेज के अन्दर है या नहीं। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य अगर इसकी तरफ ख्याल करेंगे तो इसको बुरा नहीं समझेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित नयी धारा 37-D की उपधारा (3) की पंक्ति तीन के आखिर का "कामा" हटा कर "पूर्णविराम". रख दिया जाय तथा उसके बाद के कुल शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड ३०

३०—मूल अधिनियम की धारा ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय: यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३९ का संशोधन।

"Expense of Nyaya Panchayat to be a charge in Gaon Fund.

39. (1) The expenses of a Nyaya Panchayat shall be charged to the Gaon Fund or Gaon Funds of the Gaon Sabhas comprise in the circle in such proportion as may be determined by the prescribed authority.

(2) All sums realized by way of court fees or fines in a case triable under this Act shall be credited to the State Government but the State Government shall out of the sums so realized pay by way of grant such portion not exceeding fifty per centum as it may fix to the the Gaon Sabha concerned for defraying the expenses of the Nyaya Panchayat."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं इस खंड ३० के ऊपर एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आप का ध्यान भारतीय संविधान की धारा २०७ की तरफ दिलाना चाहता हूं। धारा २०७ की उपधारा (१) इस प्रकार है "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (*a*) to (*f*) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor."

[अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उलिखित विषयों में से किसी के लिये उपबंध करने वाला विधेयक का संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरः स्थापित या प्रस्तावित न किया जायगा.....]

इसी सिलसिले में धारा १९९ की उपधारा (१) के खंड एक की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं "The receipt of money on account of the consolidated Fund of the State or the public account of the State or the custody or issue of such money....."

[राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक लेखे मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना.....]

उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा ३० की जो उपधारा (२) है वह इस प्रकार है: "All sums realized by way of court fees or fines in a case triable under this Act shall be credited to the State Government. (") but the State Government shall out of the sums so realized pay by way of grant such portion not exceeding fifty per centum as it may fix to the Gaon Sabha concerned." तो इस तरह से इस धारा ३० पर यहाँ विचार नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि अब इस कारण यह पूरा विधेयक ही स्टे कर देना चाहिये और जब तक राज्यपाल की स्वीकृति इस पर नहीं होती तब तक आगे इस पर विवाद नहीं हो सकता।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन की धारा २०७ का जो जिक्र किया गया वह इस प्रकार है "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (*a*) to (*f*) of clause (i) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council." १९९ का जो जिक्र किया गया उसमें मैं नहीं जानना चाहता। मैं मानता हूं कि यह खंड ३० के ३९ (२) जो है वह मनी से ताल्लुक रखती है और उससे यह कवर होती है। अब प्रश्न यह है कि जब एक दफा यह आ गया और हाउस में वह इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या उसे हाउस से हटाया जा सकता है क्योंकि यह बिल पहले मूव हुआ, फिर ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ और प्रापर्टी बन गया, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई और काफी हद तक उस पर विचार हो गया। मैं जरा २१२ की तरफ भी ध्यान दिलाता हूं उसमें यह है, "The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure."

[प्रक्रिया में किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य के विधान मण्डल की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी।]

अगर कोई प्रोसीजर की इर्रेगुलेरिटी हो गयी तो उसकी वजह से भी यह बिल विचार के लिये आ सकता है। यह बिल यहां पर मूव हो गया और हाउस ने इस के लिये अपना प्रोसीजर बना लिया। हाउस ने सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया और फिर क्लाज बाई क्लाज इसके ऊपर डिस्कशन किया तो इस प्रकार से हाउस ने इसके लिये अपना प्रोसीजर बना लिया। इस वजह से प्रोसीजर की इर्रेगुलेरिटी की वजह से यह इन्वैलिडेड नहीं हो सकता।

जहां तक परमीशन न मिलने की बात है और उसको हाउस ने पास कर दिया हो तो उसका क्या होगा। उसके लिये २५५ आर्टिकिल में जो दिया हुआ है कि:—

"No Act of Parliament or of the Legislature of a State specified in Part A or Part B of the First Schedule, and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some recommendation or previous sanction required by this Constitution was not given if assent to that Act was given."

[यदि संसद के अथवा पहली अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी अधिनियम को अनुमति दी है तो ऐसा अधिनियम तथा ऐसे किसी अधिनियम का कोई उपबन्ध केवल इस कारण से अमान्य न होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश न की गयी हो या पूर्व मंजूरी न दी गयी थी।]

अगर गवर्नर की कंसेन्ट नहीं हुयी तो इस वजह से भी यह इन्वैलिड करार नहीं दिया जा सकता। इसलिये इस कांस्टीट्यूशन में यह बात रख दी गयी है कि अगर कोई बिल बिना परमीशन के आ जाय तो वह भी पास हो सकता है और वह कंसीडर हो सकता है। उसके बाद गवर्नर चाहे तो यह कर सकता है कि चूंकि इसके लिये परमीशन नहीं थी इस वजह से मैं इस हिस्से के लिये परमीशन नहीं देता। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात मैं मानता हूं कि यह मनी से सम्बन्ध रखता है और इसके लिये गवर्नर की आज्ञा पहले लेने की आवश्यकता थी लेकिन जब यहां पर यह आ गया तो जैसा कि मैंने निवेदन किया २१२ के अनुसार अभी तक जो कुछ हो रहा है वह चलना चाहिये और यह बिल हाउस की प्रापर्टी हो गया है तो उस पर वह विचार कर सकता है। अगर यह बिल पास हो गया तो वह गवर्नर के सामने जा सकता है और उसका प्राविजन २५५ के अन्दर है। इस वजह से जब यह बिल इस प्रकार से चल रहा है तो उस पर विचार किया जाय लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत थी और वह नहीं हुई है तो जिस प्रकार से आप ने पहले एक संशोधन को होल्ड ओवर कर लिया है उसी प्रकार से इसको भी करें और जब उनकी परमिशन यहां आ जाय तब यह मूव हो जाय। अगर परमिशन नहीं आती है तो इस सब सेक्शन ३७ (२) को यहां से हटा दिया जाय। फिर कोई सैंक्शन की कभी जरूरत नहीं रह जायगी। अगर परमिशन नहीं आयी और उसको विदड्रा कर लिया तो फिर यह बिल बिलकुल नियमानुसार होगा और राज्यपाल की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अव्वल तो जैसा कि यह चल रहा है वैसे इसको चलने दिया जाय और बाद में राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर आप की यह आज्ञा हो कि पहले आज्ञा प्राप्त होनी चाहिये तो इसके लिये आज्ञा प्राप्त कर ली जायगी। जब आज्ञा आ जाय तब विचार हो सकता है और अगर इसको विदड्रा कर लिया जाय तो फिर इसके ऊपर हम प्रोसीड कर सकते हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---श्रीमन्, अगर यह बिल यहां से पास हो जाता तब तो इन्वैलिड होने का सवाल ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि इस स्टेज पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप की रूलिंग यह है कि इस स्टेज पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाना कोई महत्व नहीं रखता है। दूसरी चीज (५) के बारे में है। यह सही है कि अगर यह संशोधन पहले पास हो जाता तो गवर्नर महोदय को यह अधिकार होता कि वह इसकी असेंट देते या न देते। मेरे और गेंदा सिंह के जो दो अमेंडमेंट आये थे जो इस हाउस में रिजेक्ट कर दिये गये. मेरे और गेंदा सिंह जी के अमेंडमेंट और यह तीनों एक ही नाव में हैं। अगर आप अपनी पहली रूलिंग को रिवाइज करें तब तो माननीय मंत्री जी का संशोधन लिया जा सकता है और हमारा संशोधन भी आगे चल सकता है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना है कि इस सिलसिले में बिना गवर्नर की असेंट के आगे नहीं चला जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सदन में जो नजीर एक बार हो वह मान्य होनी चाहिये। उसके विषय में विवाद ठीक मालूम नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि बिना गवर्नर की आज्ञा के इसमें हम आगे चल नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के लिये दो रास्ते खुले हुये हैं कि या तो वे गवर्नर महोदय की अनुमति ले कर इसको पेश करें अथवा अगर वे उसको विदड्रा करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि इसको विदहोल्ड कर दिया जाय। कल को तो नान आफीशियल डे है, परसों यह ले लिया जाय, उस समय तक इसको विदहोल्ड कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, उस वक्त तक इसको विदहोल्ड किया जायगा।

खण्ड ३१

३१---मूल अधिनियम की धारा ४० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:- यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४० का संशोधन।

Audit

"40. The accounts of every Gaon Sabha and Nyaya Panchayat shall be audited at such intervals and in such manner as may be prescribed."

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३२

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४१ का संशोधन।

३२—मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Annual estimate of income and expenditure.

41 (1) (*a*) Every Gaon Panchayat shall prepare and lay before the *kharif* meeting of the Gaon Sabha an estimate of its income and expenditure for the year commencing on the 1st day of April next following.

(*b*) Every Gaon Panchayat shall prepare and lay before the *rabi* meeting of the Gaon Sabha its report including the account of its actual and expected receipts and expenditure for the year ending on the 31st. March last preceding such meeting.

(2) The Gaon Sabha may pass or refer back to the Gaon Panchayat the annual esitmate submitted to it for reconsideration with such direction as it may give in the manner prescribed and may likewise pass a recommendatory resolution in respect of the report or of any other matter.

(3) If the annual estimate is referred to the Gaon Panchayat for reconsideration as aforesaid, the pradhan shall call an extraordinary meeting of the Gaon Sabha to be held within a fortnight of the said sannual meeting and the Gaon Panchayat shall resubmit the annual estimate at the said meeting with such modifications as may be necessary in the light of the directions of the Gaon Sabha, and the Gaon Sabha shall then pass the annual estimate in the manner prescribed. Subject to rules in this behalf the annual estimate shall take effect after it has been approved by the prescribed authority, and a Gaon Panchayat may incur any expenditure under any of the heads of the annual estimate in excess of the amount approved under that head without variation or alteration of the annual estimate with the approval of the prescribed authority..

(4) If before such date as may be prescribed a Gaon Panchayat does not lay the annual estimate of income and expenditure before the Gaon Sabha or the Gaon Sabha does not pass the same, the prescribed authority may call upon the Gaon Panchayat to furnish such information as it may require and may prepare an annual estimate of income and expenditure for the Gaon Sabha. The annual estimate so prepared shall then be sent to the Gaon Sabha which shall accept and pass the same in the manner prescribed. Where the Gaon Sabha fails to do so within such time as may in this behalf be prescribed the said annual estimate of income and expenditure shall have effect as if it had been prepared by the Gaon Panchayat and passed by the Gaon Sabha concerned :

Provided that the Gaon Sabha may at any time after the annual estimate takes effect, make in the manner prescribed such modifications or changes therein as it may consider necessary.

(5) The prescribed authority may at any time whether before or after the annual estimate takes effect under sub-section (3) make such amendments, modifications or changes therein as may appear to it necessary."

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से खंड ३२ के अधीन प्रस्तावित धारा 41 की उपधारा (3) की १२ वीं पंक्ति में शब्द "and a Gaon Panchayat" से लेकर उपधारा के अन्त तक के शब्द समूह के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"and a Gaon Panchayat may with the approval of the prescribep authority incur any expenditure on a matter already approved in the annual estimate provided that the total of the annual estimate is not exceeded." इसको साफ करने के लिये यह शब्दावली रखी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३२ के अधीन प्रस्तावित धारा 41 की उपधारा (3) की १२ वीं पंक्ति में शब्द "and a Gaon Panchayat" से लेकर उक्त उपधारा के अन्त तक के शब्द समूह के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"and a Gaon Panchayat may with the approval of the prescribed authority incur any expenditure on a matter already approved in the annual estimate provided that the total of the annual estimate is not exceeded."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, अभी तो हम लोग देख भी नहीं पाये और यह पास हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--अगर माननीय सदस्य को कोई एतराज करना था तो इसके पहले करना चाहिये था। जब मैंने पेश किया तो मैं देखता रहा कि कोई कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैंने राय ले ली।

राजा वीरेन्द्र शाह--अभी हम लोगों को मिला और मिला कर पढ़ रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष--अगर माननीय सदस्य नहीं देख पाये थे तो उनको एतराज करना चाहिये था कि यह नहीं लिया जावे। जब मैं रूलिंग दे चुका हूं उसके बाद आप कहते हैं।

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, आप से मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि आगे के लिये श्रीमन् यह हो जाय कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई संशोधन आवे तो जब तक एजेंडे पर न आवे तब तक इस तरह का हम लोगों को कोई ज्ञान होता नहीं है और सरकार उसके बीच में पेश कर के अपना मतलब निकाल लेती है।

श्री उपाध्यक्ष--सदन की प्रक्रिया में तो इसके लिये व्यवस्था है कि सहूलियत के लिहाज से काम किया जाय। ऐसी हालत में जिस वक्त जैसी सहूलियत होगी वैसा निर्णय किया जायगा।

श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३२ में प्रस्तावित धारा 41 की उपधारा (5) निकाल दी जाय।

[श्री प्रतिपाल सिंह]

इससे पहले जो मेरे दो प्रस्ताव थे वह आपने स्वीकार नहीं किए, मेरा यह प्रस्ताव भी उन्हीं से संबंधित है। इसमें जो प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को अधिकार दिया गया है उसके संबंध में मैं वह प्रस्ताव करना चाहता था कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के बजट को डिसएप्रूव करने का अधिकार न दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की दफा १६१ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य पिछले २ संशोधनों के नामंजूर हो जाने के बाद इस संशोधन से कोई लाभ होगा, ऐसा समझते हैं ?

श्री प्रतिपाल सिंह--मेरा मतलब यह है कि यह उपधारा (५) निकाल दी जाय। इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनुअल की दफा १६१ जो बजट के एप्रूवल के बारे में है। दफा १६१ यह है कि --

"The State Government may at any time within two months from the receipt of a budget or revised budget under sub-section (1)

(*a*) approve the budget, or

(*b*) return it to the Board, for amendment on the ground that it fails to make adequate provision for :—

(i) the maintenance of such minimum balance as may be prescribed, or

(ii) the appropriation of any sum, allotted to the Board by the State Government for the purpose for which it was allotted, or

(iii) the repayment of loans or any other expenditure for which Board is legally liable, or

(iv) any expenditure proposed in the budget, or

(v) the continuance in future years of any recurring expenditure proposed in the budget."

तो जब दफा १६१ में इतना प्राविजन है और उसके होते हुए भी यदि यह सम्भव हो सकता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किसी भी लोकल बाडी के बजट को एप्रूव न करके ऐसी अवस्था में ला दे कि उसके माने डिसएप्रूवल के हो जायं, तो फिर मैं समझता हूं कि गांव सभाओं के लिये यह पोजीशन बहुत हेल्पलेस होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को इस संबंध में मैं बजट को एप्रूव करने के सम्बन्ध में ज्यादा अख्तियार देना, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि गांव सभा के स्वशासन की मात्रा में बहुत ही कमजोरी लायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को जहां तक संभव हो बजट के सम्बन्ध में ज्यादा अख्तियार न दिये जायं। इस सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप ने सम्बन्धित संशोधन एलाऊ नहीं किये। मैं निवेदन करूंगा कि इसी दफा के अन्दर शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बजट पड़ा हुआ है, न वह स्वीकार हुआ और न अस्वीकार हुआ है, और फिर उस दफा में पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है और दूसरे यह भी है कि २ महीने के अन्दर बजट को एप्रूव करना चाहिये या रिटर्न करना चाहिये और इस बिल में जो व्यवस्था है वह केवल एप्रूवल की ही है। ऐप्रूव न करे तो क्या होगा इसकी इसमें कहीं व्यवस्था नहीं है। तो मेरी राय में यह बहुत ही वेग है। मान लिया जाय कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी उसको एप्रूव नहीं करती और पड़ा रहने देती है और वह दो चार छः महीने पड़ा रहता है तो उसकी सूरत वही होती है कि बजट का डिसएप्रूवल हुआ। इस पुराने ऐक्ट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की यह व्यवस्था है कि वह दो महीने के अन्दर एप्रूव करेगा लेकिन इसमें तो कोई टाइम लिमिट भी नहीं है और यह भी नहीं है कि ऐप्रूव नहीं करेगा तो खामियों को बता कर रिटर्न कर देगा। उसमें तो एक्सप्लिसिट काजेज दिये गये हैं कि अगर मिनिमम बैलेंस नहीं है, कोई लोन अगर रिपेमेंट नहीं हुआ है, ऐप्रोप्रिएशन किसी ऐसे रुपये का नहीं दिखाया गया

है जो सरकार ने बोर्ड को किसी कार्य के लिये दिया है या कोई श्री या फाइव ईयर प्लान ऐसा है जिसमें एक साल खर्चा हुआ और दूसरे जो आगे के साल हैं उसके कंटीन्युयेंस के लिये उसमें कोई जिक्र नहीं है तो इतनी मदों का इसमें एक्सप्लिसिट जिक्र है कि अगर इनका बजट में प्राविजन नहीं होगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिटर्न करे। किन्तु इसमें कहीं भी इसका प्राविजन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना प्राविजन होने के बाद भी मैं आप को बतलाऊं कि रिवाइज्ड बजट शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट का १९ दिसम्बर को भेजा गया। स्टेट गवर्नमेंट ने यह अधिकार अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डेलीगेट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गवर्नमेंट को मामला रेफर किया और बराबर दो मार्च तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट के दर्मियान खतोकिताबत होती रही और दो मार्च को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास इन शब्दों के साथ पुनः भेजा गया कि बोर्ड इसको रिकास्ट कर के पुनः सबमिट करे। तो उपाध्यक्ष महोदय, रिवाइज्ड बजट जिसको कि आखिर मार्च में पास होना है और जिन दोहराये तखमीनों का प्राविजन इसमें है यह सब काम पूरे होने आवश्यकीय हैं तो दो मार्च के बाद बोर्ड की मीटिंग बुलाना, बजट का पास कराना और फिर सबमिट करना संभव नहीं और फिर ईश्वर जाने क्या सूरत हो। तो जब इतने प्राविजन और प्रतिबन्धों के होते हुये भी यह असम्भव बना दिया कि वह बजट स्वीकार हो सके तो इस असले को मद्दे नजर रखते हुये मैं आप से प्रार्थना करूंगा और आप के जरिये आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम बजट के मामले में इतने अख्तियारात प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को न दिये जायं। मैं आप का ध्यान अब उसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐक्ट की दफा १६१ के एक्स्प्लेनेशन की तरफ भी दिलाता हूं जो कि मैंने भी अमेंडमेंट की सूरत में रखा था और वह एक्सप्लेनेशन यह है:

"*Explanation*—The word "approve" occuring in sub-section (2) and (3) does not include the power to disapprove."

तो यह प्रतिबन्ध है कि स्टेट गवर्नमेंट को, अथवा उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जिसको कि पावर स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट करे, ऐसा अधिकार नहीं है कि वह उस बजट को डिसएप्रूव कर दे। बावजूद इन प्रतिबन्धों के और बावजूद इस एक्स्प्लेनेशन के वह रिवाइज्ड बजट आज तक स्वीकार नहीं हो सका है और न अस्वीकार हुआ है। मैं समझता हूं कि वह अस्वीकार हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शाहजहांपुर का ओरीजिनल बजट भी आज तक पास नहीं हुआ और कोई भी खर्चा आज वह करने में असमर्थ है। अतः मैं समझता हूं कि यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की शक्ति स्थानीय स्वराज्य के लिये एक बहुत ही भयावह और बहुत ही खतरनाक चीज होगी और उसको और ज्यादा बिलकुल ही पंगु बना देगी। यहां पर मैं इसको और ज्यादा समझने और साफ करने के लिये इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान यह वाक़यात हुये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट कम से कम उन ग्राम सभाओं के सभापतियों से तजुर्बा और लियाक़त भी कदाचित ज्यादा ही रक्खेगा और स्टेट गवर्नमेंट कदाचित्त, मैं समझता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी से कहीं ज्यादा निष्पक्ष रहेगी। तो जब यह एक बात प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और गवर्नमेंट के दरमियान ऐसी हो गई तो उन ग्राम सभापतियों का जो कि वास्तव में बिल्कुल ही पढ़े-लिखे नहीं होंगे, क्या हाल होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अतः मेरा निवेदन है कि जो अधिकार अब से पहले प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को दिये गये हैं वह तो दिये ही जा चुके हैं, उनकी बाबत मुझे कुछ भी नहीं कहना है लेकिन आगे इस प्रेसक्राइब्ड एथारिटी पर जरूर प्रतिबन्ध लगाये जायं और रूल्स में तो मैं निवेदन करूंगा कि का भी प्रतिबन्ध लगाये जायं और यह डिस्क्रीशन्री पावर जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को है वह किसी भी हालत में न रक्खी जाय। क्योंकि मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि अगर यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अपनी डिस्क्रीशन्री पावर इस्तेमाल करेगी तो वह ९९ फीसदी लोकतंत्र के विपरीत होगी और उसके कारण हैं। मैं समझता हूं कि उन कारणों को इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य जानते होंगे। एक तो यह कि उनमें वह मनोवृत्ति जो कि बहुत दिनों से काम कर रही है जिसे हम सदैव से नौकर शाही या घृणा के नाम से याद करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब वह

[श्री प्रतिपाल सिंह]

नहीं रही है, लेकिन उनमें लोकतंत्र की भावना भी जागृत नहीं हुई है। वह अभी तक अपने को लोकतंत्र के वातावरण में काम करने के लायक नहीं बना पाये हैं इसलिये मेरा आप से नम्र निवेदन है और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि वह कम से कम इस आखिरी प्रतिबन्ध को, यह आखिरी जो दफ़ा है, इस को अवश्य निकालने की कृपा करें।

*श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपाल सिंह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसी प्रकार का मेरा भी संशोधन है इसलिये मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि इस ऐक्ट में ऐसी धाराएं रक्खी गयी हैं जिससे वास्तव में हमारा जो ऐक्ट है वह बिल्कुल ही निर्मूल हो जाता है। उन्हीं में से यह भी एक धारा है कि गांव सभा जो बजट बनाये उसमें अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहे तो उसको बदल सकती है और अपनी तबियत से काम कर सकती है। अगर गांव सभा चाहती है कि हम एक तालाब खोदेंगे लेकिन अगर प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी चाहती है कि मोटरों के चलने फिरने के लिये एक सड़क बनायी जाय तो वह उसके अन्दर वैसा कर सकती है। इसी प्रकार से और भी अनेकों चीजें हो सकती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब गाव वालों का पैसा है और उन्हीं का बजट है तो अपनी इच्छा के अनुसार ही वह क्यों न काम करें। प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी बीच में पउवा क्यों अड़ाये? मेरी समझ में नहीं आता कि इस पंचायत राज ऐक्ट को क्यों इतना निर्मूल बनाया जा रहा है, जिससे कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अगर हम इसके पहले की धारा देखें बजट के सम्बन्ध में तो उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं था और उससे यह पता लगता है कि जिन लोगों ने पंचायत राज ऐक्ट बनाया था उन्होंने गांव पंचायतों को कुछ अधिकार दे दिये थे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जरा पढ़ देना चाहता हूं।

"Subject to rules made in this behalf, the budget shall take effect after it has been approved by the prescribed authority, and a Gaon Panchayat may incur any expenditure under any of the heads of the budget in excess of the amount approved under that head without variation or alteration of the budget with the approval of the prescribed authority."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे गांव सभा का जो कार्यक्रम है उसमें बाधा पड़े। उसमें यह प्रतिबन्ध था कि जो सर्वसम्मति से पास हो चुका है उसमें कोई आल्टरेशन नहीं हो सकता। इसलिए जो प्रतिबन्ध अब रखा गया है वह डेमोक्रेसी के खिलाफ है और जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि हर जगह इस ऐक्ट में कठपुतली बना कर तमाशा दिखाने की कोशिश न करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह धारा निकाल दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रतिपाल सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपाल सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, धारा ४१ की उपधारा (५) इस प्रकार है:

"(5) The prescribed authority may at any time whether before or after the annual estimate takes effect under sub-section (3) make such amendments, modifications or changes therein as may appear to it necessary."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस ऐक्ट में हर जगह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का जिक्र किया है और गांव पंचायतें जो बजट बनायेंगी उसमें अमेंडमेंट्स मोडीफिकेशन्स और चेंजेज करने का अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को दिया है। इससे तो साफ ही जाहिर होता है कि गांव पंचायतों के कार्य में रुकावट डाली जा रही है। उनको जो पंचायत राज में अधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये जा रहे हैं उनका यह हरण करना है। इससे पहले बजट में यह बात नहीं थी। उसमें सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का एप्रूवल था और उसमें चेंज करने का राइट नहीं था। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार जैसे जैसे अपने जुल्म और अत्याचार बढ़ाती चली जा रही है वैसे वैसे जनता के अधिकारों को अपने हाथ में लेना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कैसी होगी, हम जानते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कानपुर में चुनाव हुआ और राज नारायण जी गिरफ्तार किये गये और लखनऊ से मिनिस्टर साहब ने वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फोन किया कि किसी तरह से राज नारायण जी को गिरफ्तार करवाया जाय, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय .....

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। क्या माननीय सदस्य किसी मिनिस्टर की नीयत पर इस तरह से हमला कर सकते हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह---आपकी आदत मालूम पड़ती है कि अपोजीशन के लीडर को गलत चार्ज लगा करके जेल में बन्द करायें।

श्री मोहन लाल गौतम---आप मेहरबानी करके थर्ड पर्सन में कहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह---मैं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का वर्णन कर रहा हूं। आपकी सरकार अयोग्य है, वह बराबर गिरती जा रही है। अभी देखा कि बाई-इलेक्शन में जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई उसकी प्रतिक्रिया यह हुई .....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य संशोधन पर बोलें।

श्री गजेन्द्र सिंह---मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कैसी होगी। कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कर्मचारी सब सरकार को किसी न किसी तरह खुश करने की कोशिश करते रहे और इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है उससे यह स्पष्ट है कि सरकार आज बहुत नीचे स्तर पर उतर आई है। इस तरह से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार देकर आज प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है और इस तरह से जुल्म और ज्यादतियां की जा रही हैं और दूसरी पार्टियों को किस तरह से क्रश किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुखदायी दृश्य है और सरकार प्रजातंत्र के नाम पर नीचे के स्तर पर उतर आयी है और डिक्टेटरशिप की ओर जा रही है और उसने अपना कर्त्तव्य बना लिया है कि किसी भी तरह से भले आदमियों को जो उनकी गद्दी में खतरा पैदा कर सकते हैं, वह कोई काम करते हैं तो उनके खिलाफ काम किया जाता है और उनको गिरफ्तार कराया जाता है, उनके खिलाफ चार्जेज लगाये जाते हैं और उनकी बेसिस बनायी जाती है और इस तरह से उनको जेलों में बन्द किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये काम कराये जाते हैं। इस तरह से उनको अधिकार देने के माने हैं कि प्रजातंत्र का गला घोटा जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने इस संशोधन की आड़ में बहुत सारी बातें कहीं हैं। वह कहां तक संगतरूप है और कहां तक उनका इससे सम्बन्ध है उसके बारे में मैं नहीं समझ सकता। लेकिन मैं इतना जरूर आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक इस विधेयक के बनाने का संबंध है उसके अन्दर किसी प्रकार की पार्टी या राजनीतिक भाव या भावना कभी नहीं आयी। मेरा भी इससे सम्बन्ध था जबकि यह स्टैंडिंग कमेटी के सामने था।

यह प्रश्न तो देहात के स्वशासन का प्रश्न है और यह जो हम विधेयक बना रहे हैं, यह आज के लिये नहीं बन रहा है। सम्भवतः यह ४०।५० वर्ष आगे चले और इसमें कौन सामने रहेगा और कौन इधर रहेगा, यह भी प्रश्न नहीं है और इस सम्बन्ध में इस प्रकार की बात करना ठीक नहीं है। यहां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी एक दूसरी है और माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने सरकार

[श्री शिवनाथ काटजू]

की चर्चा की उसका इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से क्या सम्बन्ध है । यदि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने कुछ किया है तो वह मामला कचहरी में है और वहां से उसका निर्णय होगा । लेकिन इसकी आड़ में कहना कि सरकार अत्याचार कर रही है और गड़बड़ी कर रही है यह मेरी समझ में नहीं आया । अब मैं इसके बारें मे ज्यादा नहीं जाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है उसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार दिया गया है कि वह गांव समाज और गांव सभा द्वारा बजट में संशोधन कर सके और यह उपखंड ५ में ही नहीं बल्कि इससे पहले उपखंड ३ में भी यह अधिकार दिया गया है कि वह बजट के अन्दर कुछ सुझाव रखे । लेकिन जहां तक उपखंड (५) का सम्बन्ध है इसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को अधिकार दिया गया है कि बजट जब पास हो जाय उसके बाद भी अगर त्रुटि हो जाय तो वह खानापुरी कर दे और घटा बढ़ा दे । यहां पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह गांव के शासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे । लेकिन इसका अभिप्राय यह है कि हमारे एक एक जिले में सैकड़ों गाँव सभायें हैं और वह अलग अलग अपना बजट भी बनायेंगी तो बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है जो सारे प्रांत में हो रही हों । उनमें समानता लाने के लिये अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हस्तक्षेप करे तो मुनासिब होगा क्योंकि अलग अलग रूपरेखा रखेंगे तो उसके अंदर ठीक नहीं होगा । मैं आपकी आज्ञा से उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के कुछ जुमले पढ़ना चाहता हूं । यह रिपोर्ट के २८ वें सफे पर है:

"The budgets of Gaon Sabhas have necessarily to follow the pattern laid down in the district plan which must essentially be based on the needs and aspirations of the people. The district plan ought to be an integratied and well adjusted whole. The members of a Gaon Sabha, however keenly they may feel their needs, require guidance and advice for making an economically sound and practicable plan on which alone their annual bud gets should be based. Therefore there ought to be room for adjusting budgets of the Gaon Sabhas with the priorities and for aligning them with the object of the maximum utilization of the resources. The members unanimously felt that the budget prepared by the prescribed authority should again be laid before the Gaon Sabha concerned which may pass it even in an adjournment meeting."

यह बेशक प्रश्न उठा था कि बाद में जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इसमें कोई संशोधन करे और इसके अन्दर कोई तरमीम करे तो मुनासिब होगा कि वह एक दफा फिर गांव सभा के सामने रखी जाय । लेकिन उसमें यह कमी पड़ती है कि जिसकी वजह से देर लगने का अन्देशा है । तो मैं निवेदन करूंगा कि यह जो उपखंड (५) में सिद्धांत रखा गया है वह इस भाव से नहीं रखा गया है कि किसी प्रकार से स्वशासन के अधिकारों में हस्तक्षेप हो, बल्कि इसलिए रखा गया है कि अगर उसमें कुछ कमियां और त्रुटियां हों तो उनको दूर किया जा सके । उसके शुरू में ही यह शब्द है कि "दि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मे ऐट ऐनी टाइम" इसमें शब्द 'मे' का प्रयोग किया गया है, "शैल" का नहीं किया गया है । अगर आवश्यकता हुई तो उसी हालत में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इसमें हस्तक्षेप करेगी । और मैं आशा करूंगा कि नियम ऐसे बन जायेंगे जिनसे अगर यह सम्भावना हुई कि खामख्वाह हस्तक्षेप किया जायगा तो वह दुरुस्त कर दिया जायगा । तो मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

राजा वीरेन्द्र शाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि इस पर अब विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री प्रतिपाल सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय काटजू जी की इस बात से तो इत्तफाक करता हूं कि यह मेरा जो संशोधन है वह इससे पहले आना चाहिये था और मेरे इस सम्बन्ध में दो संशोधन थे भी। यदि वे मान लिये जाते तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार क बहुत सी दिक्कतें दूर हो जातीं। किन्तु आपने उन्हें एलाऊ नहीं किया और जैसा कि मैंने बतालाय कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को जो वेग अख्तियारात यहां दिये है, डिफाइन नहीं किये गये हैं और उनपर प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं, तो वह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उनका बेजा इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसा कि अक्सर वह करती हैं। तो इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है।

अब जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, इसमें भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अधिकार और ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं। वह पहले भी, बजट के पेश होने के और बाद में भी, दोनों अवसरों पर बजट में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकती है, माडिफिकेशन और चेंज कर सकती है। वह चाहे तो पूरा आल्टर कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह अधिकार आज कल के डैमोक्रैटिक युग में किसी भी ऐसी अथारिटी को, किसी भी ऐसे कर्मचारी को नहीं मिलना चाहिये जिसके हृदय मे आजकल के जो डेमोक्रैटिक भाव हैं वह न हो। और मैं समझता हूं कि मैं इस सम्बन्ध में गलतफहमी में नहीं हूं कि वह भाव उनमें नहीं है तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह दफा निकाल दी जाय तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अख्तियारात में कुछ बहुत ज्यादा न्यूनता नहीं आती। वह तो अपनी पूरी शक्ति से एक जगह पर बैठी है और काम करेगी। जब भी किसी कर्मचारी को कोई भी अधिकार दिये जायंगे तो वह ज्यादा से ज्यादा अपनी राय के फेवर में उसकी तर्जुमानी करेगा और जैसा मैंने कहा स्थानीय स्वशासन या किसी भी प्रकार के स्वराज्य या स्वशासन के यह बिलकुल विपरीत बात है कि किसी भी कर्मचारी को अधिक अख्तियार दिये जायं। किसी भी कर्मचारी को चाहे वह कितनी ही बड़ी अथारिटी हो यदि आपने ज्यादा अख्तियारात दे दिये तो यह बात स्वाभाविक है कि वह उनका उपयोग उस भावना से जिसे कि डेमोक्रेटिक भावना आप कहते हैं, नहीं करेगा और जैसी समस्यायें और जैसा वातावरण होगा उसके अनकूल वह उनका उपयोग करेगा। तो मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि कर्मचारियों को या किसी भी अथारिटी को चाहे वह कितना ही जिम्मेदार क्यों न हो इस प्रकार के अधिकार देना कर्मचारियों की ताकत को बढ़ाना है और कर्मचारियों की ताकत और तादाद भी स्वशासन को नष्ट करती है और उसकी इम्पार्टेन्स को कम करती है। लिहाजा मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय यदि इसे स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर जो कुछ बहस हुई उसे मैंने सुना। माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो व्याख्यान दिया वह तो शायद माननीय राम-नारायण जी के कथन के अनुसार था जो कि उन्होंने कहा कि उनकी भलमनसाहत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उस पर तो मुझे कोई बहस करनी नहीं है। और जो इस संशोधन पर बहस हुई उसका हमारे काटजू साहब ने बहुत उचित उत्तर दे दिया, लिहाजा उस पर भी मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक सफाई मैं दे देना चाहता हूं कि गलतफहमी लोगों को न हो जाय कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की क्या जरूरत है और वह क्यों है। जहां तक एप्रूबल का प्रश्न है उसमें डिसएप्रूवल नहीं है यह तो इम्प्लाइड है। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास अगर एप्रूवल के लिये कोई बजट जाय तो वह डिसएप्रूव नहीं कर सकती। डिसएप्रूव करने के माने यह हैं कि बजट आगे मंजूर नहीं है और लोकल बाडी का सब काम बन्द हो जायंगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही नहीं बंद हो जायगा बल्कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सारे फंक्शन्स बंद हो जायंगे, सारे स्कूल बंद हो जायेंगे और जो सारे उसके काम हैं वह सब बंद हो जायेंगे। तो बजट नामंजूर होने के लिये नहीं जायगा। अमेंडमेंट सजेस्ट किया जा सकता है, डिसएप्रूव होने का तो इसमें इम्प्लीकेशन है ही नहीं। अमेंड करने के लिये कुछ संशोधन आ सकते हैं। डिसएप्रूव हो जायगा तो फिर तो लोकल बाडी चलेगी ही नहीं, उसका कोई काम नहीं चल सकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

लिहाजा डिसएप्रूवल इसमें नहीं आता। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में कुछ बातें कही गयीं। मैं उसके सम्बन्ध में दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं ताकि जो गलतफहमी अगर किसी के दिमाग में पैदा हुई हो तो वह दूर हो जाय। जब शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नये प्रेसीडेंट साहब आये तब उन्होंने एक फैसला किया कि ५ सौ रुपये से ज्यादा की आमदनी वाले गवर्नमेंट सर्वेन्ट पर तो सी० पी० टैक्स होगा और बाकी पर नहीं..

श्री प्रतिपाल सिंह--प्वाइंट आफ आर्डर, मैंने टैक्स के मुताबिक कोई जिक्र नहीं किया और वह मामला जो है वह बिल्कुल विपरीत है। मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि डिसएप्रूवल जो है वह अप्रूवल में शामिल नहीं है तो मैं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा सन्तुष्ट हूं और यह कि अगर उसका एक्सप्लेनेशन कोई है तो मैं चाहता हूं कि बजट के सिलसिले में टैक्स के मसले को वह न उठायें। मैं आपकी रूलिंग इस पर चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं जिनका कि उत्तर देना मंत्री जी के लिए आवश्यक होता है तो मैं उनको रोक नहीं सकता।

श्री मोहनलाल गौतम--सवाल यह है कि बजट क्यों नामंजूर होगा इसको तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा।

तो जब नये प्रेसीडेंट साहब तशरीफ लाये तो उन्होंने यह फैसला किया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कराया कि पांच सौ रुपये से ज्यादा की आमदनी वाले गवर्नमेंट सर्वेन्ट पर तो सर्कमस्टांसेज और प्रापर्टी टैक्स रहेगा। यही नहीं, उसकी इजाजत नहीं ली गवर्नमेंट से और वह विधान के मुताबिक डिस्क्रीमिनेशन के साथ टैक्स है या नहीं इसका भी फैसला नहीं हुआ और जो १८ आदमी इस टैक्स के कलेक्शन के लिए थे उन सब को डिस्मिस कर दिया। जब सरकार के सामने यह मामला आया तो सरकार ने फैसला किया कि इस तरह के डिस्क्रीमिनेशन के साथ सर्कम्सटांसेज ऐंड प्रापर्टी टैक्स रखने का जो उनका प्रस्ताव है वह अवैधानिक है और जिन अठारह आदमियों को हटा दिया गया है उनको भी बहाल कर दिया जाय। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि बावजूद इन हिदायतों के शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और उसके प्रेसीडेंट ने अब तक उन १८ आदमियों को नहीं रखा है जो मुद्दत से भूखों मर रहे हैं। और प्रेसीडेंट कांग्रेस कमेटी की मेरे पास सिफारिश आयी है कि इन १८ आदमियों को क्यों तबाह किया जा रहा है। उनको अब तक नौकर नहीं रखा गया।

अब बजट का इस से क्या सम्बन्ध है उससे जो यह जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में. . . .

श्री जगन्नाथ मल्ल--जानकारी के लिये वहां के प्रेसीडेंट कौन हैं उनका नाम बता दें।

श्री मोहनलाल गौतम--यह कोई जरूरी नहीं है। इसका पता लगाया जा सकता है।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो १८ आदमी कम कर दिये गये हैं उनके लिए बजट में प्राविजन नहीं है।

फिर सर्कमस्टांसेज प्रापर्टी टैक्स में जो ओरिजनल इनकम ४० हजार की थी, उसको २५ हजार कर दिया गया। उसमें १५ हजार की कमी कर दी गयी। सर्कमस्टांसेज ऐंड प्रापर्टी टैक्स को वसूल करने के लिए जिस तरह से हिदायत दी वह नहीं मानी और न उन मुलाजिमों को रखा जो १८ आदमी हटा दिये गये थे। उनके लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्रेसीडेंट को

कोई ख्याल नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की स्वशासन संस्थायें हैं तो उनके लगाम लगानी पड़ेगी, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हो या कोई दूसरा हो। लोकल बाडीज इस तरह से अन्याय करें, तो जब तक मैं रहूंगा मंत्री, मैं इस तरह के अन्याय नहीं होने दूंगा।

इसलिए बजट इस बिना पर संबंधित है कि २२ हजार का अन अथोराइज्ड एक्सपेंडीचर उसमें शामिल कर दिया गया। इन शब्दों के साथ में उस गलतफहमी को दूर करना चाहता था कि अगर कोई माननीय सदस्य यह समझते हों कि गवर्नमेंट की वही ब्योरोक्रैटिक मनोवृत्ति है तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वह बाइज्जत आदमी जो इस गवर्नमेंट की मनोवृत्ति को गलत समझता है और इस गवर्नमेंट में मोहन लाल गौतम ही नहीं, पंत जी भी शामिल हैं, उस बाइज्जत आदमी को चाहिए कि उस संस्था को सपोर्ट न करे जो इस मनोवृत्ति को ले कर चल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट को मजबूत करने में, कांग्रेस का मेम्बर न रहे, असेम्बली में कांग्रेस के टिकट पर न आये, इस मनोवृत्ति को खत्म करने के लिए। वह मेम्बर जो कांग्रेस के टिकट पर आया है, कांग्रेस में है, और कांग्रेस गवर्नमेंट की मनोवृत्ति को गलत समझता है वह अपनी कमजोरी जाहिर करता है अगर कांग्रेस में है, और कांग्रेस पार्टी और असेम्बली से इस्तीफा नहीं देता।

श्री प्रतिपाल सिंह--मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम--एक्सप्लेनेशन कब तक जारी रहेंगे? फिर मुझे भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है।

श्री प्रतिपाल सिंह--टैक्स का मामला मैंने नहीं उठाया था। टैक्स का मामला यहां रेलेवेंट नहीं है। यहां केवल बजट का मामला था। बजट के सिलसिले में जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी . . . .

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य भाषण देने लगे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। भाषण का कोई स्थान नहीं है।

श्री प्रतिपाल सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इस कथन के पश्चात कि शब्द "डिसएप्रूवल" में शब्द "एप्रूवल" शामिल नहीं है, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में-- ६१
विपक्ष में-- १२।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३

३३--मूल अधिनियम की धारा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४३ का संशोधन।

"Constitution of Nyaya Panchayat

43. There shall be appointed by the prescribed authority five persons or such lesser number of persons as may be fixed under section 12-A or prescribed qualifications out of the persons elected in accordance with sub-section (6) of section 12

and section 12-A to be panches of the Nyaya Panchayat and the persons so appointed shall, notwithstanding anything hereinbefore Contained, not be members of Gaon Panchayat :

Provided that where suitable persons possessing the prescribed qualifications are not available for such appointment any or all of such qualifications may be relaxed by the prescribed authority."

श्री तेज प्रताप सिंह---मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 निकाल कर निम्न रूप में रख दी जाय:---

"43. The persons elected in accordance with sub-section (6) of section 12 and section 12-A shall elect from amongst themselves five or such lesser number of persons as may be fixed under section 12-A of prescribed qualifications to the Panches of the Nyaya Panchayat and the persons so elected shall, notwithstanding anything hereinbefore contained, not be members of Gaon Panchayat :

Provided that such prescribed qualifications shall be relaxed by the prescribed authority in the case of those person. who belong to the scheduled castes and have previously been Panches of a Panchayati Adalat."

यह प्रश्न न्याय पंचायत के संगठन के बारे में है। मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति चुना जाय गांव पंचायत और न्याय पंचायत के लिये उनमें से उन्हीं लोगों को अधिकार मिलना चाहिये जो कि पहले पंचायती अदालत में रह चुके हों। साथ ही साथ इसमें प्राविजन यह भी रखा कि कुछ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन न्याय पंचों के लिये है वह ठीक है, क्योंकि वह न्याय पंचायत में काम भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिये कुछ छूट देने की आवश्यकता है। वह इसलिये कि खासतौर से जो पिछड़े लोग हैं, हमारे हरिजन भाई हैं....

श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर सर, श्रीमन् १२-ए पास होने के बाद इसमें जो इस समय संशोधन किया जा रहा है वह नहीं हो सकता। एलेक्शन के संबंध में १२-ए में कहा गया है और वह चीज तय हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष---श्री तेज प्रताप सिंह जी, आप जारी रखें।

श्री तेज प्रताप सिंह---यह प्राविजन इसमें लगा हुआ है कि हरिजनों के लिये यह छूट होनी चाहिये कि वह प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन की बाधा को उन पर न लगायें और उसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जो पिछली अदालती पंचायत में काम कर चुके हैं उनके लिये यह प्रतिबन्ध हटा दिया जाय। उसमें यह एक विशेष बात है कि उनके लिये छूट होनी चाहिये...।

श्री मोहन लाल गौतम---श्री लाल बहादुर सिंह जी के प्वाइंट आफ आर्डर का मतलब यह था कि १२-ए न्याय पंचायतों के एलेक्शन के बारे में थी और वह पास हो चुकी है और वह यह है कि---

"12-A' For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat, the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five (or if any lesser number is fixed in any case as shall

exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority has selected five persons or such lesser number as aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

इस प्रकार से गांव पंचायत और न्याय पंचायत के लिये चुनाव की जो स्कीम है वह इसमें दी हुई है। जो लोग १२–ऐसे चुने गये हैं उन्हीं लोगों में से चुने जायेंगे। इसके बारे में यह सरकार स्वीकृति दे चुकी है। प्राविजो अभी प्रेस्काइब नहीं हुआ है, यह क्यों न मान लिया जाय कि हरिजनों को इसमें रियायत दी जायगी, जो पहले ग्राम पंचायतों के मेम्बर रह चुके हैं उनको रियायत दी जायगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो धारा है उसको वैसा ही रहने दिया जाय। रूल्स में उस चीज पर विचार किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कि इससे १२-ए पर असर पड़ता है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री तेज प्रताप सिंह––श्रीमन्, तो इस प्राविजो को तो रख दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम––रूल्स जब आयेंगे तो उस समय आप इसको रख सकते हैं, इस समय इस का रखा जाना असंगत है।

श्री जोरावर वर्मा––श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :––

खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 की पंक्ति १ में शब्द " appointed " के स्थान पर " selected " रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इससे सहमत हो जायेंगे, इसमें कोई खास कहने की जरूरत नहीं है। धारा के अनुसार इसमें सेलेक्टेड ही होना चाहिये था क्यों कि यह सेक्शन उसी से गवर्न होता है। पेज ८ पर लिखा हुआ है कि––

"12-A. For the purpose of electing members of a Gaon Panchayat the Gaon Sabha shall elect from its members such number as shall exceed by five) or if any lesser number is fixed in any case as shall exceed by such number) the number prescribed under sub-section (2) of section 12 but only such of them as remain after the prescribed authority aforesaid under section 43 for membership of the Nyaya Panchayat shall be members of the Gaon Panchayat."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी शब्द सेलेक्शन है। गांव सभा जिन लोगों को सेलेक्ट करेगी उनमें से लोग न्याय पंचायत के लिये लिये जायेंगे। मेरे ख्याल में यह अप्वाइन्टेड शब्द ग़लत छप गया है। आशा है माननीय मंत्री जी इस शाब्दिक संशोधन को मान लेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम––किस तरह से चुना जायगा यह तो १२-ए में दिया हुआ है। वह साफ है कि सेलेक्शन होगा। सेलेक्शन के बाद थोड़ा सा गैप रह जाता है वह अप्वाइंटमेंट से पूरा हो जाता है। जो लोग सेलेक्ट हो कर आयेंगे उन्हीं का एप्वाइंटमेंट होगा। इसलिये इसमें जो आइडिया है वह भी बिलकुल साफ है और जो प्रोसीजर है वह भी बिलकुल साफ है। जो लोग सेलेक्ट होंगे वे एप्वाइंटमेंट होने के बाद फंक्शन करेंगे। वैसे यहां अप्वाइंटेड शब्द ही ठीक मालूम होता है लेकिन आप जैसा उचित समझें वैसा रख दें मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कि सदन की ओर से कोई प्रस्ताव आये वही ठीक होगा।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—सेलेक्टेड और अप्वाइंटेड दोनों शब्द इसमें रख दिये जायं तब ठीक हो जायगा।

श्री मोहन लाल गौतम—मेरे ख्याल में " appointed " लफ्ज ही ठीक मालूम होता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 की पंक्ति १ में शब्द " appointed" के स्थान पर " selected" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३३ में प्रस्तावित नई धारा 43 की पहली पंक्ति से शब्द "appointed by the prescribed authority" निकाल दिये जायें तथा उनके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय:—

"Selected by a committee consisting of the prescribed authority as a Chairman and President of the local bar and members of the district board and Legislature of constituency concerned."

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली दफा जब कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स का सेलेक्शन हुआ था तो जिले में मुश्किल से ६ या ८ व्यक्तियों का चुनाव होता था और उसके लिये भी उस वक्त सरकार ने यह उचित समझा था कि उनका सेलेक्शन हो और उसके लिये उसने अपना एक लेजिस्लेचर का मेम्बर या बार एसोसिएशन के प्रैसीडेंट तथा जज की एक कमेटी बना दी थी। अब आज तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सामने जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसका एप्वाइंटमेंट हो और यह सही है कि सेलेक्शन से भी चुन लेंगे लेकिन सवाल है कि जो एजेंसी चुनेगी वह बिलकुल एकतंत्रीय होगी। आप समझ सकते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को पूरे जिले में न्याय पंचायतों के पंच चुनने का इतना ज्यादा चुनाव है कि उनका वह क्रम जो होगा एस० डी० ओ० से तहसीलदार और कानूनगो और फिर वे उन लोगों को चुनेंगे। तो ऐसी हालत में कहीं कहीं ज्यादा पैसे दे कर, कुछ रिश्वत देकर कुछ जोर डाल कर लोग उसमें चले जायेंगे और इस तरह से आपके न्याय की धारणा नष्ट होगी और अब तो वे नियुक्त किये जायंगे इसलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जनता ने एक तरह से पहले तो जो कुछ भी चुनाव किया था उसके बारे में जनता उत्तरदायी थी लेकिन अब जब कि एक अधिकारी की नियुक्ति के द्वारा ये लोग बिलकुल ही सरकारी हो जायेंगे तो मेरा कहना है कि उनका चुनाव एक आदमी की इच्छा पर न हो बल्कि एक ऐसी कमेटी की शक्ल हो जो निष्पक्षता से चुनाव करे और उसकी वजह से अच्छे आदमी आ सकते हैं। यह बिलकुल एक सरल सा सुझाव है और मेरा विचार है कि सम्भवतः माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में काफी बहस हो चुकी है प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के संबंध में और जब रूल्स आयेंगे तो उस समय पर उस पर निर्णय होगा। मैं माननीय रामजी सहाय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सजेशन दिया है। इस वक्त वे इसको वापस ले लें और रूल्स बनाते समय इस पर विचार किया जा सका है।

श्री रामजी सहाय—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :-

खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 की पंक्ति २ में "persons" और शब्द "or" के बीच शब्द "including one member belonging to the Scheduled castes and the Scheduled tribes" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहले आ चुका है कि गांव पंचायतों में रिजर्वेशन होगा, उसी आधार पर यह संशोधन रखा गया है कि जो ५ आदमी कमेटी में हों उनमें से कम से कम एक आदमी शिडयूल्ड कास्ट का रखा जाय। हो सकता है कि रूल्स में या डी० ओ०, जी० ओ० के द्वारा इस तरह का रूल्स बना दिया जाय, लेकिन पिछला तर्बा यह है कि तमाम नौकरियों में उनको रिजर्वेशन दिया गया है और होता यह है कि चपरासियों तक कि जगह में डी० ओ०, जी० ओ० होते हुये कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं इस पर ज्यादा बहस न करके माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को मानने की कृपा करें ताकि जो हरिजन देहात में रहते हैं उनके हितों की रक्षा न्याय पंचायतों में हो सके और वह न्याय पा सकें क्योंकि न्याय पंचायतों में जब सब तरह के लोग आयेंगे तभी जो सामाजिक अन्याय और दुर्व्यवस्था फैली है वह दूर हो सकेगी। जब पंचों में से एक हरिजन पंच भी बैठेगा तो देहात के लोगों में जो भावना भरी पड़ी है कि नीच लोग तो सेवा करने के लिये हैं वह उनके मस्तिष्क से निकल जायगी और वे समझ जांयगे कि हरिजनों में भी ऐसे लोग हैं और हो सकते हैं जो न्याय दे सकते हैं। मैं यह भी कहूंगा कि हरिजनों में जो आपस की लड़ाइयां और झगड़े होते हैं वह अधिकतर उनकी पंचायतों से ही तय हो जाते हैं और वह फैसला देने में किसी दूसरे से कम नहीं हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि हरिजनों और स्वर्णों की जो ऊंच नीच की भावना है उसको दूर करने के लिये आवश्यक है कि आप इस संशोधन को स्वीकार करें, इससे आपस में एका बढ़ेगा और मेल होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, श्री धर्म सिंह जी के संशोधन पेश करने पर और श्री जोरावर वर्मा के संशोधन पेश करने पर मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित कराया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लें लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने चूंकि इस प्रकार का आश्वासन दिया है, मैं इसे आप की आज्ञा से वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि-

खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 के Proviso को निकाल कर निम्नलिखित Proviso रख दिया जाय:--

"Provided that where the number of suitable persons possessing the perscribed qualifications is less than the prescribed number, the prescribed authority may select those that are available for such appointment and the Gaon Sabha shall be called upon to elect again such

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर कृष्ण वर्मा]

number of members regarding the Gaon Panchayat concerned as remain after the first selection. Upon the said reelection the prescribed authority shall select the remaining members for the Nyaya Panchayat out of the newly elected members of the Gaon Panchayat :

Provided also that when no qualified persons are available for such appointment, fresh election of members of the Gaon Panchayat shall take place and the prescribed authority shall select the required number of qualified persons out of the newly elected members :

Provided further that if the Gaon Sabha again fails to elect such number of qualified persons as are required for the Nyaya Panchayat, it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to select out of the newly elected members the required members for the Gaon Panchayat and out of the members of Gaon Sabha the required members for the Nyaya Panchayat, and the members so selected shall be deemed to have beenduly elected for the respective Panchayats."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरा संशोधन स्वीकृत होता है तो यह धारा ४३ इस तरह से पढ़ी जायगी :

"43. There shall be appointed by the prescribed authority five persons or such lesser number of persons as may be fixed under section 12-A of prescribed qualifications out of the persons elected in accordance with sub-section (6) of section 12 and section 12-A to be panches of the Nyaya Panchayat and the persons so appointed shall, notwithstanding anything here in before contained, not be member of Gaon Panchayat. :

Provided that where the members of.....इसके आगे जैसा मैंने अमेंडमेंट रखा, इसमें जो प्राविजो पहले से रखा हुआ है वह इस प्रकार है:—

"Provided that where the suitable persons possessing the prescribed qualifications are not available for such appointment any or all of such qualifications may be relaxed by the prescribed authority :

मैंने जो संशोधन रखा है उसका तात्पर्य यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कोई भी क्वालिफिकेशन्स जो कि रखी जाय, उसको किसी को रिलैक्स करने का अधिकार न हो। मैं यह नहीं चाहता कि जो न्याय पंचायतें बनें वह न्याय पंचायतें ऐसे लोगों की बनें जोकि अयोग्य हों, जो कि योग्यता न रखते हों, जोकि उस कुर्सी पर बैठ कर ऐसे फैसले करें जिन्हें वह समझ भी न सकें कि हम क्या फैसला कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिये, क्या कानून है, क्या इसमें शहादत गुजरी है जिसके आधार पर हमें यह करना चाहिये। जिनको इतनी भी समझ बूझ न हो, जो कि बिलकुल पढ़े-लिखे न हों और सेक्रेटरियों के हाथ में हों अंगूठा लगाने वाले, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को कतई उस कुर्सी पर न बैठने देना चाहिये। जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालीफिकेशन्स होंगी वह तो उसमें जरूर रखी जानी चाहिये, जैसे हर पंच को पढ़ा-लिखा होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कम से कम इतनी योग्यता तो जरूर ही रखी जायगी। अगर कोई बिना

पढ़ा-लिखा पंच उसमें रक्खा जाता है, अंगूठा लगाने वाला, जो कि कानून को भी न पढ़ सकता हो कि पंचायत राज कानून में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या उसके अधिकार हैं, क्या जुर्म है, तो वह क्या फैसला करेगा ? इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो फैसले होंगे वह कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसलिये न्याय की कुर्सी पर ऐसे लोगों को बिठाल देना मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही अनुचित होगा और अगर यह प्राविजन रक्खा जायगा कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी प्रेस्काइब्ड क्वालिफिकेशंस को रिलैक्स कर सकती है तो उसका नतीजा यही होगा जैसे कि आज कल जो न्याय पंचायतें हमारे प्रदेश में काम कर रही हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों के बीच में बहुत ही ज्यादा इख्तिलाफ है कि वह न्याय पंचायतें ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही है। बहुत से लोगों की राय है कि न्याय पंचायतों को तोड़ देना चाहिये क्योंकि यह बिलकुल ही ठीक काम नहीं कर रही हैं, यह बिलकुल ही अनपापुलर है जिसकी वजह से जो जस्टिस आज है जो, न्याय आज हो रहा है वह असल में ठीक से नहीं हो रहा है।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

बल्कि हम जस्टिस को सेल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जहां पर यह दशा है कि हमारी न्याय पंचायतों से लोगों को संतोष नहीं है, जहां पर यह चीज है कि न्याय पंचायतें असल में एक बदनामी की बायस पैदा हो गयी हैं वहां पर अयोग्य लोगों को बैठा देना या उनकी किसी क्वालिफिकेशन्स को रिलेक्स करना, मैं समझता हूं कि इसका नतीजा सिवाय खराबी के और कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस मामले में हमारी नीति बहुत सख्त होनी चाहिये। हमको किसी भी हालत में कोई रू रियायत नहीं करनी चाहिये। हम किसी को अगर न्याय पंचायतों की कुर्सी पर बैठावें तो हमको चाहिये कि वह पूरा पूरा योग्य हो, जो ठीक से न्याय कर सके, जिसके बारे में किसी को असंतोष न हो, जिसके बारे में सम्पूर्ण जनता को पूरा पूरा विश्वास हो। ऐसा योग्य आदमी यदि कुर्सी पर बैठेगा तो ठीक से न्याय करेगा और उसमें कोई ग़लती नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में मैं इसका सख्त विरोध करता हूं कि जो योग्यता रखी जाय उससे किसी की योग्यता को रिलैक्स करना उचित नहीं होगा। मैं यह समझता हूं कि रिलैग्जेशन निहायत ही अनुचित चीज है। तो ऐसी हालत में एक तो दिक्कत पैदा होती थी कि हमको एक मर्तबा कुछ आदमी कम मिले तो दूसरी मर्तबा एलेक्शन कराया। अगर दूसरी मर्तबा भी एलेक्शन कराने पर आदमी न मिलें तो उसके लिये इसमें रक्खा गया था कि रिलेक्जेशन के अलावा हमारे पास क्या चारा है। उसके लिये मैंने इसमें रखा है कि अगर हमको, जितनी तादाद में लोग चाहिये, तीन या पांच जितनी भी हो—उसमें से हमको जितने मिल जाते हैं उनको तो हम पहले चुन लें और उसके बाद जो बाक़ी रह जायें उनके लिये जैसा कि इसमें पहले भी रक्खा हुआ है कि फिर से एलेक्शन करा दें और उस एलेक्शन कराने पर जो बाक़ी तादाद के लिये एलेक्शन होगा वह उसमें से उनको चुन लें। उन चुने हुए आदमियों में से न्याय पंचायत के लिये योग्य आदमी नहीं मिलते हैं। हम यह अधिकार देते हैं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कि वह जितने लोग चुने गये हैं चूंकि उसमें गांव पंचायत की तादाद जितनी हमको चाहिये उससे ज्यादा है तो हम गांव पंचायत के लिये भी जितनी तादाद उनको चाहिये उनमें से वे अपने को सेलेक्ट कर लेंगे और गांव सभा में से हम देखेंगे कि योग्य आदमी न्याय पंचायतों के लिये मिल सकते हैं या नहीं। उनकी तादाद मिलने पर न्याय पंचायत के लिये मुकर्रर कर देंगे और जो इस तरीक़े से न्याय पंचायत के लिये सेलेक्ट किये जायेंगे या गांव पंचायत के लिये वे समझे जायेंगे कि बाकायदा चुने गये हैं और उनके चुनाव में कोई नुक्स नहीं है। मैं तो इस बात को पसन्द करूंगा कि शायद यह कहा जाय कि अगर गांव सभा में भी कोई सज्जन नहीं मिले जो कि योग्य हों तो ऐसी हालत में वहां न्याय पंचायत नहीं होनी चाहिये। उसे तोड़ देना चाहिये। क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि अयोग्य आदमी न्याय की कुर्सी पर बैठ कर ग़लत फैसला करे। तो मैं इन शब्दों के साथ यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मंत्री जी स्वीकार करेंगे ताकि हमारी न्याय पंचायतों की बदनामी न हो।

*श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, कुंवर कृष्ण वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रोवीजन में बिलकुल साफ़ लिखा हुआ है कि :

"Provided that where suitable persons possessing the prescribed qualifications are not available for such appointment any or all of such qualifications may be relaxed by the prescribed authority."

अगर वर्मा जी का यह संशोधन मान लिया जाय तो मैं समझता हूं कि न्याय पंचायत और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो है वह पंचों के चुनने में ही एक साल व्यतीत कर देगी। दूसरे उन्होंने जो योग्यता रखा है उसका क्या मतलब है यह नहीं समझा। उन्होंने इस बात को साफ नहीं किया लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि योग्य के माने पढ़े लिखे से है। लेकिन योग्यके माने यह भी होने चाहिये जो जनता का विश्वासी हो और जनता का विश्वास नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। देहात में ऐसे आदमी मिलेंगे जो कायदे कानून से नावाक़िफ हों लेकिन उन्होंने वे काम किये हैं जो हाई कोर्ट के जजों से किसी तरह कम नहीं हो सकते हैं। जो देहात के रहने वाले अपढ़ आदमी हैं जो जनता के विश्वासी हैं वे कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं। अगर जनता का उस पर विश्वास नहीं है तो वह कदापि नहीं चुना जा सकता है और न प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को एक लम्बे अर्से के लिये चुनाव की मशीनरी बना देना चाहिये। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं वर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं। क्योंकि हम पीछे पास कर आये हैं कि गांव की पंचायत में जो आदमी हों वे ईमानदार हों।

मारल कैरेक्टर के लोग हों। आज हमारे प्रदेश के गांव गांव में जाग्रति हो रही है और हम गांवों में शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। लोगों को नाइट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और हम उनको अब नीचे नहीं रख रहे हैं। आज हमारे गांव का हर एक आदमी सतर्क है। हम पंचायतों को बहुत ही सुन्दर ढंग से बनाना चाहते हैं। न्याय अदालतों को तो इस ढंग से बनाना चाहते हैं जिससे सही माने में न्याय मिल सके। सरकार ने जो रामराज्य की कल्पना की है, तो हम उसी राम राज्य के लिए कल्प वृक्ष को प्लावित करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्नशील हैं . . .

श्री अध्यक्ष—संक्षेप में आप कहें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री शिवनारायण—उनका अमेंडमेंट ठीक नहीं है। अगर हम प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को सौंप दें, तो साल भर लग जायगा और अधिकारी वर्ग, इस चुनाव में दखल देंगे और ऐसी हालत में डेमोक्रेसी सफलीभूत नहीं हो पायेगी। इसलिए मैं अपने दोस्त से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने अमेंडमेंट को वापस ले लें और गवर्नमेंट का जो बिल है, वह बहुत ठीक है। मन्त्री महोदय, ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि जब वह नियमों को बनायेंगे तो ठीक कर लेंगे और वह ठीक हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री लाल बहादुर सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर वर्मा यह जानना चाहते थे कि मैंने जो शब्द योग्यता का इस्तेमाल किया था, उसके माने क्या हैं। मैंने यह शब्द इस्तेमाल किया था कि जो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स रखी गयी हैं, उसके लिये यह योग्यता का शब्द था। यह कहना कि विश्वास पात्र पंच हों और जो चुने गये हैं, उनकी योग्यता वही होना चाहिए तो यह प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स में नहीं आता है। यह प्रोसीजर है कि किस तरह से वह चुने जायेंगे। इसको योग्यता कहना इस योग्यता में नहीं आता है।

माननीय शिवनारायण जी ने यह कहा था कि अदालती पंचायत के लिए हम इस बात का निर्णय कर चुके हैं कि पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमने पंचायती अदालतों के लिए अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। वह तो गांव पंचायतों के लिए फैसला हुआ है। वह तो एक दूसरी शक्ल थी लेकिन न्याय पंचायतों के लिए पढे लिखे आदमी की अत्यन्त आवश्यकता है। ऐसी हालत में दूसरी चीज जो यह बतलायी गयी है कि यह प्रोसीजर इलेक्शन का बहुत तूल तवील हो जाता है और इसमें बहुत देर लगेगी, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह प्रोसीजर पहले से प्रोवाइडेड है कि जहां ऐसी बात होगी, और पूरी तादाद में लोग नहीं मिलेंगे यानी अगर गांव पंचायतों में पूरे आदमी नहीं पहुंचते हैं या खामी रह जाती है तो वही प्रोसीजर एडाप्ट करेंगे। मैंने कोई नयी चीज इन्ट्रोडयूस नहीं की है। जैसा कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें न्याय पंचायतों को ठीक तरह से चलाना है। तो यह जरूरी है कि उसमें प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस के लोग ही रखे जांय और कोई उसमें अयोग्य व्यक्ति न हों।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके कहने में बहुत संकोच तो हो रहा है कि कोशिश करने के बावजूद भी मैं इसको समझने में असमर्थ अपने को पा रहा हूं कुछ इसका तरीका ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है कि मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। तो इसको वह इस समय वापस ही ले लें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--श्री कुंवर कृष्ण वर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--मन्त्री जी यह कहते हैं कि वह नहीं समझे हैं, तो रूल्स वगैरह बनाते वक्त मैं उनको इस बात को समझाऊंगा कि यह क्या है। फिलहाल वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 के प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित नया प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :--

"Provided further that every Panch of a Nyaya Panchayat shall be entitled to get if he so desires an honorarium of Rupees 1-8 pre meetting that he attends in discharging his duties as a Nyaya Panch."

अध्यक्ष महोदय, पिछली न्याय पंचायतों के कार्यों में यह देखा गया है कि लगभग ६० प्रतिशत ऐसी थीं, जिनमें निर्धारित कोरम की सीमा कभी पूरी नहीं होती थी और कई बार हाई कोर्ट को भी इस विषय में मालूम करना पड़ा कि कोरम न होने पर कितने केसेज में फैसले दे दिये और कितने केसेज में रिवीजन हो चुका। अब जमाना जो है, वह बड़ा विचित्र है। ऐसा नहीं है कि कुछ धनी मानी पुरुष ही न्याय पंचायतों में आयें। अब तो अगर गांव का अच्छा सेवक है, तो गरीब से गरीब आदमी भी न्याय पंचायत का सदस्य रह सकता है। साधारण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

लोगों की भी हालत ऐसी है कि ८ दिन में वह एक दिन की मीटिंग के लिए भी समय देना उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि एक दिन वह अपना काम छोड़ दें। खास तौर से जब कातिक और चैत की फसल आती है, तब तो अगर पिछला रेकार्ड देखा जाय, तो मैं समझता हूं कि महीनों पंचायतों को मीटिंगें पोस्पोन करनी पड़ीं। अगर न्याय पंचायत में जो आदमी आता है, उसके लिए यह बात है कि या तो उसका काम सफर करे या फिर वह अपनी गांठ से एक-डेढ़ रुपया या १२ आना मजदूरी के दे या अपने बदले में किसी दूसरे को काम में लगाये। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा मजदूर भी नहीं मिल सकता जिससे वह उस पंचायत की खानापुरी कर सके। इसलिए मेरा सुझाव है कि न्याय पंचायत की उचित कार्यवाही के लिए अगर कुछ आनोरेरियम, एक डेढ़ रुपया, फी मीटिंग रख दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा, या जो मुनासिब हो। तभी लोगों को आने में कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे मानने की कृपा करें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इस संशोधन का हिसाब लगा रहा था कि ८५०० न्याय पंचायतें हैं और एक एक में २५ अगर मेम्बर हों, तो २ लाख १२ हजार ५०० मेम्बर हो गये, और अगर ५० मीटिंगें हों, महीने में, चार मान लीजिये अगर होती हैं, तो एक करोड़ ६ लाख २५ हजार कुल मिटिंग्स हुई। डेढ़ रुपये के हिसाब से अगर रखें, तो डेढ़ करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है, तो अभी पंचायतों के पास इतना धन नहीं है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार कर सकूं। इसलिए मैं कोई और दलील न देकर इस संशोधन को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता जाहिर करता हूं कि इतना रुपया इस समय नहीं है कि डेढ़ करोड़ रुपया मेम्बरों को दिया जा सके।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपनी आर्थिक कठिनाई बतलायी, जो कि सचमुच में है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मेरा यह संशोधन मान लिया जाय, तो न्याय प्रणाली में आज जो खराबियां या कमियां दिखलायी पड़ती हैं, उन सब की पूर्ति हो जायगी। आज जितने केसेज अननोइंगली या बिना जाने हुए न्याय पंचायतें कर देती हैं और यह देखती रहती हैं कि अगर कोई पंच न्यायी है, वह न आये, तो जिस दिन वह नहीं आता है, उस दिन वह जिस केस का फैसला करना चाहते हैं, कर डालते हैं। अगर यह प्राविजन हो जाता है, तो फिर यह चीज नहीं होगी, और सभी लोग आने की कोशिश करेंगे, और कभी कोरम का क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। तो मैं चाहता था कि मेरा यह संशोधन मान लिया जाय, लेकिन चूंकि माननीय मन्त्री जी ने अपनी आर्थिक मजबूरी दिखलायी है, इसलिए मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)।

श्री प्रतिपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"Provided further that the prescribed authority for purposes of Nyaya Panchayats means an authority not below the rank of a Munsif in Civil Courts."

अध्यक्ष महोदय, अभी एक प्रस्ताव मैंने पेश किया था और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का उसमें भी तजकिरा था। उस सम्बन्ध में मेरे ऊपर कुछ ऐसे लांछन लगाये गये, जो मैं समझता हूं, उचित नहीं थे, और मुझे उसका एक्सप्लेनेशन देने का अवसर भी नहीं दिया गया, तो इस सम्बन्ध में इस अवसर पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई बात मैं न कहूं, और जो बात मैं कहूं, उसके अतिरिक्त कोई बात यहां कही जाय, तो आप कृपया मुझे एक्सप्लेनेशन देने

की जरूर अनुमति देंगे। जैसा मैंने जो प्रस्ताव पहले रखा था, उसमें जितनी बातें मैंने निवेदन की और सदन के सम्मुख रखी, वह सब वास्तविकता पर आधारित थीं, और जो वास्तविक दिक्कतें, और कठिनाइयां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के अनुचित हस्तक्षेप से पैदा हुईं, उनका मैंने जिक्र किया। उसमें न तो कोई बाहरी बात थी, और न कहीं पर कोई अतिशयोक्ति थी, केवल फैक्ट्स थे। टैक्स का मैंने कहीं पर जिक्र नहीं किया था, किन्तु वह बात अब मैं उठाना नहीं चाहता।

श्री कृपाशंकर--यह जो यहां पर संशोधन है, उसमें कोई टैक्स का तो सम्बन्ध है नहीं, यहां तो न्याय पंचायत के आदमियों के मुकर्रर करने का सवाल है टैक्स से तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्रतिपालसिंह--वह तो मैं खुद ही जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैंने कोई जिक्र नहीं किया था, और माननीय मन्त्री महोदय ने ही उस मामले को उठाया और कुछ आरोप मेरे ऊपर लगाये जिसका कोई एक्सप्लेनेशन देने का मौका मुझे नहीं दिया गया। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि इस समय कोई बात यदि मैं न कहूं और उसके बारे में कुछ कहा जाय, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको एक्सप्लेन करने का मुझे मौका दें।

जो मेरे सामने बात व्यवहार रूप में आयी, और जो कठिनाई थी, उसी को मैंने पेश किया। मैं स्वयं कोई ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता क्योंकि जब यह प्रस्ताव हो चुका है कि कल इस बिल को पास हो जाना चाहिए, तो मैं इसको समझते हुए चल रहा हूं, मैं केवल एक मिसाल दूंगा। जैसा कि मैंने और अवसरों पर दिया है। मेरा कहना यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी यदि एक्जीक्युटिव अथारिटीज में से ही नियुक्त किये जावेंगे, वह किस प्रकार गलत तरजुमानी करेंगे, इसकी मैं एक मिसाल देता हूं और वह मिसाल प्लानिंग कमेटी के कांस्टीटयूशन से सम्बन्धित है। प्लानिंग कमेटी का कांस्टीटयूशन यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका प्रेसिडेंट होगा, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन उसका वाइस प्रेसिडेंट होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने कांग्रेस की मर्यादाओं का उल्लंघन किया. .

श्री अध्यक्ष--कांग्रेस से तो इस समय कोई सम्बन्ध नहीं है . . .

श्री प्रतिपाल सिंह--मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपसे पहले कांग्रेस का जिक्र हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री प्रतिपाल सिंह--जी हां। तो मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसी भावना से प्रेरित होकर जो कि मेरे विचार हैं और वह विचार एक कांग्रेस मैन के विचार हैं--मैंने प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में एक ऐसे अवसर पर जब कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने पावर डेलिगेट कर दिये थे, एडीशनल मैजिस्ट्रेट को--मैंने एतराज किया और उस एतराज को बराबर कायम रखना मेरे लिये भी बहुत ही कठिन था। एक बहुत ही नरम व्यक्ति के लिए तो यह असम्भव हो जाता है। मैंने कांग्रेस की और अपनी मर्यादा समझ करके और जो कानून और कायदे हैं, और जो कांस्टीटयूशन बना है, उसकी अवहेलना करने की . .

श्री अध्यक्ष--लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से क्या सम्बन्ध है, आपके इस भाषण से यह मैं नहीं देख पा रहा हूं। आपके भाषण में जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है, उस से कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता।

श्री प्रतिपाल सिंह--मेरा संशोधन यह है कि एक्जीक्यूटिव अथारिटी के बजाय यहां पर . . .

श्री अध्यक्ष--संशोधन तो मुझे मालूम है। आप प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का उदाहरण दे रहे थे कि वह मनमानी करते हैं।

श्री प्रतिपाल सिंह--मैं इस तरीके से इसको लिंक करता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जायं। आप अपनी शिकायतों को वेन्टिलेट करना चाहते हैं। स्थानीय जो आप पर बीतती है वह कुछ संशोधन के लपेट में नहीं आ सकती है। तो इस लिए अगर आप संशोधन पर बोलना चाहते हों तो बोलें, लेकिन ऐसी बातें न कहें।

श्री प्रतिपाल सिंह--तो अध्यक्ष महोदय, मेरा अभिप्राय केवल यही है कि यदि यह अख्तियारात जो एक्जीक्यूटिव अथारिटी को ही दिये गये तो इस मामले में बहुत ज्यादा न्याय नहीं हो सकेगा और इसका कारण एकतो यह है कि न्याय पंचायतें सिविल कोर्टस् के मातहत अगर हों तो ज्यादा उपयुक्त होगा। दूसरे जब एक्जीक्यूटिव अथारिटीज और जो न्याय पंचायतें या ग्राम पंचायतें हैं उनके सभापति या सरपंचों के दैनिक कार्यों में उनके संघर्ष होंगे। तब ऐसे मामले यदि उन्हीं के सिपुर्द न्याय के लिए भेजे गये, तो यह बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। इस धारा में यह साफ व्यवस्था की है कि जो आदमी चुने जायेंगे, वह प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स के होंगे। यह बात कही जा सकती है कि मुन्सिफ को उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट से जो लोग चुनकर आयेंगे, उनके बारे में। तो जहां तक कि प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन्स के व्यक्तियों में से चुनने का सम्बन्ध है तो वह तो बड़ी आसानी से किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा चुने जा सकते हैं और यदि ऐसे क्वालिफिकेशन्स रिलैक्स करने की ही जरूरत पड़ी तो जिस प्रकार एक मुन्सिफ की बाबत यह कहा जा सकता है कि उसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा तो करीब-करीब यही बात प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिए भी कही जा सकती है। मान लीजिये कि कोई आदमी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी में मुकर्रर किया गया। वह बाहर से तुरन्त ही आया है तो वह दिक्कत उसके सामने भी उपस्थित होगी। अतः मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह मेरे इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लें। इससे जो न्याय पंचायतों में खराबियां हैं वह दूर हो जायंगी।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री प्रतिपाल सिंह--मैं इस संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री धर्म सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 में निम्नलिखित नया उपखंड जोड़ दिया जाय :--

"Provided that if a member or members belonging to scheduled castes is or are appointed under this section to be a member of Nyaya Panchayat, such appointment shall not affect the proportion of seats reserved for scheduled castes in the Gram Panchayat under sub-section (7) of section 12."

सेक्शन ट्वेल्व के बाद "एक" छूट गया है, "एक" और बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं इसको रखता हूं, तो कोई नयी बात कहने के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि यह सदन जो एक सिद्धांत को मान चुका है कि ग्राम पंचायतों में शैडयूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन हो, उनकी जो पापुलेशन वहां पर है, उसके आधार पर उनकी सीट्स का रिजर्वेशन

हो तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उस क्लाज की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि १२(७) है, जिसमें यह है कि सीट्स इस प्रकार रिजर्व हों :

"12-(7) Seats shall be reserved for scheduled castes in the Gaon Panchayat and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Gaon Panchayat as the population of the scheduled castes in the area of the Gaon Sabha bears to the total population of such area."

अध्यक्ष महोदय, जब हम इस क्लाज को पढ़ते हैं, तो मालूम होता है कि न्याय पंचायत उन सदस्यों की बनेगी, जो ग्राम पंचायत के होंगे, जो १२–ए क्लाज है उसके आधार पर पांच या पांच से अधिक आदमी गांव सभा चुनेगी। उदाहरण के तौर पर किसी भी ग्राम पंचायत में २५ व्यक्ति हैं जो कि वहां की ग्राम सभा ने चुने, पांच आदमी अलग से चुने गये न्याय पंचायत के लिए तो इस प्रकार से हमारे पास ३० व्यक्ति का कोटा हुआ। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इन तीस आदमियों में से चुनेगी, जैसा कि मैंने कहा कि जो ग्राम सभा के द्वारा २५ आदमी पंचायत के लिए चुने गये थे उनमें से यह हो सकता है कि शैडयूल्ड कास्ट्स के दो या तीन हों, जो कि वहां की पापुलेशन के हिसाब से कम हों तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा ग्राम पंचायत से न्याय पंचायत में अप्वाइन्ट या नामिनेट हो सकते हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वहां रिजर्वेशन जैसा कि १२––७ है, वहां शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन इनएफेक्टिव होगा क्योंकि वहां की आबादी के हिसाब से उनकी सीट्स कम पड़ जायेंगी। इसके साथ-साथ इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने कहा वह जो १२––७ का है वह उसमें से यह हो सकता है कि तीन आदमी भी न्याय पंचायत में नामिनेट हो जायं, दो आदमी भी हो जायं।

श्री अध्यक्ष––आपका मतलब यह है कि अगर दो आदमी न्याय पंचायत में नियुक्त हो जायं तो गांव पंचायत में उन दो आदमियों की रिक्त जगहों का फिर से चुनाव हो ?

श्री धर्मसिंह––यह तो माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष––पहले कैसे हो जाय। आप यह पास कर चुके हैं कि जो बाकी सदस्य रह जायं वह गांव पंचायत के सदस्य होंगे, वह तो हो गया। अब अगर आपका यह मतलब है कि फिर से चुनाव हो तो जो खंड आप अभी यहां स्वीकार कर चुके हैं उसके विरुद्ध यह संशोधन जाता है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। उसका जो अर्थ आप पेश कर रहे हैं, उस से ही यह अर्थ मालूम होता है।

दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि अगर 'प्रोपोर्शन अफेक्ट हो गया तो नहीं माना जायगा कि अफेक्ट हो गया'। अगर यह हो जाय कि अफेक्ट नहीं करेगा और अगर अफेक्ट नहीं करता है तो दोबारा पंचायत में उनका चुनाव होगा, तो जो आपने पहले पास किया है उसके खिलाफ हो जायगा। यह आप सोच लें।

श्री धर्मसिंह––अध्यक्ष महोदय, यदि हम इसको नहीं मानते हैं किसी कारण से या किसी प्रकार से रूल्स में प्राविजन नहीं रखते हैं तो बारह (सात) के रिजर्वेशन का पालन नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष–– रूल्स में आप कोई प्राविजन कर दें, वह दूसरी बात है। लेकिन ऐसा संशोधन जो कि पहले किसी खंड के विरुद्ध जाता हो, उसे तो यहां पेश करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

मैं इसको अवैध करार देता हूं।

श्री जोरावर वर्मा––अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 में निम्नलिखित नयी उपधारा (२) जोड़ दी जाय:

"(2) If the prescribed authority is satisfied directly or indirectly that a Panch is not faithfully discharging his duties as a Panch of a

[श्री जोरावर वर्मा]

Nyaya Panchayat without fear or favour or illwill or is governed by the consideration of castes in pronouncing judgments, the prescribed authority shall remove him from office and the vacancy so caused shall be filled in accordance with the provisions of section 50"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह भी एक धारा खंड ७५ में रखी गयी है। लेकिन मैं यहां उचित समझता हूं कि यदि कोई न्याय पंचायत का पंच वर्ग व्यवस्था या जाति नीति या किसी कारण से अन्यायपूर्ण ढंग से जजमेंट देता है, तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इस बात का ध्यान रखे कि वह इन बातों में से जो कि सेक्शन में हैं करता है, तो उसको रिमव कर दे। क्योंकि मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे इसका प्राविजन है। इसलिए इसकी यहां आवश्यकता नहीं है। इस लिए मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 के बाद नयी धारा 43—A निम्नलिखित रूप से बढ़ा दी जाय—

"Seats shall be reserved for scheduled castes in the Nyaya Panchayat and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Nyaya Panchayat as the population of the scheduled castes in the area of the Nyaya Panchayat bears to the total population of such area:

Provided that this sub-section shall cease to have effect on and from the twenty-sixth day of January, 1960."

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि १२—ए में पास हो चुका है, गांव पंचायतों में शेड्यूल्ड कास्ट वालों के लिए संरक्षण है, लेकिन न्याय पंचायतों में नहीं है, पिछली मर्तबा देखा गया कि अगर कोई प्राविजन कानून में इस किस्म का नहीं है तो इसकी अवहेलना होती है। यद्यपि सरकारी आदेशों और नियमों के द्वारा इस प्रकार का प्राविजन रक्खा भी जाता है, लेकिन अगर किसी ऐक्ट में कोई धारा इस प्रकार की नहीं होती तो सम्बन्धित अधिकारी भरसक शेडयूल्ड कास्ट वालों को नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि न्याय पंचायतों के एरियाज में हरिजनों की आबादी के अनुपात से न्याय पंचायतों में हरिजनों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसका एकमात्र यही कारण नहीं है कि आपसी कोई ऐसी चीज पैदा कर दी जाय जिससे सवर्णों और हरिजनों का भेद पैदा हो, बल्कि इसलिए इसकी आवश्यकता है कि कहीं ऐसा न हो कि हरिजनों को न्याय पंचायतों में नेगलेक्ट कर दिया जाय। फिर कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, किसी भी विभाग में जहां ऐक्ट में कोई रिजर्वेशन दो परसेंट के लिए किया गया हो और हरिजनों को वहां तीन परसेंट ले लिया गया हो। जब यह स्थिति है तो जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनको अगर बिना किसी बंधन के छोड़ दिया जाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो वे पूरे तौर से नेगलेक्ट कर दिये जायेंगे । इसलिए माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों को न्याय मिल सके, इसके लिए न्याय पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व होना भी आवश्यक है । इससे हरिजनों के ऊपर जो इनफिरियारिटी कम्प्लेक्स है, वह भी जाता रहेगा और सवर्णों में जो सुपिरियारिटी कम्प्लेक्स है, वह भी खत्म हो जायगा । इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस संशोधन की आवश्यकता को समझ कर इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । इस पर काफी बातचीत हो चुकी है । इसलिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता ।

श्री अध्यक्ष---क्या जोरावर वर्मा जी इसे वापस लेते हैं ?

श्री जोरावर वर्मा---जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३३ में प्रस्तावित धारा 43 के बाद नई धारा 43—A निम्नलिखित रूप से बढ़ा दी जाय:---

"Seats Shall be reserved for scheduled castes in the Nyaya Panchayat and the number of seats so reserved shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Nyaya Panchayat as the population of the scheduled castes in the area of the Nyaya Panchayat bears to the total population of such area:

Provided that this sub-section shall cease to have effect on and from the twenty-sixth day of january, 1960"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३४

३४—मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४४ का संशोधन ।

"Election of Sarpanch and Sahayak Sarpanch.

44. The panches appointed under section 43 shall, in the manner and within the period to be prescribed, elect from amongst them two persons who are able to record proceedings, one as the Sarpanch and the other as the Sahayak Sarpanch :

Provided that if the panches fail to elect the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch as aforesaid the prescribed authority may appoint the Sarpanch or the Sahayak Sarpanch."

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मेरे आगे कई संशोधन आये हैं। तो अगर माननीय मंत्री जी इसको उचित समझें तो उनमें "appointed" के स्थान पर "selected" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार का आपका एक संशोधन रिजेक्ट हो चुका है तो फिर उसके स्वीकार होने की सम्भावना नहीं है।

***श्री जोरावर वर्मा**—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ में प्रस्तावित धारा 44 की पंक्ति में १ में शब्द "shall" के बाद शब्द "in the manner" के स्थान पर शब्द "by secret ballot" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सरपंच, उप-सरपंच और सहायक सरपंच का चुनाव रखा गया है, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह हाथ उठा कर किया जायगा या किस प्रकार से चुनाव किया जायगा। हालांकि जैसा अभी तक होता आया है जहां पर सिक्रेट बैलट का प्रतिबन्ध नहीं है वहां हाथ उठा कर एलेक्शन हुआ करता है। अगर इसमें सिक्रेट बैलेट से चुनाव नहीं होता तो जो आदमी जन सेवा अच्छी तरह से करता है और अच्छा जन सेवक है वह वहां के शक्तिशाली आदमी के मुकाबले में भय के कारण खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर वह हिम्मत भी करेगा तो शक्तिशाली आदमी के भय के कारण सरपंच या सहायक पंच के पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे और सरपंच या सहायक सरपंच के चुनाव में न्याय नहीं हो सकेगा। इसलिये न्याय पंचायत की पूर्ण व्यवस्था की रक्षा करने के लिये सरपंच और सहायक सरपंच के चुनाव के लिये आवश्यक है कि वह सिक्रेट बैलट के द्वारा उसका चुनाव हो।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरपंच का चुनाव एक्जिक्यूटिव आर्डर के जरिये से यह है कि बैलट द्वारा हो। यह जरूरी नहीं है कि जो ऐक्ट में न हो वह नहीं हो सकता। माननीय सदस्यों को याद होगा कि म्युनिसिपल एलेक्शन के समय भी ऐक्ट के अन्दर बैलट की बात को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी लेकिन एलेक्शन बैलट से हुआ था। इसलिये यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह एक्जिक्यूटिव आर्डर के जरिये से हो सकता है और आगे भी हमारी कोशिश यह होगी कि वह बैलट के जरिये से हो।

श्री जोरावर वर्मा—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया है कि कोशिश ऐसी की जायगी कि बैलट के जरिये से चुनाव हो और इसका प्राविजन वह रूल्स के अन्दर कर देंगे या आर्डर के जरिये से कर देंगे। तो इस वजह से मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—खंड ३४ में प्रस्तावित नयी धारा 44 के प्रथम प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध और रख दिया जाय:—

"Provided further that where all the Panches appointed under section 43 are unable to record proceedings, this qualification shall be relaxed by the prescrided authority, for the offices of the Sarpnch and the Sahayak Sarpanch. The Sarpanch shall appoint person or pesons to record the proceedings.

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो होशियार होते हैं लेकिन जो पढ़ सकते हैं लेकिन अपने हाथ से लिख नहीं सकते। इसलिये मेरे विचार से वहां सरपंच को यह अख्तियार दिया जाना चाहिये कि वह प्रोसीडिंग्स को लिखने के लिये किसी की नियुक्ति कर ले। यह बहुत ही सीधा साधा संशोधन है, मैं समझता हूं कि गांवों की हालत को देखते हुए मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी मुश्किल बात है कि किसी गांव पंचायत के अन्दर २ पढ़े लिखे लोग न मिलें। ऐसा हो सकता है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इसको बंध कर सकता है। यहां पर जैसा है वैसे ही रख दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३५

३५—मूल अधिनियम की धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४५ का संशोधन।

"45 (1) The term of office of every Panch shall be five years from the date of his election :

provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend the term for a total period not exceeding one year"

Provided further that the Sarpanch and the Sahayak Sarpanch shall continue in office uutil their respective successors are electad or appointed.

(2) The notification under sub-section (1) may be published at any time before the expiry of five years aforesaid or, where the period has been extended before the expiry of such extended period."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६

३६—मूल अधिनियम की धारा ४६ निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४६ का निकाला जाना।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३७

३७—मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४७ का संशोधन।

"Resignation of panches. 47. A panch may resign his office as such by writing under his hand addressed to such authority as may be prescribed and his office shall thereupon become vacant."

श्री ब्रजवासी लाल—खंड ३७ में प्रस्तावित नयी धारा 47 की पहली पंक्ति में शब्द "Punch " के बाद शब्द " a Sarpanch or Sahayak Sarpanch" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें पंच के इस्तीफा के बारे में तो दिया हुआ है लेकिन सरपंच और सहायक सरपंच के स्तीफा के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसलिये इसमें ये शब्द जोड़ दिये जायं तो ज्यादा साफ होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३७ में प्रस्तावित नयी धारा 47 की पहली पंक्ति में शब्द "Panch" के बाद शब्द "a Sarpanch or Sahayak Sarpanch" बढ़ा दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री जोरावर वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३७ में प्रस्तावित धारा 49 के अन्त में निम्नलिखित प्राविजो जोड़ दिया जाय :—

> "Provided that the prescribed authority shall cause the genuineness of the signature to be attested and the bonafide of the signature is genuine and is not taken under fear, threat or any other sort of pressure or under promise of any sort of gift or gratification shall declare the seat to be vacant."

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन मान लिया है कि पंच के साथ साथ सरपंच और सहायक सरपंच के रिजिगनेशन के लिये प्राविजन होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक टाइम न ले कर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी सरपंच या सहायक सरपंच हो और उस पर कुछ लोग दबाव डाल कर या और किसी प्रकार का लालच दे कर रिजिगनेशन दिलवा दें। इस तरह की ग़लती हो सकती है। तो इसलिये कि पहले एक संशोधन स्वीकृत हो चुका है और उसी का यह सप्लीमेंटरी है, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसका भाव है उससे तो कोई मतभेद नहीं रखता है लेकिन इस समय इसका यहां रखना ठीक नहीं होगा क्योंकि एक्जीक्यूटिव आर्डर और रूल्स के हिसाब से संशोधन होना चाहिये। इसलिये मुझे आशा है कि श्री जोरावर वर्मा जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—चूंकि माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि रूल्स में इसका प्राविजन हो सकता है इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३७ इस विधेयक का का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ४८ का निकाला जाना।

३८—मूल अधिनियम की धारा ४८ निकाल दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ में निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"३८--मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा रख दी जाय :--

48. (1) If such number of electors of a Constituency formed under section 12 (5) of this Act, as is equal to the two-thirds of the number obtained as quotient by dividing the total number of electors of the Constituency by the number of seats filled from that Constituency apply in writing under their signatures to the prescribd authority for the recall of any Panch, the prescribed authority shall cause the genuineness of the signature to be attested and the bonafides of the signatories to be ascertained, if he is satisfied that signatures are genuine and are not taken under fear, threat or any other sort of presusre or under promise of any sort of gift or gratification, shall declare the seat of the Panch to be vacant.

Explanation.—The word "signature" means signature and includes thumb-impression.

(2) No appeal shall lie against the decision of the prescribed authority and it shall not be questioned in any court of law.

(3) The vacancy caused under the provisions of sub-section (1) of this section shall be filled in accordance with the provisions of section 50"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि चुन जाने के बाद दिमाग़ पर ऐसा असर होता है कि चुन जाने के बाद आदमी समझता है कि वह एक निश्चित काल के लिये आ गया और कोई भी दबाव उसको हटा नहीं सकता और वह उसी पद पर रहेगा और अक्सर होता है कि वह किसी का ख़्याल नहीं करने लगता है। ऐसी हालत में ग़लत काम भी हो सकते हैं क्योंकि वह अपने को सुरक्षित समझता है और पब्लिक हित के ख़िलाफ भी काम करता है। इसलिये ऐसा प्राविज़न होना जरूरी है कि अगर किसी गांव पंचायत का कोई सदस्य ऐसा है जो नियमों के विरुद्ध जनहित के विरुद्ध काम करता है तो उसको हटाया जा सके। मैंने अपने इस संशोधन में यही प्रस्ताव किया है और तजुर्बे ने भी यही दिखलाया है कि पिछले चार पांच साल में जो पंचायतों का वर्किंग हुआ है उससे यही मालूम होता है कि चुनने के बाद बहुत से लोगों ने ग़लत काम किये हैं और इसलिये यह जरूरी है कि जो लोग गलत काम करें उनको निकालने का मौक़ा कानून में होना चाहिए। जिन्होंने उनको चुन कर भेजा है उनको ऐसे आदमी को हटाने का अधिकार होना चाहिये। इसलिये यह भी सिद्धान्त की बात है कि जिसने उसको एलेक्ट किया है उन्हीं को यह फैसला करने का अधिकार होना चाहिये कि फलां आदमी ग़लत है और उसको हटायें। यह संशोधन जो मेरा है उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। यही हमारी छोटी छोटी स्टेट रिपब्लिक हैं जो हम गांवों में बनाने जा रहे हैं। मैंने इस संशोधन में रखा है कि रिकाल करने के लिये किस तरह से कितने सदस्यों की अनुमति होना चाहिये। मैंने रखा है कि अगर किसी कांस्टीटुएन्सी के टोटल वोटर्स की संख्या को अगर सीट्स की संख्या से डिवाइड कर दिया जाय और जो संख्या एज़ कोशेन्ट आये उसका दो तिहाई अगर अप्लाई करे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को

[श्री वीर सेन]

और किसी पंच को रिकाल करना चाहे तो प्रेसक्राइब्ड अथारिटी देखे कि उस प्रार्थनापत्र में दस्तखत असली हैं और वह किसी डवरा या धमका कर नहीं कराए गए हैं या किसी गिफ्ट वगैरा के वादे के लालच से नहीं कराये गये हैं तो वह किसी भी पंच की सीट को खाली क़रार दे सकता है और इस तरह से अगर कोई वैकेंसी हो जाती है तो उसके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है और तीसरे मैंने सब-सेक्शन तीन में यह प्राविज़न किया है कि सेक्शन ५० के प्राविज़न के मुताबिक़ जो वेंकेंसी हो वह फिल कर दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को रखता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो रिकाल का तरीका जहां जहां भी है वह प्रयोग में नहीं आया है। मैंने स्विटजरलैंड के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि उन्हें याद नहीं है कि वहां कभी रिकाल हुआ हो। दूसरे छोटे छोटे एरिया में अगर रिकाल किया जाता है तो पार्टी बाजी होती है। अगर असेम्बली में ही रिकाल का अधिकार दिया जाय तो बहुत से लोग दस्तखत करायेंगे और सारी कांस्टीट्युयेंसी में तूफान मच जायगा। लेकिन और गांव सभाओं में इस तरह की बातें होंगी तो गांवों में न सिर्फ तूफान मच जायगा बल्कि पार्टीबाजी बढ़ेगी और झंझट मच जायगा। मेरी प्रार्थना है कि इसे आप वापस ले लें तो बहुत अच्छा है।

श्री वीरसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेज प्रताप सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ को निम्न रूप में रख दिया जाय:--

"३८--मूल अधिनियम की धारा 48 में उपधारा (3) निम्न रूप में जोड़ दी जाय:--

"(3) The Gaon Sabha may, at a meeting especially requisitioned in writing by one-fifth of its members for the purpose and of which atleast 15 days previous notice shall be given, remove any Pancha of the Nyaya Panchayat from the same Gaon Sabha by a majority of two-thirds of the members present and voting."

मैं समझता हूंकि यह संशोधन महत्वपूर्ण है और वह इसलिये कि न्याय पंचायतों के संगठन का जो नया तरीका विधेयक द्वारा प्रस्तुत किया गया है उससे इसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है।

श्री अध्यक्ष--अभी आप और समय लेंगे ?

श्री तेज प्रताप सिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१३ मई, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर।)

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी के द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० ४ में वर्णित सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम	एकड़	क्रम संख्या	नाम ग्राम	एकड़
१	मुहम्मदपुर खत्री ..	८७.४८	१४	कलियानपुर ..	२९.१८
२	जाहिरपुर ..	११४.४०	१५	रसूलपुर सादत	४९७.७७
३	खरगपुर फरीदी नगर ..	१९०.७०	१६	कपासी ..	३२.७२
४	निजामुद्दीनपुर ..	३४.५८	१७	दसौली ..	७३.००
५	अतरौली ..	१६१.४४	१८	मुहम्मपुर मजरा	७०.५०
६	चान्दन ..	१४७.५४	१९	रसूलपुर कायस्थ	९०.००
७	सूग मऊ ..	३८७.१५	२०	मन्डिगांव ..	३१.००
८	जरेरा ..	१७९.०३	२१	भाकामऊ ..	३३५.००
९	बसहा ..	८७३.००	२२	अधार खेरा ..	२२६.००
१०	गौरम्बा ..	१९९.००	२३	मिसिरपुर ..	२०६.०७
११	बरखुरदारपुर ..	३३३.०८	२४	गोहना कलां ..	२४०.००
१२	इसमाइलगंज ..	२६.२१	२५	अंजनहर ..	२२३.००
१३	समीउद्दीन ..	४२.८९	२६	अछरामऊ ..	२८२.००
				कुल योग ..	५,११२.९४ एकड़

संसद भवन पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर।)

प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में वर्णित सूची

क्रम-संख्या	ग्राम के नाम	क्षेत्रफल एकड़	क्रम संख्या	ग्राम के नाम	क्षेत्रफल एकड़
१	बरगदवा राज ..	२०.४५	२३	राजपुर ..	१९.९५
२	बगहापुर ..	१०३.१४	२४	कल्यानपुर	८१.४८
३	कटहरा खास ..	३६०.००	२५	कैम्पियनगर ..	१३६.९५
४	चेहरी ..	२६१.२५	२६	अलीगढ़ ..	१७२.५८
५	मठिया नं० १ ..	१६.००	२७	लक्ष्मीपुर ..	१४६.१२
६	मठिया नं० २ ..	५०.०५	२८	माधोपुर ..	३३.०७
७	पकड़ी नैनिया ..	२२९.१२	२९	बगगधी ..	९३.९२
८	गोपी ..	५.५२	३०	मछलीगांव ..	१०९.७३
९	बैजनाथपुर खुर्द ..	५७.९३	३१	झावन कोट ..	२५९.४४
१०	पिपरा रसूलपुर ..	५११.२९	३२	बारात गारा ..	५२.५८
११	बगहवा ..	४९३.३१	३३	भैंसहिया ..	४८.१९
१२	सिसवा अमहवा ..	७५.९६	३४	लालगढ़ ..	१४.६८
१३	हजरतपुर ..	५७.५०	३५	जैनमगर ..	२७.४४
१४	अहमदपुर ..	४६.३७	३६	भैरारीपिपरा ..	२०६.००
१५	रुद्रपुर ..	३६.८८	३७	रानीपुर ..	११०.००
१६	वेलवा काजी ..	८८.८९	३८	हयिया गरहवा	२११.००
१७	केवलापुर ..	१२.६२	३९	पुरन्दरपुर ..	२०६.९१
१८	लोहरपुरवा ..	८६.८५	४०	बरडांड़ ..	३८४.५१
१९	जंगल विहुली ..	५१.२९	४१	परगापुर ..	२७.४१
२०	लक्ष्मीपुर ..	१८.८३	४२	बरगाहपुर ..	१८७.२३
२१	अलगटपुर ..	२८७.०५	४३	विशुनपुर अडरौना	४९.२८
२२	महोपुर उर्फ ववन ..	२६.०५	४४	पचरखा ..	१.१०

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)।

प्रश्न सं० १८ में वर्णित सूची

सं०	ग्रामों के नाम	सं०	ग्रामों के नाम
१	डोगी	१०	बभर गांव
२	मुसलमानों की सिनघाटा कोटी	११	फलाई
३	डडोली	१२	बन्यार्क
४	चौरा	१३	नैणी पोंडार
५	सौगन्ता	१४	कोल
६	सिला	१५	डालसिगी
७	बाराकोट	१६	नैली
८	भुल्ड गांव	१७	फुंड
९	सिगौड़ गांव	१८	हाट

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर)

पंचवर्षीय योजना के आधार पर चरखारी रियासत के उस भाग का निर्धारित कार्यक्रम जो जिला हमीरपुर में विलीन हुआ है ।

क्रम सं०	कार्य का नाम	पंचवर्षीय लक्ष्य	दिसम्बर, ५३ तक की प्रगति रिपोर्ट	दिसम्बर, ५३ से मार्च, ५४ तक की सम्भावित प्रगति	१९५४–५५ का लक्ष्य
१	उन्नतिशील बीज	१० प्रतिशत	उन्नतिशील बीज का प्रयोग		
२	फसल प्रतियोगिता	प्रत्येक अदालत	५ अदालत क्षेत्र	४ अदालत क्षेत्र	प्रत्येक अदालत क्षेत्र में
३	सांडों की मांग	५३	१०	..	१०
४	सड़क-निर्माण कच्ची	५३ मील	६ मील	१ फर्लांग	१ मील
५	सड़क-मरम्मत कच्ची	१०९ मील	१२ मील	८ मील	२० मील
६	नालियों का निर्माण पक्की	५३ मील	..	..	१५ मील
७	खड़ंजों का निर्माण	१ मील	..	..	२०० गज
८	औषधि-पेटिकायें	५३	९	..	१३
९	प्रसव-पेटिका	५३	..	..	५
१०	सिंचाई का प्रबन्ध	५ मील में २०० एकड़	..	..	१०० एकड़
११	नये कुएं पक्के	५३	१०	३	७
१२	कुओं की मरम्मत	१०६	५	५	१०
१३	नहाने का स्थान	५३	..	२	५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१४	स्कूल-भवन-निर्माण	..	१३		२		१		५
१५	तालाबों की खुदाई	..	१३		५		२		३
१६	सड़क-निर्माण पक्की	..	..		..		१०० गज	..	२२० गज
१७	खाद के गड्ढे	..	१	टन प्रति पशु ..	२५० गड्ढे	..	..		लक्ष्य पूरा किया जायगा
१८	बीज वितरण	..	३०००	मन। ..	६५० मन	..	..		२३५० मन
१९	सिंचाई—						..		
	कुआं	..	१५	कुवें ..	१ कुआं	..	..		१४ कुवें
	नहर	..	८००	एकड़ ..	१०० एकड़	..	..	..	७०० एकड़
	बंधी	..	६०००	एकड़ ..	३००० एकड़	..	..	..	३००० एकड़
२०	को० आ० सोसाइटी		..	६०	१६		..		४४

गुड़ारी सहकारी फार्म की दशा में सुधार किया जायगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर) ।

तृतीय-श्रमदान-अभियान में तहसील शाहगंज में बनायी गयी सड़कों का विवरण

क्रम सं०	नाम ग्राम सभा	नाम ग्राम	सड़कों की लम्बाई जो बनायी गयी	क्रम सं०	नाम ग्राम सभा	नाम ग्राम	सड़कों की लम्बाई जो बनायी गयी
१	सिंघाई	सिंघाई	५ फर्लांग	२८	गोधना	लदरही	११०० गज
२	भादी	भादी	४ ,,	२९	समोधपुर	समोधपुर	५०० ,,
३	अर्गपुर खुर्द	अर्गपुर खुर्द	५०० गज	३०	उसरौली	उसरौली	२०० ,,
४	जमुनियां	दियाईपुर	३०० ,,	३१	कम्मरपुर	कम्मरपुर	२०० ,,
५	अमारी	अमारी	३५० ,,	३२	घुरीपुर	गोड़बड़ी	२ फर्लांग
	अमारी	रहिमानपुर	१०० ,,	३३	रामपुर	रामपुर	४ ,,
६	परसिम्भल शाह	परसिम्भल शाह	३५ ,,	३४	लोरपुर	लोरपुर	४ ,,
७	सरापुर	सरापुर	२०० ,,	३५	असेथापट्टी	असेथापट्टी	४ ,,
८	बिरैली	बिरैली	३०० ,,	३६	लपरी	लपरी	१ मील
९	निजामपुर	निजामपुर	७५ ,,	३७	खानपुर	आहनेपुर	६ फ०
१०	अखीपुर	अखीपुर	६६६ ,,	३८	बथुवार	बथुवार	१ ,,
११	मोहद्दीपुर	मोहद्दीपुर	७६ ,,	३९	नीदुरपुर	एकडला	४ ,,
१२	पुनेरई खुर्द	पुनेरई खुर्द	१० फर्लांग	४०	बछवार	बछवार	
१३	बद्दीपुर	बद्दीपुर	१७४ गज	४१	पहितियापुर	पहितियापुर	२ फ०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१४	कखनपुर	कखनपुर	१ मील
१५	गोडीला	गोडीला	१ मील
१६	कोपा	कोपा	८०० गज
१७	लतिकपुर	लतिकपुर	८८० ,,
१८	अर्गपुर कलां	अर्गपुर कलाँ	७०० ,,
१९	भागमलपुर	भागमलपुर	१६२० ,,
२०	बनवाडी	चकमाकी बहोरी	४८८ ,,
२१	मलकपुर	मलकपुर	१०० ,,
२२	खेतीवपुर	खेतीवपुर	१ मील
२३	पट्टी नरेन्द्रपुर	पट्टी नरेन्द्रपुर	६७६ गज
२४	शाहमऊ	शाहमऊ	२२० ,,
२५	मेला	मेला	३७० ,,
२६	ढढवारा कलां	ढढवारा खुर्द	५०० ,,
		ढढवारा कलां	५०० ,,
२७	बनगांवपट्टी	बनगांव पट्टी	१ मील
४२	शाहपुर	शाहपुर	४ फर्लांग
४३	मारूफपुर	सुगुलपुर	४ ,,
४४	रुधौली	अर्जुनपुर	४ ,,
४५	पकड़ी	अतरौली	४ ,,
४६	पेशपुर	लखनपुर	४ ,,
४७	अर्जुनपुर	अर्जुनपुर	२०० गज
४८	मरगपुर	मरगपुर	२ फ०
४९	नौरंगाबाद	गजईनपुर	४ ,,
५०	मेढ़ा	मेढ़ा	४ ,,
५१	परारजवार	परारजवार	४ ,,
५२	कैही कलां	चंदापुर	४ ,,
५३	दुधौडा	नोखापुर	४ ,,
५४	खजुरा	अफलेपुर	२ ,,
	योग	२२ मील ५ फर्लांग ७० गज	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तृतीय-श्रमदान-अभियान में तहसील शाहगंज में बनाये गये गांधी-चबूतरों की संख्या

क्रम सं०	नाम ग्राम सभा	नाम ग्राम	संख्या गांधी चबूतरों की जो बनाये गये	
			कच्चा	पक्का
१	डिहिया	डिहिया	—	१
२	सिंधाई	सिंघाई	—	१
३	चिल्हीराम	चिल्हीराम	१	—
४	लवायन	लवायन	१	—
५	कसियापुर	बरबसपुर	१	—
६	कुतबीचक	कुतबीचक	१	—
७	महम्मदपुर	महम्मदपुर	१	—
८	चेतरहा	अतरडीहा	१	—
९	हुसेनाबान	हुसेनाबाद	१	—
१०	भुसौड़ी	भुसौड़ी	१	—
११	जैनपुर	जैनपुर	१	—
१२	बांधगांव	बांधगांव	१	—
		योग ..	१०	२

तृतीय श्रमदान अभियान में तहसील शाहगंज में कोई पंचायतघर नहीं बना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हुए काम का विवरण

	विषय		लक्ष्य जो प्राप्त किये गये
	कृषि		
१	खरीफ के बीज	वितरित किये गये	२७२ मन २७ सेर ८ छटांक
२	रबी के बीज	,,	७२४४ मन २८ से ८ छटांक
३	आलू के बीज	,,	५४ मन १८ सेर १५ छटांक
४	रुई के बीज	,,	४ मन २९ सेर ४ छटांक
५	साग सब्जी के बीज	,,	४९८ पैकेट
६	फलों के बृक्ष लगाये		१५६४
७	बबूल के बीज वितरित किये		२२ सेर
८	अमोनियम सल्फेट वितरित किया		६३ बोरे
९	बोनभील हड्डी की खाद	,,	२४ बोरे
१०	सुपर सल्फेड	,,	६ बोरे
११	केस्टर केक खली की खाद	,,	६ मन
१२	सनई	,,	८२ मन ३० सेर
१३	मूंगटी आई	,,	३५ मन २४ सेर ४ छटांक
१४	डेंचा	,,	३० मन ३ सेर १२ छटांक
१५	गुवार	,,	३१ मन ३७ सेर ४ छटांक
१६	गुर्जर हल बेचे		२५
१७	लोहे के हिस्से		६
१८	हैंडहो		४
१९	हैंडिल वोल्ट		६९
२०	शेयर वोल्ट		५५
२१	खाद तैयार की गई		९३७४० मन
२२	प्रदर्शन ..	(Cultural Demonstration)	४८
२३	,, ..	(Veriatal Demonstration)	२१६
२४	,, ..	(Manural Demonstration)	८९
२५	,, ..	(Implemental Demonstrations)	११८
२६	,, ..	(Retational Demonstration)	७१
२७	,, ..	(Whole Plot)	७६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	विषय	लक्ष्य जो प्राप्त किये गये
	सिंचाई	
२८	ट्यूब वेल राजकीय	६९
२९	गूलों की सफाई	१३ मील ७ फ० १४० गज
	सामूहिक कार्य	
३०	पुलिया बनवाई गई	१
३१	पक्की नाली बनवाई गई	२०० गज
	जन स्वास्थ्य	
३२	पानी पीने के कुएं बनवाए गये	१०
३३	पानी पीने के कुओं की मरम्मत की गई	७६
३४	चिकित्सालय खोला गया	१ (बरवार में)
	शिक्षा	
३५	पुस्तकालय खोले गये	२
३६	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	६
	सहकारिता	
३७	कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई	४६

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५२ एल० ए० १९५४—८५० ।